खण्ड-252, अंक-3
गुरूवार, 12 भाद्रपद, शक संवत् 1886
(3 सितम्बर, 1964 ई0)

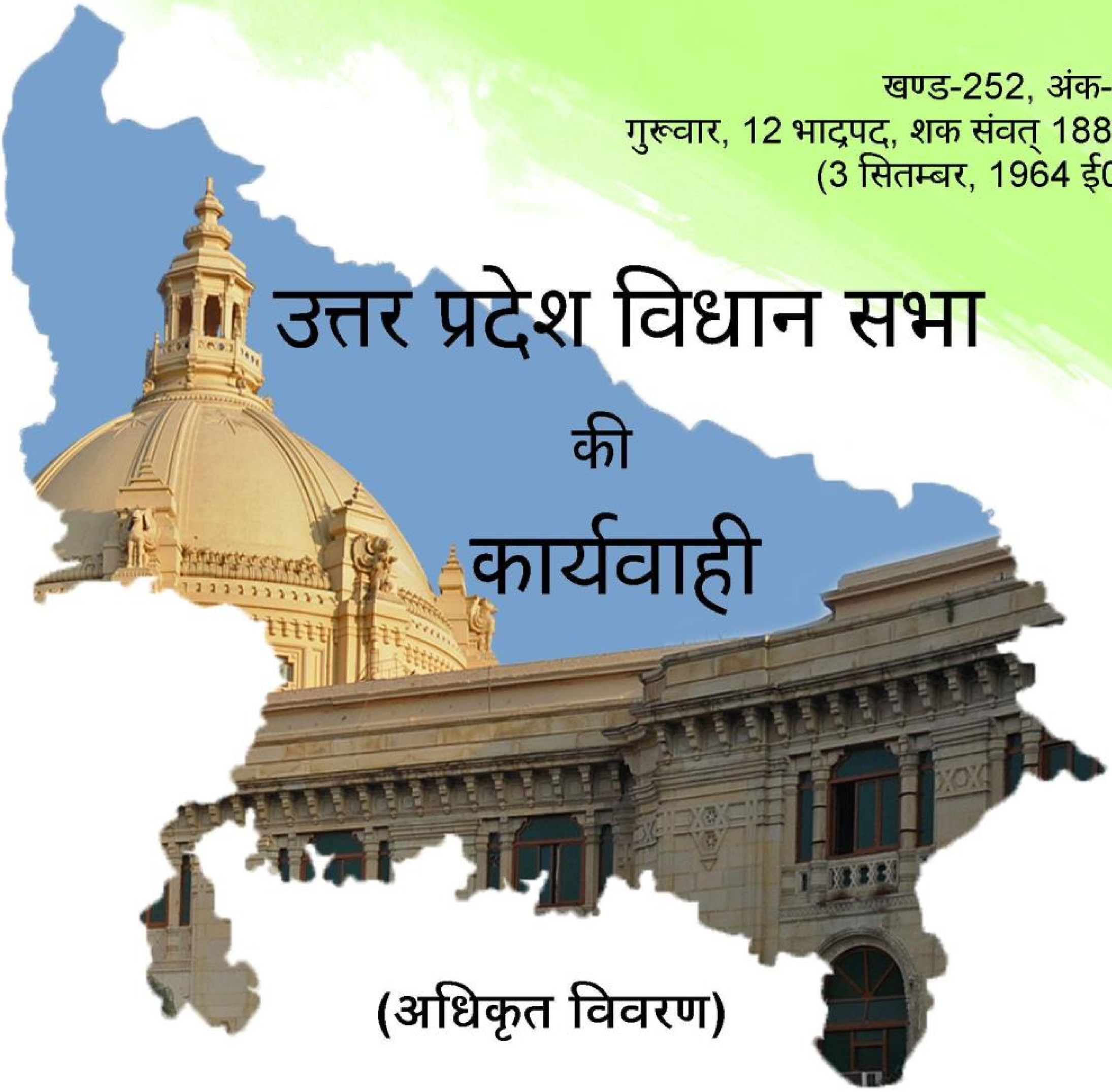

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 252 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२११–२१५
प्रश्नोत्तर	२१५–२४९
फेयर प्राइस शाप्स इंक्वायरी कमेटी के क्वेश्चनेयर के संबंध में जानकारी ..	२४९
राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को सौंपे गये प्रश्न के विषय में श्री अध्यक्ष द्वारा मांगी गई पुस्तकों को न्याय विभाग के न देने आदि के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय सुरक्षित) ..	२४९–२५१
आजमगढ़ तथा बलिया जिलों में घाघरा नदी से भीषण कटाव के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (वक्तव्य के लिए स्वीकृत) ..	२५२
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं ..	२५२–२५४
गोंडा लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में हुए निर्वाचन के सम्बन्ध में चुनाव ट्रिब्युनल के निर्णय के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	२५५–२६२
६ अगस्त, १९६४ को प्रदेश की खाद्य स्थिति के संबंध में दिये गये वक्तव्य का शोधन	२६३
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित)	२६३–३१३
नत्थियां	३१४–३२३

विधानसभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३ सितम्बर, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलाल अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिलराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पन्नालाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री

पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशोधर पांडेय, श्री
बंशोधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतालासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअवधार कनौजिया, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शरीफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री

सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमाद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३ सितम्बर, १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

सहकारी सूत मिल, इटावा का बन्द होना

*१—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सहकारी सूत मिल, इटावा ४ जुलाई से अचानक बन्द कर दी गई है, जिसके कारण उसमें काम करने वाले लगभग २५० मजदूर बेकार हो गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

(क) जी हां । केवल १५० श्रमिक कार्य से अलग किये गये ।

(ख) मिल बारिश में छत टपकने के कारण बन्द करनी पड़ी ।

*२—श्री सहदेवसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त मिल पर अब तक कुल कितना रुपया लग चुका है तथा अब तक मिल कितने दिन चली और उसने कितना उत्पादन किया एवं अब मिल कब से चालू होगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस मिल में अब तक ७४.७९ लाख रुपया पूंजीगत व्यय (Capital cost) में लग चुका है । मिल १८ मई, १९६४ को चालू की गई तथा ४ जुलाई, १९६४ को बन्द करनी पड़ी । उसके बाद ५ अगस्त, १९६४ को फिर चालू की गई । उस मिल में शुरू से १९ अगस्त, १९६४ तक, २९,८५४ किलोग्राम सूत बन चुका है ।

श्री सहदेवसिंह---

बारिश में जब टपकने के कारण मिल बन्द रही तो अभी तो वर्षा हो रही है फिर मिल कैसे चालू की गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

छत के ऊपर सिर्फ वाटर प्रूफ करना था वह उस समय तक नहीं हो सका था। ठेकेदार ने यह विश्वास दिलाया था कि उससे पहले काम हो जायगा, वह नहीं हुआ। अब हो गया है इसलिये मिल चालू हो गयी है।

श्री सहदेवसिंह---

जब बिल्डिंग पूरी तौर से ठीक नहीं थी तो प्लांट का इरेक्शन उसमें क्यों कर दिया गया और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

ठेकेदार ने विश्वास दिलाया कि बारिश से पहले पूरा कर देंगे। वह नहीं कर सके। अब एक सब-कमेटी बना दी गयी है जो जांच कर रही है और अगर उस ठेकेदार के कारण नुकसान हुआ है तो उससे वसूल किया जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि मिल बन्द रहने के कारण कितने की आर्थिक क्षति हुई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

अभी तक तो १७० रुपये रोज का माल कम बन रहा है और उस समय ४२ सौ रुपये रोज का जितने दिन मिल बन्द रही, नुकसान हुआ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

मेरा प्रश्न सम्भवतः स्पष्ट नहीं हो सका। मैं जानना चाहता हूं कि छत की खराबी की वजह से मिल बन्द रहने के कारण मशीन और बिल्डिंग आदि का कितना नुकसान हुआ और उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैंने उसके लिये बता दिया है कि एक सब-कमेटी जांच कर रही है और उसके आंकड़ों वगैरह के सम्बन्ध में जानकारी कर रही है।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)---

सरकार ने कहा है कि अगर ठेकेदार की गलती से नुकसान हुआ है तो सारा नुकसान वह देगा, तो क्या मिल में जो नुकसान हुआ है वही ठेकेदार देगा या जो वर्कर्स को क्षति हुई है वह भी उससे वसूल की जायगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जो सब-कमेटी बैठी हुई है वह उत्तरदायित्व जिस पर और जितने के लिये थोपेगी वह उसको पूरा करना होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

वह इमारत किस विभाग द्वारा और किस ठेकेदार द्वारा बनवाई गई थी और बनने के बाद क्या सरकार ने किसी इंजीनियर द्वारा उसको टेस्ट करा लिया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि छत में कोई खराबी नहीं थी। काम अधूरा था। वाटर प्रूफिंग का काम होना था, ठेकेदार ने उसके लिये विश्वास दिलाया था कि वह बारिश से पहले पूरा कर देगा। वह नहीं कर सका इसलिये नुकसान हुआ।

श्री सहदेवसिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सब-कमेटी में कौन-कौन से सदस्य हैं, किस तारीख से इनकी नियुक्ति हुई और कब तक यह अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इस सब-कमेटी में सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, हाइडल, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०, एक बी० आई० सी० का प्रतिनिधि, ज्वाइन्ट डाइरेक्टर, इंडस्ट्रीज और डिप्टी डाइरेक्टर आफ इंजस्ट्रीज हैं। इस कमेटी से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट जल्दी दे।

श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस ठेकेदार ने यह काम किया तो उसने पूरा काम नहीं किया और पूरा पेमेन्ट हो गया, यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जो काम नहीं हुआ है उसका पेमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री सहदेवसिंह--

जो १५० मजदूर काम से हटा दिये गये थे वे स्थायी थे या अस्थायी थे और अब उनको फिर से काम पर लगा दिया गया है या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

वह सब डेली वेजेज पर थे। अब मिल चालू हो गया है तो अब वे काम पर फिर आ गये हैं।

अनाज की लूट

*३-४--सर्वश्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) (अनुपस्थित), राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा) (अनुपस्थित), उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित), गयाप्रसाद मिश्र (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित) तथा कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १ जुलाई, १९६४ लगायत ३१ जुलाई, १९६४ के अन्तर्गत उनके पास प्रदेश के कितने बाजारों, व राशन की दूकानों की लूट की सूचना उन्हें मिली है ?

*४--क्या गृह मन्त्री उक्त सभी बाजारों की सूची रखेंगे जो उक्त जुलाई, १९६४ में लूटी गयीं ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१४ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस प्रकार से प्रदेश में कई जिलों में एक मास के अन्दर जो यह लूट-मार हुई इसका कारण क्या है ? और इसको रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्य किया ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

इसका कारण एक तो फूड शार्टेज है ही और दूसरा कारण विरोधी दल का प्रोपेगेन्डा है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि देवरिया में जो लूट-मार हुई उसमें कितना सामान गया और उसको लूटने वाला क्या भुखमरों का झुंड था ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय गृह मंत्री का ध्यान माननीय नेगी और उनकी सरकार के उन वक्तव्यों की ओर गया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रदेश में गल्ले की कमी है ? यदि गल्ले की कमी है, तो भूखे लोगों ने दूकानों पर हमले किये । उनकी समझ में गल्ले की दूकानों के लुटने में सरकार का दोष नहीं है । सरकार की ओर से यदि अन्न की व्यवस्था नहीं की गई और एक प्रकार से अव्यवस्था पैदा की गई तो लोगों ने लूट-मार की । यदि हां, तो विरोधी दल पर यह आक्षेप क्यों और किस आधार पर लगाया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

गल्ले की कमी स्वीकार करना तो ठीक ही था और उसकी पूर्ति बाहर के गल्ले से ही हो सकती थी, लेकिन अपोजीशन पार्टीज ने पहले तो हड़ताल करायी जिसकी वजह से बंबई डाक्स पर गल्ला उतर नहीं सका । दूसरे यह कि यहां कमी होते हुए आन्दोलन और सत्याग्रह किया, यह बात मेरी समझ में नहीं आती इसलिये मैंने वह उत्तर दिया ।

श्री सहदेवसिंह---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इटावा जिले के कंचौसी बाजार में जो लूट हुई उसमें कितनी दूकानें लूटी गयीं और कितने का नुकसान हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय---

कंचौसी में कोई दूकान नहीं लूटी गयी।

श्री राधेश्याम शर्मा---

प्रदेश में जो बाजार लुटे हैं उनका कारण क्या है, भूख अथवा अराजकता ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इसका उत्तर मैंने दे दिया है । पहला कारण है खाद्यान्न की कमी और दूसरा है विरोधी पार्टियों का आन्दोलन ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---

क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि यह मंडिया जो लुटी हैं वे सत्याग्रह और प्रदर्शन के पहले लुटी हैं अथवा बाद में ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

पहले भी और बाद में भी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि बंबई के डाक पर गल्ले के जहाज कब आये, हड़ताल के पहले या बाद में और हड़ताल कब शुरू हुई ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया ।)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

देवरिया के पथरदेवा स्थान पर जो लूट हुई है उसमें किन-किन लोगों का सामान लुटा है और क्या लूटने वालों ने उसकी सूचना पहले से दे दी थी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

देवरिया के पथरदेवा में जो लूट हुई है उसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता थे । हंसनाथ तथा अन्य लोगों के उकसाने और भड़काने से ही जो लूट हुई, वह हुई है ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

१ जुलाई से ३१ जुलाई तक जितनी दूकानें लूटी गयीं उसमें कितने आदमी गिरफ्तार किये गये और कौन-कौन पार्टियां थीं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ऊदल---

सत्याग्रह और प्रदर्शन के पहले और बाद में जैसा कि कहा गया कि दूकानें लूटी गयीं तो जो तालिका १० दूकानों की दी गयी है उसमें सत्याग्रह और प्रदर्शन के पहले कौन-कौन-सी लूटी गयीं और बाद में कौन-कौन-सी लूटी गयीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जो उत्तर दिया गया था वह लिखित सवाल के बारे में था । जब सप्लीमेंटरी पूछा गया तो कहा गया कि पहले भी लूटीं और बाद को भी ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

क्या गृह मंत्री स्पष्टतया बतायेंगे कि सत्याग्रह होने के पश्चात् किस-किस जिले में दूकानें लूटी गयीं और उसकी सूचना सदन को देंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

सत्याग्रह हर पार्टी ने अलग-अलग किया था । अगर वह भी मालूम हो जाता कि किस-किस दिन सत्याग्रह मानते हों तो बता देंगे ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

देवरिया के पथरदेवा बाजार में जो लूट हुई है वह किन-किन दूकानदारों की हुई है और क्या उन लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट की लूट की ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जी हां, लूट की रिपोर्ट की है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस पत्थरदेवा बाजार की चर्चा हो रही है उसमें जो एफ० आई० आर० लिखाई गयी है उसमें कुछ अमरूद, कटहल और परवल की केवल लूटने की बात है कुछ सेर ? अनाज किसी ने नहीं लूटा है । क्या यह सही है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह बात सही है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्री दुर्गाप्रसाद, छीपीटोला, आगरा की सस्ते गल्ले की दूकान लूटने का भी जिक्र किया है, तो क्या यह सही है कि ३ महीने से वहां के लोगों को बिलकुल राशन नहीं मिल रहा था और जिस दिन राशन आया उसके तीन दिन तक उस दूकानदार ने नहीं बांटा, तब भूखी जनता ने धीरज खोकर उस दूकान को लूटा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह बात तथ्य से परे है ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

क्या माननीय मंत्री जी के पास इस तरह की कोई सूचना है कि जितनी दूकानें लूटी गयी हैं वे कितनी कांग्रेस सदस्यों के क्षेत्र में लुटी हैं और कितनी सक्रिय विरोधी दलों के सदस्यों के क्षेत्रों में लुटी हैं ? मेरी सूचना यह है कि यह सभी दूकानें विरोधी पक्ष के सदस्यों के क्षेत्रों में ही लुटी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

प्रान्त के किन बाजारों में फूड क्राइसेज के कारण और किन बाजारों में विरोधी दल के आन्दोलन के कारण दूकानें लुटी हैं ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बताया है कि उसकी सूचना उनके पास नहीं है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

अभी एक प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया कि यह तथ्य से परे है । मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें सत्यता क्या है, क्या यह माननीय मंत्री जी बतायेंगे ? और आगरे की रिपोर्ट कोई उनके पास आई है ? यदि आई है, तो वह क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वह जवाब इस वजह से दिया गया कि उसमें बहुत सी खाली बोरियां लूटी गयी हैं । वह दूकान तो भरी मंडी में थी, अगर गल्ला लूटने की बात होती तो पूरी मंडी लूटी गयी होती । तो जो बात पूछी गयी थी वह तथ्य से परे थी ।

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--

क्या यह बात सही है कि खाद्यान्न लूटे जाने के संबंध में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन्होंने यह बयान दिया है कि कुछ पार्टियों के लोगों ने उकसा कर उनसे लूट करायी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

इलाहाबाद में श्री जिनेश्वर मिश्र की गिरफ्तारी

*५---श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के श्री जिनेश्वर मिश्र की गिरफ्तारी ३१ जुलाई, १९६४ को शहर में क्यों और किन-किन नियमों के अधीन की गई है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

श्री जिनेश्वर मिश्र की गिरफ्तारी डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के नियम ३५-६- (बी) (एच) तथा (पी) के साथ पठित नियम ४१ (५) के अन्तर्गत कुछ आपत्तिजनक भाषण देने के कारण दिनांक ३१ जुलाई, १९६४ को इलाहाबाद में की गई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह गिरफ्तारी इलाहाबाद जिले में किन-किन स्थानों पर भाषण देने के कारण हुई और उनके भाषण के नोट करने वाले कौन लोग थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इलाहाबाद में २-३ जगह उनके भाषण हुए हैं । उनकी स्पीचेज तो मेरे पास हैं मगर किसने नोट की, यह सूचना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि किन किन स्थानों पर भाषण देने के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई और क्या उनकी स्पीच को लिखने वाले वही सज्जन थे जिनकी रिपोर्ट पर एक हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने एक मानहानि के मुकदमें को खारिज कर दिया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

किसने रिपोर्ट की, यह सूचना नहीं है । उन्होंने चौक में स्पीच दी, सोरों में दी, फूलपुर में दी, कटरा के क्रासिंग पर दी ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

क्या मंत्री जी कृपा कर श्री जिनेश्वर मिश्र के भाषणों के उन अंशों को बतायेंगे जिनके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

बहुत सी स्पीचेज हैं । २-४ में आपकी जानकारी के लिये पढ़ दूं ।

(१) "दुनिया के नक्शे में बहुत से मुल्क दिये गये हैं जहां पर अगर नेताओं की गल्तियां पकड़ी गई हैं तो उनकी लाश निकाल कर फांसी पर लटका दिया गया है। अगर नेहरू की गल्ती पकड़ी गई है तो उनकी लाश क्यों न लटका दी जाय ।"

(२) "नेगी साहब का कहना है कि गल्ला देने की सरकार नहीं है । जिस दिन आपकी बाजुओं में ताकत आ जायेगी उस दिन इस पाजी नेगी को हटना पड़ेगा ।"

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उनकी स्पीचेज में किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाया गया है या सरकार पर लगाया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

व्यक्ति विशेष पर भी है और लोगों को उन्होंने भड़काया है और ऐसी स्पीच भी दी है, जिससे अशांति बढ़ ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

श्री जिनेश्वर मिश्रा की स्पीचेज की जो रिपोर्टिंग की गई वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने चेम्बर में स्पीच नोट कराई। अगर यह मालूम हो जाय तो क्या मुकदमा वापस लेने की कृपा मंत्री जी करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अभी माननीय मंत्री जी ने स्पीचेज के दो कोटेशन पढ़े एक देश के नेताओं की लाशों के संबंध में और एक पाजी नेगी को हटाने के संबंध में। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिनेश्वर मिश्रा ने अगर ऐसी स्पीचेज जहां-जहां दीं तो वहां कोई अराजकता फैली ? कितने लोग भड़के ? कितने नेताओं की लाशें गिरीं तथा कितने पाजी नेगी हटाये गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी मानसरोवर सिनेमा रायट हो गया था तो उसके सिलसिले में उन्हें सजा भी हो गई थी।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अगर ऐसी खतरनाक स्पीच हुई तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद के लोगों ने कोई ऐसा खतरनाक कांड किया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

एक दफा कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—

कोई मुकदमा चला है इस पर ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

केस इन्वेस्टीगेशन में है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में स्पीच हुई, उस दिन कोई घटना हुई उस स्थान पर कि नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन दफाओं में श्री जिनेश्वर मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है उसके अन्तर्गत यह अपराध भी आता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे भाषण दे जहां अराजकता फैलने की संभावना हो, तो वह राजद्रोह या देशद्रोह के दंड का भागी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, यह तो है ही।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनेश्वर मिश्रा को जेलखाने में बन्द कर दिया गया है ? उन पर मुकदमा चलाया गया है या अभी कोई नोटिस दी गई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

उनको पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया गया है। केस इंवेस्टीगेशन है। उन्होंने जमानत की दरख्वास्त दी किन्तु जज ने उसे रिजेक्ट कर दिया है।

आगरा में गल्ला लूटने वालों की गिरफ्तारी

*६--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित) तथा श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि आगरा में गल्ले की दूकान के लूटने के संबंध में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर श्री गौतम ने अपनी व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से गिरफ्तार करा दिये हैं ?

श्री हरविन्दसिंह--

जी नहीं।

*७--श्री बालोजी अग्रवाल (अनुपस्थित) तथा श्री बनवारीलाल विप्र (अनुपस्थित)--

क्या सरकार इस बात की उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करायेगी और निर्दोष साबित होने पर उन व्यक्तियों को छोड़ने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली तहसील में रबर फैक्ट्री की जमीन जोतने वालों की गिरफ्तारी

*८--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली तहसील के अन्तर्गत ग्राम कुरतरा, नौगवां, भिटौरा तथा माधोपुर माफी के सैकड़ों किसान अपने खेतों में हल जोतते समय आजकल गत कई दिनों से गिरफ्तार किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

उल्लिखित ग्रामों की १३८०.२६ एकड़ भूमि वर्ष १९६० तथा ६१ में सरकार द्वारा लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अन्तर्गत रबड़ फैक्ट्री की स्थापना हेतु अर्जित की गई थी। उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करके सरकार ने सन् १९६१ में सिन्थैटिक्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दिया था। अतः उसके बाद उस भूमि पर संबंधित किसानों का कोई अधिकार नहीं रह गया था परन्तु कुछ किसानों ने इस वर्ष उक्त भूमि पर अनाधिकार प्रवेश करके उसे जोतना प्रारम्भ कर दिया जिस पर फैक्ट्री के अधिकारियों ने जिलाधीश, बरेली के सामने आपत्ति की। फलस्वरूप शान्ति भंग होने की आशंका हो गई अतएव अवैधानिक रीति से भूमि पर अधिकार करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा ४४७-१०९ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

इसके बावजूद भी जब स्थिति गम्भीर होती गई तो स्थिति पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से फैक्ट्री की सीमा से ५ मील तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ लगाई गई और उक्त धारा का उल्लंघन करने के अपराध में २९ और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो भूमि ली गई है उसके किसानों ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दिया है और स्टे आर्डर उन्हें मिल गया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी को पता है कि १३८० एकड़ भूमि में से जो अधिग्रहण कराई गई केवल २५० एकड़ में फैक्ट्री बनी है और बाकी जमीन वह किसानों को वापिस दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जमीन वापसी का प्रश्न नहीं आता है। आवश्यकतानुसार ही जमीन ली गई है। अभी वहां डिस्पैंसरी, स्कूल, लेबर क्वार्टर्स इत्यादि और बनेंगे।

श्री कमलसिंह यादव--

क्या यह सही है कि बहुत कम मुआवजा दिया गया और कब्जे के समय किसानों की फसल उसमें खड़ी थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

१,६८,००० रुपया मुआवजा तय किया था, जिसमें से १ लाख ११ हजार बंट चुका है। बाकी के लिये उन्हें नोटिस दे दी गई है कि खजाने से ले लें।

श्री ऊदल--

क्या मुआवजा बाजार रेट से, जैसे गाजियाबाद इत्यादि में दिया है, दिलावेंगे जिससे यह झगड़ा ही समाप्त हो जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

नियमों के अनुसार दिया जाता है।

श्री ऊदल--

जैसे गाजियाबाद में किसानों को ६२ के बाजार भाव से मुआवजा दिया वैसे ही बरेली की फैक्ट्री के लिये भी क्या मंत्री जी दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह जमीन सन् ६१ में ली गई थी। अगर काश्तकारों को मुआवजे पर एतराज था तो कानून के अन्तर्गत रिवीजन या अपील कर सकते थे।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

जब किसानों ने हल चलाना शुरू किया उसके पहले ही बकाया रकम लेने की नोटिस दे दी गई थी या गिरफ्तारी और आन्दोलन के बाद ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

बरेली के किसानों को फी एकड़ कितना मुआवजा दिया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

१,६८,००० रुपया १३८० एकड़ का दिया गया है। हिसाब लगाया जा सकता है कि फी एकड़ कितना हुआ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

दूसरा प्लान्ट, अस्पताल, स्कूल, क्वार्टर्स सब बनाकर भी ५०० एकड़ जमीन बचती है। तो क्या सरकार इस उपजाऊ जमीन को काश्तकारों को वापिस करने की कृपा करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसका फैसला तो फैक्ट्री वाले ही कर सकते हैं ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

खाद्यान्न का अभाव देखते हुए क्या सरकार बाकी भूमि में फैक्ट्री वालों से या किसानों से खेती कराने की कृपा करेगी जो बेकार पड़ी है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

सिविल लाइंस, मथुरा में हरिजनों के लिये पाइप

*१--श्री लखीसिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिविल लाइन्स, मथुरा में हरिजनों के लिये कोई हैण्ड पाइप लगवाया गया था जिसे किसी व्यक्ति ने गत वर्ष उखड़वा कर अपने घर में लगवा लिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

जी हां, हरिजनों के लिये एक हैण्ड पम्प लगवाया गया था परन्तु उसे किसी व्यक्ति द्वारा गतवर्ष उखड़वा कर अपने घर में लगवा लेने की बात सही नहीं है ।

श्री लखीसिंह--

हैंड पाइप कहां लगवाया गया था और अब वह किस जगह पर है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

मथुरा की सिविल लाइन्स मुहल्ले में लगवाया गया था और सरदार मोहनसिंह के प्लाट पर लगवाया गया था ?

श्री लखीसिंह--

क्या यह हैंड पाइप सरदार मोहनसिंह के घर में लगा हुआ है और अगर हरिजन वहां जाते हैं तो रौंदे जाते हैं और फिर वे मेरे घर से आकर पानी भरते हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

१६ मई, १९६० को यह पाइप लगवाया गया था, उस समय सरदार मोहनसिंह का प्लाट खुला हुआ था । पाइप इसलिये वहां लगवाया गया था कि उसके आसपास बाहर जो हरिजन रहते थे उनको पानी की आवश्यकता थी । इस वक्त मालूम हुआ है कि सरदार मोहन सिंह ने उस प्लाट पर बाउन्ड्री बनवा ली है, इसलिये लगा हुआ पाइप बाउन्ड्री के अन्दर आ गया है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

क्या सरकार सरदार मोहनसिंह की बाउन्ड्री के अन्दर जो नल आ गया है उसको वहां से उखड़वा कर, हरिजनों के उपयोग के लिये बाहर लगवाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

वह नल उखड़वाया नहीं गया है, बाउन्ड्री के अन्दर आ गया है । सरकार इस बारे में जांच करेगी और तब कार्यवाही करेगी ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

जब माननीय मंत्रीजी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि वह पाइप बाउन्ड्री के अन्दर आ गया है तो फिर अब वे किस बात की जांच करायेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस समय सरदार मोहनसिंह मथुरा में नहीं है, मथुरा से बाहर हैं। जांच यह करना है कि जब से वह बाउन्ड्री के अन्दर आ गया तब से हरिजनों को पानी लेने की सुविधा है या नहीं। यदि सुविधा नहीं है और अगर वह हरिजन समिति के धन से बनाया गया था, तो पाइप को बाहर हरिजनों के लिये लगाया जायेगा।

श्री लखीसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी वहीं से आया हूं। वह अभी पंजाब से आया है। उसने बहुत बड़ी कोठी बनायी है उसमें सूचना कार्यालय है, इलैक्शन आफिस है, होम गार्डस् का आफिस है और वह भी उसी मकान में मौजूद है। जिस अफसर ने जवाब दिया है, गलत दिया है।

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

लखनऊ में लड़कियों को अपहरण करने वाला कथित गिरोह

*२—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को मई, १९६४ के अन्तिम अथवा जून के प्रथम सप्ताह में इस प्रकार की सूचना मिली है कि लखनऊ में लड़कियों का अपहरण करके उनका अवैध व्यापार करने वाला एक बहुत बड़ा संगठित गिरोह सक्रिय है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविंदसिंह—

किसी बड़े संगठित ऐसे गिरोह के लखनऊ में सक्रिय होने की सूचना नहीं है जो लड़कियों का अपहरण करके उनके व्यापार में संलग्न हो। प्रश्न के दूसरे भाग पर सरकार द्वारा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*३—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार उक्त गिरोह से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी देने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविंदसिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली जिले में सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) बढ़ाने का सुझाव

*४—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडड़ी (जिला चमोली)—

सीमान्त जिले चमोली में जो ९ विकास खंड हैं, क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि इनमें से केवल दो विकास खंडों में ही सहायक उद्योग अधिकारी नियुक्त हैं ? क्या मुख्य मंत्री शीघ्र ही चमोली सीमान्त जिले के शेष सात विकास खंडों में ए० डी० ओ० (उद्योग) की नियुक्ति की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी नहीं। प्रत्येक सहायक अधिकारी (उद्योग) के अधीन दो विकास-खंड रखे गये हैं। इस प्रकार चमोली जिले के ९ विकास-खंडों के लिये ५ सहायक विकास अधिकारी (उद्योग)

नियुक्त किये गये हैं। इनमें से दो सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं और शेष ३ सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) शीघ्र ही अपने पदों का कार्य-भार संभाल लेंगे।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या सरकार चमोली जिले की औद्योगिक प्रगति से सन्तुष्ट है और क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि चमोली जिले में बड़े न सही तो ग्राम स्तर के भी कौन-कौन उद्योग धंधे कायम किये गये जिनसे लोगों को आत्म-निर्भरता और स्वावलम्बन की प्रेरणा मिली हो या कुछ रोजी-रोटी मिली हो ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह तो सही है कि पहाड़ के सभी क्षेत्रों में उद्योग धंधे कम हैं लेकिन छोटे उद्योग धंधे तो व्यक्ति विशेष ही लगाते हैं। इसलिये जो सहायता नियमानुसार मिलती है वह उनको भी मिलती है। सरकार का काम तो उद्योग धंधे लगाने का नहीं है बल्कि उनको प्रोत्साहन देने का है और वह सरकार कर रही है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

जब चमोली जिले में ९ विकास खंड हैं तो हर एक के लिये डेवलपमेंट आफिसर क्यों नहीं रखे जाते ? दूसरा प्रश्न यह है कि ९ खंड के बदले में आपने ५ ही खंड कर दिया है जिनमें से ३ में अभी नियुक्ति नहीं हुई है, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कब से वह जगह खाली है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, उन अधिकारियों को आदेश गया है, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, वे शीघ्र ही ज्वाइन कर लेंगे।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, पूरे प्रान्त की स्थिति यह है कि दो-दो, चार-चार या पांच-पांच ब्लाक के बीच एक ए० डी० ओ० ग्राम उद्योग रखा गया है, जिससे वे कहीं भी कोई काम ठीक से नहीं देख पाते हैं, तो क्या सरकार इस प्रकार का आश्वासन देने की कृपा करेगी कि प्रत्येक ब्लाक में एक ए० डी० ओ० ग्राम उद्योग नियुक्त किया जायगा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यदि आवश्यकता समझेंगे तो अवश्य किया जायगा।

शाहजहांपुर में औद्योगिक आस्थान के लिये अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*५--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर में इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उसमें कितने काश्तकारों की जमीन ली गई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां, शाहजहांपुर में औद्योगिक आस्थान के लिये विकसित स्थल (Developed Site for Industrial Estates) की स्थापना की जा रही है और उसके निमित्त १६ काश्तकारों की भूमि अध्याप्त कर ली गई है।

*६--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन काश्तकारों की जमीन सरकार ने ले ली है उनको रोजगार दिलाने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

अमुक काश्तकारों को उचित मुआवजा के अतिरिक्त ऋण एवं अनुदान द्वारा छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उनके द्वारा प्रेषित प्रार्थना-पत्र जिसमें औद्योगिक आस्थान में एक प्लाट दिये जाने तथा सहकारी समिति संगठित करने के लिये प्रार्थना की गई है, विचाराधीन है ।

श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने एकड़ जमीन ली गयी है और उसका क्या मुआवजा सरकार दे रही है और यह मुआवजा नकद दिया जायगा या किस्तों में ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

कुल ३० एकड़ जमीन ली गयी है । मुआवजा नियम के हिसाब से जो कलेक्टर तय करेंगे वह दिया जायगा । इसके लिये कानून बना हुआ है और नियमानुसार कलेक्टर ही कम्पेनसेशन तय करते हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

यह देखते हुए कि प्रदेश में खाद्यान्न का बड़ा संकट है और अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता है, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बनाने के लिये काश्तकारों की अच्छी उपजाऊ भूमि न लेकर जो बंजर भूमि पड़ी हो वही ली जाय जिससे उद्योग के साथ साथ खेतिहरों की अच्छी भूमि में उत्पादन भी बढ़ाया जा सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, पैदावार बढ़ाने के काम तो दोनों हैं और सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि वही जमीन ली जाय जो खेती के योग्य नहीं है यदि वह उपलब्ध हो ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन को सरकार ने किस दिन उद्योग विभाग के सुपुर्द किया और अभी तक मुआवजे के कागजात क्यों नहीं बनाये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि उद्योग विभाग को दी गई है या नहीं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स के बारे में अभी हाल में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि छोटे-छोटे उद्योगों की तरक्की नहीं हो रही है और ऐसा लगता है कि उनके लिये कोई योजना नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितनी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स छोटे उद्योगों के लिये वह बनाने जा रहे हैं और किस आधार पर बनाने जा रहे हैं और किस आधार पर शाहजहांपुर में बनाई जा रही हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसका आधार मुख्यतः यह है अमुक स्थान पर कौन उद्योग लगा सकता है, कितनी कहां मांग है, कितना कच्चा माल वहां मिल सकता है, कितने आदमी काम करने के लिये वहां उत्सुक है, पोटेन्शन कितना है ।

श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १६ आदमियों में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सारी जमीनें ले ली गईं और उनको उसके बदले में क्या रोजगार वहां दिलाया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

२ आदमी ऐसे हैं जिन की कुल जमीन ली गई है हालांकि उनके पास बहुत थोड़ी जमीन थी, एक के पास १.६४ एकड़ रही और दूसरे के पास थी .६८ एकड़ और उनको उद्योग के लिये कोई कर्ज या ग्रान्ट जो नियमानुसार दिया जा सकता है हम दे सकते हैं।

श्री जे० पी० मिश्र--

जब यह मुआवजे का कानून काश्तकारों को पैसा देने का बनाया गया था उस वक्त १ रुपये का ३२ सेर जौ मिलता था और गल्ला बहुत सस्ता था, लेकिन आज गल्ला इतना मंहगा हो गया है तो क्या आप मुआवजे की दर को आज के भावों के मुताबिक रिवाइज करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

अभी तक तो जो नियम बने हैं वह उस बात को देखकर बने हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इन औद्योगिक संस्थानों का किराया इतना अधिक है कि वह २०० से ५०० रुपये तक पहुंच जाता है और इसलिये उनको लेने के लिये कोई तैयार नहीं होता ? यदि हां, तो क्या वह हायर परचेज सिस्टम उसमें लागू करेंगे या उनका किराया कम करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसीलिये शाहजहांपुर में हम केवल लैन्ड एक्वायर कर के देंगे और जो कारखाना लगाने वाला होगा वही वहां अपना सब बनायेगा क्योंकि सरकार की इमारतों में कीमत काफी बढ़ जाती है इसलिये विभाग केवल साइट ही दे रहा है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

यह जानते हुये कि इंडस्ट्रीयल स्टेट्स बनाई जाती हैं और उन के लिये जमीन अर्जित की जाती है क्या सरकार कोई ऐसी नीति निर्धारित करेगी कि जिन व्यक्तियों को उस जमीन से हटाया जाता है उनको किसी काम में लगाने की व्यवस्था नीति के रूप में पहले से ही कर देगी और उस के बाद ही कोई जमीन से हटाया जायगा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह तो विचारणीय बात है, अच्छा सुझाव है, इस पर विचार करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कई बार यहां उठ चुका है कि जो नियम मुआवजे क बन हुये हैं वह बहुत पुराने हैं और हमारे आस-पास के जो सूबे हैं वहां बहुत अधिक रेट हैं ? पूरे सूबे में जितने रिक्वीजीशन होते हैं उन में दिक्कत का एक कारण यही है जैसा कि १२९ रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा बरेली में दिया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप उन नियमों में परिवर्तन करना चाहते हैं ? क्या सरकार ऐसा परिवर्तन करेगी जिससे उन्हें सुरक्षा मिल सके ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

एक कमेटी मुकर्रर की गयी है। वह उसको देख रही है।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने कई बार सदन में कहा कि सरकार ने यह हिदायत दी है कि जब कभी जमीन हस्तगत की जाय तो उसका मुआवजा तुरन्त दिया जाना चाहिये। किसानों की जमीन तो ले ली गयी किन्तु सालों से कोई मुआविजा नहीं मिला। इसका क्या कारण है ?

(उत्तर के लिए मंत्री को बुलाया नहीं गया।)

श्री ऊदल--

श्रीमन्, जो कमेटी मुकर्रर हुई थी उसकी बैठक २ साल से अभी तक नहीं हुयी है।

श्री अध्यक्ष--

तो अगर कोई संकल्प आ जाय या कोई बिल आप रखें, तो देख लिया जाय।

सरकस प्रदर्शन को कर मुक्त करने की प्रार्थना

*७--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९६३ से आज तक विभिन्न सरकस कम्पनियों ने अलग-अलग तथा सामूहिक तौर पर सरकस पर लगे मनोरंजन कर को खत्म करने की मांग की है? यदि हां, तो क्या सरकार उनके स्मति-पत्रों तथा प्रार्थना-पत्रों का हिन्दी अनुवाद सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी? क्या सरकार आन्ध्र, महाराष्ट्र आदि राज्यों की भांति सरकस पर से मनोरंजन कर हटाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो इस दैहिक परिश्रम-युक्त कला पर से कर न हटाने का क्या कारण है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

१ जनवरी, १९६३ से ३१ जुलाई, १९६४ तक किसी सरकस कम्पनी ने व्यक्तिगत अथवा सामूहिक तौर पर सरकस पर लगे मनोरंजन कर को खतम करने की मांग नहीं की है। हाल ही में जेमिनी सरकस ने लखनऊ तथा इस प्रदेश के कुछ और शहरों में सरकस प्रदर्शन को कर से मुक्त करने की प्रार्थना की थी परन्तु वह सरकार ने अस्वीकार कर दिया, अतः ऐसे प्रार्थना-पत्रों के हिन्दी अनुवाद को सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता, इस प्रदेश में सरकस पर से मनोरंजन कर हटाने का सरकार का कोई विचार नहीं है क्योंकि विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने पहले ही से सरकस प्रदर्शन पर कर की दर केवल नाम मात्र, यानि १२ १/२ प्रतिशत रखा है जबकि सिनेमा तथा अन्य मनोरंजनों पर कर की दर ६० प्रतिशत है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से सरकस में जानवरों, आदमियों और महिलाओं को मेहनत पड़ती है और चूंकि कर लगाने की वजह से उत्तर प्रदेश में उनकी आमदनी कम हो जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि सरकस वाले अपने जानवरों को खाना कम दे पाते हैं और काम करने वालों को तनख्वाह कम दे पाते हैं। तो क्या सरकार दूसरे प्रान्तों की भांति अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यही बात ध्यान में रखकर हमने कर को केवल १२ १/२ प्रतिशत रखा है जबकि सिनेमा आदि में वह ६० प्रतिशत है।

वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मिसिरपुर, महाराजगंज की जांच

*८--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि पिछले मई महीने में उनको प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित एक पत्र प्राप्त हुआ था कि आजमगढ़ जिले की वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी, मिसिरपुर लिमिटेड, महाराजगंज, आजमगढ़ ने गोकाक मिल, बम्बई से अपने बुनकर सदस्यों से कपड़ा बनवाने के हेतु सैकड़ों गांठ सूत मंगाया और उसको मऊ में चोर बाजार में बेचा तथा कागज में फर्जी बुनकरों से कपड़ा बनवाया दिखाया और फर्जी ही बिक्री दिखा कर पचासों हजार रुपये सरकार से रिबेट लेकर सोसायटी के कुछ पदाधिकारियों ने बांट लिया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां ।

*९--श्री उमाशंकर--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गई और क्या उसका एक विवरण सदन की मेज पर रखेंगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

समिति के कागजात सी० आई० डी० ने अपने अधिकार में ले लिये हैं तथा वह जांच कर रही है ।

*१०--श्री उमाशंकर--

क्या मुख्य मंत्री पिछले चार वर्षों तक जो रिबेट तथा ग्रांट और लोन उक्त सोसाइटी को सरकार की ओर से मिला है उसकी एक सूची तफसील से सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

पिछले चार वर्षों में सोसाइटी को दिये गये रिबेट, लोन तथा ग्रांट का ब्यौरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१५ पर)

श्री उमाशंकर--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सी० आई० डी० ने समिति के कौन कौन से कागजात और कितने दिनों से अपने कब्जे में रख रखे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

सोसाइटी के कागजात सी० आई० डी० ने अपने कब्जे में ले लिए हैं क्योंकि उनको रिपोर्ट की गयी थी कि सोसाइटी के कागजात सही नहीं हैं । कौन-कौन कागजात हैं उनकी फेहरिस्त मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

इस सोसाइटी का सालाना चुनाव हुआ है या नहीं ? यदि नहीं हुआ है तो उद्योग अधिकारी को आप लिखेंगे कि उसका सालाना चुनाव कराया जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है कि चुनाव हुआ है या नहीं हुआ है । अगर नहीं हुआ है तो जरूर लिखा जायगा कि चुनाव कराये जायं ।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--

यह जो रकम ४८ हजार से ज्यादा दी गयी है ऋण और ग्रांट मिला कर चार सालों में तो चार सालों के अन्दर क्या सोसाइटी के हिसाब का आडिट नहीं हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

यह जो मामला सी०आई०डी० को आपने सुपुर्द किया यह कब किया और इसके बाद किन व्यक्तियों को गिरफ्तारियां अमल में लाई गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

अभी सी०आई०डी० की रिपोर्ट नहीं आई है । जब वह रिपोर्ट आ जायगी तब ऐक्शन उस पर लिया जायगा ।

श्री उमाशंकर--

जिन सदस्यों ने इस सोसाइटी के भ्रष्टाचार की शिकायत की है उनको उसके पदाधिकारियों ने गलत या सही इल्जाम लगा कर निकाल दिया है या नोटिस दिया है, तो क्या उस संबंध में फिर से किसी अफसर द्वारा जांच करा कर उनको रिइंस्टेट किया जायगा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यदि ऐसी शिकायत आई तो जरूर करेंगे ।

नारायणलाल जनता टेलरिंग इन्स्टीट्यूट, शाहजहांपुर

*११--श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में कितने टेलरिंग इंस्टीट्यूट सरकार से रजिस्टर्ड तथा मान्यता प्राप्त हैं और उनमें अलग-अलग शिक्षार्थियों की कितनी-कितनी संख्या है ? क्या सरकार नारायणलाल जनता टेलरिंग इंस्टीट्यूट को मान्यता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

शाहजहांपुर जिले में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की ओर से मान्यता प्राप्त केवल एक सिलाई संस्था वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल, लोधीपुर है । वहां चालू वर्ष में ३३ छात्र सिलाई कक्षा में हैं । नारायणलाल जनता टेलरिंग इन्स्टीट्यूट को मान्यता देने के लिये निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उस पर प्राविधिक निदेशालय द्वारा तुरन्त विचार किया जागा ।

झांसी की नई कोतवाली की इमारत में खराबी की जांच

*१२--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी की नई कोतवाली जो करीबन पौने दो लाख रुपये में बन कर तैयार हुई है और बनवाने के बाद ही जिसकी छतें व दीवारें फट गयी हैं उसकी कोई जांच की जा रही है ? यदि हां, तो जांच किस-किस प्रकार की हो रही है व जांच अधिकारी कौन हैं व कब तक जांच पूर्ण होगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां । कथित इमारत के बनने के बाद दीवारों में दरारें पड़ गई थीं और छतों से पानी टपकता था । इसकी जांच मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा कराई जा रही है । अभी यह बताना कठिन है कि जांच कब तक पूर्ण होगी ।

मुख्य मंत्री की नैनीताल प्रेस कान्फ्रेंस पर व्यय

*१३--श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९६४ के अन्त में अथवा जुलाई १९६४ के प्रथम सप्ताह में मुख्य मंत्री की जो प्रेस कान्फ्रेंस नैनीताल में हुई उस संबंध में जित राजकीय अधिकारी नैनीताल गये उनके मार्ग-व्यय तथा अन्य खर्चों पर कुल कितना व्य हुआ ?

नोट--तारांकित प्रश्न १० के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

कुल ४०३ रुपये ३ पै० व्यय हुये ।

*१४---श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या सरकार यह बतायेगी कि जब सभी मुख्य मंत्री राजकीय अधिकारी तथा पत्रकारगण केवल कांफ्रेंस के लिये ही नैनीताल गये तो लखनऊ में ही कांफ्रेंस क्यों नहीं की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

पहाड़ी क्षेत्रों में पत्रकारों की मांग पूरी करने हेतु विशेषतः यह प्रेस सम्मेलन नैनीताल में बुलाया गया था । शासकीय व्यय पर कोई पत्रकार लखनऊ से नहीं गया ।

*१५---श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

पूरी प्रेस कांफ्रेंस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

५९८ रुपये ३ पै० व्यय हुये ।

हरिद्वार-रुड़की-दिल्ली सड़क

*१६---श्री बेदराम (जिला एटा)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिद्वार से रुड़की होते हुये जो सड़क दिल्ली जाती है उस पर हरिद्वार से लगभग ५-६ मील की दूरी पर जो रेत तथा बजरी आदि जमीन से निकल रहा है उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार द्वारा किस प्रकार की जाती है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

सरकार रेत आदि की बिक्री नहीं करती परन्तु ऐसे क्षेत्र जिनमें रेत, बालू आदि निकलती है उनके पट्टे Mining lease U. P. Minor Minerals (concession) Rules, 1963 के अनुसार देती है । इंगित क्षेत्र में नियमानुसार काम करने के बारे में भी जिलाधीश को आदेश दे दिये गये ।

*१७---श्री बेदराम---

क्या यह सत्य है कि उक्त भूमि पर जहां से बजरी निकलती है किसी ऐसे व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर रखा है जो कि ठेकेदारों को सामान नहीं निकालने देता तथा जबरदस्ती खुद बिक्री करता है जिससे कि सरकार की हजारों रुपये की हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर बतायेगी कि पूरा मामला क्या है तथा सरकार द्वारा इस हानि से बचने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

उक्त भूमि पर किसी ने जबरन कब्जा नहीं किया है । श्री बिक्रमाजीतसिंह को ग्राम सभा बहादुराबाद ने जमीन पट्टे पर दी थी । U. P. Minor Minerals (concession) Rules, 1963 के अन्तर्गत इस कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाने की व्यवस्था की जा रही है । जिलाधीश, सहारनपुर को भी यह आदेश दे दिये गये हैं कि ग्राम सभा द्वारा प्राप्त की हुई धनराशि ग्राम सभा से लेकर सरकारी खजाने में जमा कर दी जाय ।

कौंसिल आफ स्पोर्ट्स

*१८---श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब से कौंसिल आफ स्पोर्ट का गठन हुआ तब से आज तक कितने रुपये की सहायता भारत सरकार ने तथा प्रदेशीय सरकार ने इसे

और उन रुपयों का खर्चा किन-किन मदों में अब तक किया गया है और कितने डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट एसोसियेशन हैं जिन्हें इस समिति द्वारा अनुदान दिया गया है और कितने रुपये का ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१९--श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतिवर्ष कितना रुपया खेल के विकास पर एवं कितना रुपया तनख्वाह, टी० ए०, डी० ए० पर खर्च किया गया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

[३ सितम्बर, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

युद्ध में गये अस्थायी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि लाभ

*१--श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

क्या चीनी आक्रमण के बाद राजकीय सेवा के जो अस्थायी कर्मचारी युद्ध-सेवा में गये थे और अब वापस आ रहे हैं उन्हें अपनी युद्ध सेवा का लाभ, वरीयता, वेतन तथा पेंशन में दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसी प्रकार का लाभ द्वितीय युद्ध-सेवा से वापस आये हुये राज-कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जाता ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

राजकीय सेवा के जो अस्थायी कर्मचारी वर्तमान संकट काल में युद्ध सेवा में गये हैं और जो द्वितीय महायुद्ध में गये थे दोनों ही को इनके अनुमोदित युद्ध काल का लाभ उनके असैनिक पद पर वेतन वृद्धि के लिये दिया गया है । वरीयता तथा पेंशन का कोई लाभ न तो द्वितीय महायुद्ध में जाने वाले राजकीय कर्मचारियों को दिया गया था और न वर्तमान संकटकाल में युद्ध सेवा में जाने वाले कर्मचारियों को दिया गया है ।

थाना कोतवाली, फतेहपुर में जमा चोरी के जेवर में गड़बड़ी

*२--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

दिनांक २० फरवरी, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब दिनांक १५ अप्रैल, १९६२ को छः हजार रुपये के जेवरात बरामद हुये उसी दिन रोजनामचा आम में दर्ज हुये, माल के शिनाख्त की रिपोर्ट भेजी गई, मुल्जिम जेल भेजा गया तो फिर उक्त माल को किस नियम के अन्तर्गत दिनांक १५ अप्रैल, १९६२ से ३० मई, १९६२ तक डेढ़ माह कहां गुम रक्खा गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

दिनांक १५-४-६२ को चोरी का माल वादी व उनकी स्त्री के समक्ष बरामद व सील किया गया था । अतः उसकी शिनाख्त की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई । यह माल सर्व मोहर हालत में १५-४-६२ से ३०-५-६२ तक थाने के मालखाने में ही रहा ।

*३--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

उक्त दिनांक २० फरवरी, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब ६ हजार रुपये के जेवरात दिनांक १८ मई, १९६२ से ३० मई, १९६२ तक कोतवाली, फतेहपुर के दैनिक मुआयने

में नहीं मिले तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई और वहां के इंचार्ज द्वारा उसे कहां से लाकर और अपनी मोहर के बजाय श्री हसनउद्दीन हेड कान्सटेबिल कोतवाली की मोहर सील कराके दिनांक ३१ मई, १९६२ को मालखाना सदर में दाखिल करने का रहस्य क्या है, और इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

माल बरामदा सर्ज मोहर हालत में थाने के मालखाने में रक्खा गया और वहीं रहा । केवल दिनांक १८-५-६२ से ३०-५-६२ तक कोतवाली के दैनिक मुआइना रिपोर्ट में इसकी मौजूदगी का उल्लेख नहीं किया गया । इस लापरवाही के लिये थानाध्यक्ष व हेड कांस्टेबिल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप थानाध्यक्ष की चरित्र पंजी में दुश्चरित्र संबंधी लेख (Misconduct entry in the character roll) अंकित की गई और हेड कांस्टेबिल को ६ माह के लिये एक ग्रेड से नीचे (down grade) किया गया ।

*४--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

उक्त दिनांक २० फरवरी, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि--

(अ) मालखाना सदर के हेड कान्सटेबिल ने उक्त जेवरात से संबंधित किस तरह के गलत इन्दराज रजिस्टरों में किये हैं ?

(ब) जब अदालत द्वारा कोतवाली, फतेहपुर का बंडल व मोहरों को ठीक पाकर बंडल खोलने पर सोने के नेकलेस, गुलूबन्द व बुन्दे गुम पाये गये तो बंडल में तीनों जेवरात न रखने वाले कोतवाली के इंचार्ज व अन्य कर्मचारियों के बजाय मालखाना सदर के निर्दोष हेड कांस्टेबिल को निलम्बित करके उसके ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा ४०९/२०१ का मुकदमा क्यों कायम किया गया ?

(स) जब सी० आई० डी० अधिकारी ने मालखाना सदर के कांस्टेबिल का दोष न पाकर फाइनल रिपोर्ट लगा दिया और अदालत ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया तो उसका निलम्बन निर्णय की तिथि से समाप्त न करने और तीनों जेवरात गुम करने वाले कोतवाली फतेहपुर के कर्मचारियों के साथ उसे भी दफा ७ की विभागीय कार्यवाही में घसीटने का मुख्य कारण क्या है ?

(द) तीनों पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के अलग-अलग आरोप क्या हैं ?

(य) तीनों पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का आदेश किस अधिकारी ने कब और किन अधिकारियों को दिया और उन अधिकारियों ने कब और क्या फैसले अलग-अलग दिये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

(अ) हेड कांस्टेबिल इंचार्ज मालखाना ने रजिस्टरों में यह गलत इन्दराज किया था कि माल डबल लाक में दाखिल कराया जब कि वास्तव में ऐसा नहीं किया गया था ।

(ब) हेड कांस्टेबिल इंचार्ज मालखाना सदर द्वारा रजिस्टरों में गलत इन्दराज करने व अन्य अनियमितताएं (irregularities) करने के कारण उन्हें निलम्बित किया गया । जेवर गायब पाये जाने के फलस्वरूप धारा ४०९/२०१ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया परन्तु जांच से यह सिद्ध नहीं हो सका कि आभूषणों की चोरी किसी पुलिस कर्मचारी विशेष ने की ।

(स) मालखाना सदर के कांस्टेबिल का निलम्बन व अन्य कर्मचारियों तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सी० आई० डी० की जांच के फलस्वरूप उनकी त्रुटियों व अनियमितताओं के आधार पर की गई।

(द) तीनों कर्मचारियों के आरोप पत्र की प्रतिलिपियां संलग्न हैं ।

(य) विभागीय कार्यवाही करने का आदेश पुलिस अधीक्षक फतेहपुर ने सी० आई० डी० की जांच के पश्चात् दिया । थानाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की और उन्हें ५ अक्तूबर, १९६३ को आरोप-पत्र दिया । हेड कान्सटेबिल श्री हसन उद्दीन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिये उप पुलिस अधीक्षक श्री के० पी० राय को तथा हेड कान्सटेबिल मालखाना श्री रामनारायणसिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिये उप पुलिस अधीक्षक श्री जे० सी० तलवार को ५-१०-१९६३ को आदेश दिया गया। श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा के चरित्र पंजी में दुश्चरित्र संबंधी लेख (Misconduct entry) दिनाँक २१-११-१९६३ को अंकित की गयी। हेड कांस्टेबिल श्री हसन उद्दीन को दिनांक ३-१२-६३ से ६ माह के लिये एक ग्रेड से नीचे (down grade) किया गया । हेड कांस्टेबिल श्री रामनारायण सिंह के चरित्र पंजी में दुश्चरित्र लेख दिनांक ३-७-१९६४ को अंकित की गई।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३१६-३१८ पर)

कोल्ट जांच समिति की सिफारिशें

*५—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

टिहरी, उत्तरकाशी जिलों के जौनपुर-खाईं क्षेत्र तथा देहरादून जिले के जौनसार बाबर क्षेत्र के निवासी कोल्टाओं तथा अन्य पिछड़े समुदायों की दशा की जांच के लिये सन् १९५९ में जो एक जांच समिति का गठन हुआ था, क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या थीं और किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है और किस सीमा तक उन पर अमल हुआ है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

समिति की मुख्य सिफारिशें समिति के प्रतिवेदन के अध्याय १० (पृष्ठ संख्या ६८-७४) में निहित हैं। सिफारिशों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा विचार कराया जा रहा है। साथ ही केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह जौनसारी (जिनमें कोल्टा भी सम्मिलित हैं) को अनुसूचित आदिम जातियां (Scheu'ed Tribes) मान ले। भारत सरकार का निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः सिफारिशों पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

*६—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या समाज कल्याण मंत्री उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

प्रतिवेदन † की प्रति सदन की मेज पर रक्खी है।

---

†छापी नहीं गई।

बिजनौर मालखाने में जनता से प्राप्त अस्त्र

*७—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित) तथा श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले के सुरक्षा कोष में प्रारम्भ से अब तक कौन-कौन हथियार अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र जनता द्वारा प्राप्त किये गये तथा उनका क्या उपयोग किया गया ? यदि वह बेच दिये गये तो किस व्यक्ति को कितने-कितने मूल्य में बेचे गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बिजनौर जिले में सुरक्षा कोष में प्रारम्भ से अब तक एक पिस्तौल, एक एस० बी० बी० एल० रायफल, एक डी० बी० बी० एल० रायफल तथा चार एस० बी० बी० एल० बन्दूकें जनता द्वारा दी गईं। ये सब शस्त्र मालखाने में जमा हैं।

उपरोक्त में से ५ शस्त्र पहले नीलाम द्वारा बेच दिये गये थे परन्तु बाद में इस शिकायत पर कि शस्त्रों का नीलाम कम मूल्य पर हुआ, नीलाम रद्द कर दिया गया और शस्त्र वापस लेकर मालखाने में जमा कर दिये गये। इस समय ये सब शस्त्र मालखाने में जमा हैं।

श्री गणेशचन्द्र काछी की सुरक्षा के लिये आदेश

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता ने १७ दिसम्बर, १९६३ ई० को माननीय मुख्य मन्त्री को अध्यक्ष विधान सभा के द्वारा और दिनांक १९ दिसम्बर, १९६३ ई० को माननीय मुख्य मन्त्री को स्वयं और दिनांक ३० मार्च, १९६४ ई० को फिर मुख्य मन्त्री को माननीय अध्यक्ष के द्वारा और दिनांक ८ मई, १९६३ को चीफ सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेशीय सरकार को इस आशय के प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि प्रश्नकर्ता ने विधान सभा में उस वक्त के थानेदार महेन्द्र सिंह, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी के विरुद्ध विधान सभा में प्रश्न किये थे जिससे प्रश्नकर्ता के रिश्तेदारों (खानदानियों) का झूठा चालान कर दिया गया जो अदालत से छूट गये हैं और मैजिस्ट्रेट ने फैसले में लिखा है कि गणेशचन्द्र काछी के विधान सभा में प्रश्न रखने से नाराज हो कर अपनी इज्जत को बचाने के लिये सम्भव है इनके खानदानियों का चालान कर दिया गया है अतः थानेदार के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावे जिससे कि विधायकों के हक सुरक्षित रह सकें ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, इस आशय के तीन प्रार्थना-पत्र दिनांक १७-१२-६३, ३०-३-१९६४ और ८-५-१९६४ के प्राप्त हुये हैं।

*९—श्री गणेशचन्द्र काछी—

यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इन प्रार्थना-पत्रों का सम्बन्ध तत्कालीन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मैनपुरी (श्री एन० सी० जैन) द्वारा मुकदमा नं० २४७/६१ धारा ३३२/२२४/२२५/भा० द० वि० सरकार बनाम सोने लाल आदि के निर्णय में पुलिस के विरुद्ध पारित स्ट्रिक्चर्स से था। चूंकि पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन की जांच के परिणामस्वरूप ये स्ट्रिक्चर्स प्रमाणित नहीं हुये और इस मुकदमे के अभियुक्तों के चालान में पुलिस की बदला लेने की भावना भी प्रमाणित नहीं हुई अतः किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। परन्तु पुलिस महा निरीक्षक को यह आदेश दे दिये गये हैं कि वे प्रश्नकर्ता की सुरक्षा तथा उनके रिश्तेदारों (खानदानियों) को तंग (harass) न किये जाने के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था कर दें।

*१०—श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—

[६ ठे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[६ ठे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

कोराव थानाध्यक्ष, श्री रामसुघरसिंह के विरुद्ध शिकायत

*१२—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के कोराव थानाध्यक्ष श्री रामसुघर सिंह द्वारा उसी थाने के ग्राम पचवाह के श्री शीतल प्रसाद कुर्मी से मारपीट कर के ३००, रु० नाजायज वसूल किया गया और उस में से बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत पर वापस कर दिया ? यदि हां, तो उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही क्या की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस आशय की एक शिकायत एस० एस० पी०, इलाहाबाद को प्राप्त हुई थी जो जांच के फलस्वरूप असत्य पाई गई। अतः थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अमीनाबाद, लखनऊ में लड़की के साथ कथित बलात्कार

*१३—श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंगलवार, दिनांक २८ अप्रैल, १९६४ को अमीनाबाद, लखनऊ में स्थित श्री महावीर जी के मन्दिर से वापस जाती हुई किसी लड़की को प्रातःकाल ८ बजे गुन्डों द्वारा जबरदस्ती घसीट कर वहीं तसवीर वाली गली में उक्त लड़की के साथ बलात्कार किया गया जिससे अमीनाबाद के गुन्डों द्वारा नागरिक सुरक्षा बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस प्रकार की घटना होने की कोई सूचना लखनऊ शहर की पुलिस को नहीं प्राप्त हुई है।

*१४—श्री प्रेमसिंह तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक ३० अप्रैल, १९६४ के दैनिक "तरुण भारत" समाचार-पत्र में कोई समाचार छपा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां।

*१५—श्री प्रेमसिंह तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त घटनास्थल से पुलिस चौकी कितनी दूरी पर है तथा पुलिस ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अथवा गिरफ्तारी की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कथित घटना-स्थल से पुलिस चौकी लगभग १०० गज पर है।

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ से समाचार में निर्दिष्ट घटना की पुष्टि नहीं हुई और लड़की अथवा अपराधियों के नाम आदि की भी कोई सूचना नहीं मिली अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*१६--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

[६ ठे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

सीपरी बाजार, झांसी में आग लगने से क्षति

*१७--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सीपरी बाजार, झांसी के बरमाशेल डिपो व उसके पास भयंकर आग दिनांक ८ जुलाई, १९६४ को रात्रि में लगी जिसके कारण सारा शहर खतरे में पड़ गया और पेट्रोल टैंकों में आग लगते-लगते बची? यदि यह सत्य है, तो आग लगने के क्या कारण थे व उससे कितनी हानि हुई? क्या सरकार सीपरी बाजार जैसी घनी आबादी से जनहित में बरमाशेल डिपो को अन्य स्थान पर हटायेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सीपरी बाजार, झांसी के पास स्थित बर्माशेल डिपो में दिनांक ७-७-१९६४ की रात्रि में आग लग गयी थी जिससे आस-पास का हिस्सा खतरे में पड़ गया था, परन्तु आग बुझाने में तत्परता के कारण पेट्रोल टंकों में आग नहीं लग पाई। आग बिजली की चिन्गारी से लगी थी और अनुमान है कि इससे २५,११६ रु० की क्षति हुई। सरकार का बर्माशेल डिपो को उक्त स्थान से हटाने का कोई विचार नहीं है।

*१८-२०--श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)--

[२ सितम्बर, १९६४ को प्रश्न संख्या ५०-५२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

बुढ़वल शक्कर मिल विकास परिषद् द्वारा निर्माण कार्य

*२१--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिलान्तर्गत बुढ़वल शकर मिल विकास परिषद् द्वारा गत तीन वर्षों में कौन-कौन से निर्माण-कार्य किये गये और प्रत्येक निर्माण-कार्य में कितना-कितना व्यय हुआ?

डाक्टर सीताराम--

आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३१९-३२० पर।)

जिला परिषद्, सीतापुर के अध्यक्ष सुरेशप्रकाशसिंह का पिस्तौल

*२२--श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)--

क्या यह सत्य है कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट श्री के० एम० श्रीवास्तव, सीतापुर के न्यायालय से दिनांक १७ अगस्त, १९६२ को मुकदमा सं० १७० में दिये गये निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि जिला परिषद्, सीतापुर के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुरेश प्रकाश सिंह का दिनांक २० जनवरी, १९५७ की रात्रि को ११ बजे से २ बजे के बीच खोया हुआ ३२ बोर का पिस्तौल सं० ७१६६३८ एस्ट्रा (स्पेन) सम्भवतः २१ जनवरी, १९५७ को ११ बजे पूर्वाह्न में कत्ल सहित की गई ट्रेन डकैती में शामिल था और तीन साल बाद २१ जनवरी, १९६० को उसके श्री सुरेश प्रकाश सिंह के पास पहुंच जाने की कहानी बिल्कुल गलत और रहस्यपूर्ण है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त पिस्तौल के रहस्यमय ढंग से खोने, ट्रेन डकैती में उसके सन्देहात्मक उपयोग होने, और ३ वर्ष बाद उसके रहस्यमय ढंग से प्राप्त होने के बारे में कोई जांच बैठाई या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस बारे में अब जांच कराने की कृपा करेगी।

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

वजीरगंज थाने में नारायणपुर ग्रांट का बलवा

*२३--श्री गंगाप्रसाद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १४/१५ जून, १९६४ ई० को नरायनपुर ग्रान्ट, थाना वजीरगंज, जिला गोंडा में डकैती पड़ी थी और दुलारे, पुत्र सरयू कुर्मी डकैती की रिपोर्ट लिखाने थाने में गया, परन्तु उसकी रिपोर्ट डकैती की नहीं लिखी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

ग्राम नरायनपुर ग्रान्ट निवासी श्री दुलारे ने १५ जून, १९६४ के सुबह ४ बजे अपने दरवाजे के सामने हुई घटना की लिखित रिपोर्ट थाना वजीरगंज पर उसी दिन दी थी जिसके अनुसार डकैती की नहीं बल्कि बल्वे का अपराध बनता था। यह रिपोर्ट अंकित करके तदनुसार एक मुकदमा कायम किया गया और इस समय न्यायालय में विचाराधीन है ।

*२४--श्री गंगाप्रसाद--

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त डकैती में श्री रामफेर को डकैतों ने गोली मारी और उसके सारे बदन में छर्रे लगे जिससे उसकी एक आंख भी जाती रही साथ ही तीन-चार आदमियों को लाठी की चोटें भी आयीं और डकैत दरवाजे तोड़ कर घर में घुस कर करीब तीन-चार हजार रुपये का सामान उठा ले गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

उक्त बल्वे की घटना में श्री रामफेर को बन्दूक के छर्रों से तथा अन्य तीन व्यक्तियों को लाठी से चोटें आईं। दरवाजा तोड़ कर अन्दर घुसने और सामान उठा ले जाने की बात न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है और न जांच से सही पाई गई ।

*२५--श्री गंगाप्रसाद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त डकैती के मौके पर जांच करने के लिये कौन-कौन उच्च अधिकारी गये और क्या उनकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सर्किल इंस्पेक्टर ने मौके पर जांच की थी। उन की रिपोर्ट संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३२१ पर)

कुरावली थाने के विरुद्ध जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा आलोचना

*२६--श्री गणेशचन्द्र काछी--

७ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ व ९ के उत्तर और १२ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थानेदार के खिलाफ जांच हो चुकी है या नहीं ? यदि हां, तो उसको क्या दण्ड दिया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन की जांच समाप्त हो गई है। जांच से स्ट्रिक्चर्स प्रमाणित नहीं हुये। अतः किसी पुलिस अधिकारी को कोई दण्ड नहीं दिया गया।

अधिनियमों की भाषा के लिये संयुक्त आयोग

*२७—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानूनी शब्दावली तथा प्रदेशीय कानून हिन्दी में बनाने के सम्बन्ध में सरकार किसी आयोग की स्थापना करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक तथा उसकी पूरी रूप-रेखा क्या होगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राज्य सरकार इस प्रकार के आयोग की स्थापना पर कोई विचार नहीं कर रही है लेकिन इस विषय पर दिल्ली में दिनांक २६ जून, १९६४ को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक केन्द्रीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी। उस बैठक में यह तय हुआ कि चारों हिन्दी भाषी राज्यों के जो अधिनियम अभी अंग्रेजी में है उनका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने के लिए एक संयुक्त आयोग की व्यवस्था की जाय। इस संयुक्त आयोग को बनाने में अभी कुछ समय लग सकता है।

[होमगार्ड स्टाफ अफसर

*२८—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) तथा श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि होम गार्ड स्टाफ अफसरों के पद, जिनका वेतन क्रम २५०-६५० रु० है, सिविल डिफेन्स से स्टाफ अफसरों को देने का निश्चय किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

पांच कैवाल (caval) नगरों तथा मेरठ में होम गार्ड स्टाफ अफसरों का पद २५०-६५० के वेतन क्रम में हैं। इन नगरों में सिविल डिफेन्स के स्टाफ अफसर वर्तमान हैं इसलिये सिविल डिफेन्स तथा होम गार्डस स्टाफ अफसर का कार्य फिलहाल एक ही अफसर को सौंप देने का निश्चय किया गया है। यह निर्णय परीक्षा के तौर पर लिया गया है। इसमें आर्थिक बचत भी होगी।

*२९—श्री सोहनलाल धुसिया तथा श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब आई० पी० एस० एवं यू० पी० पी० एस० के लिये लम्बाई क्रमशः ५ फीट ५ इंच व ५ फीट ४ इंच है तो क्या कारण है कि होम गार्ड अधिकारियों के लिये न्यूनतम लम्बाई ५ फीट ६ इंच रखी गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

होम गार्ड्स की शारीरिक अर्हताओं को मुख्यतः प्रदेशीय पुलिस (नान गजटेड) सेवा पर ही आधारित किया गया है। इसलिये होम गार्ड्स के लिये लम्बाई सामान्य रूप से ५'.६" रखी गई है अतः होम गार्ड्स के स्टाफ अफसरों के लिये भी लम्बाई ५'.६" निर्धारित की गई।

*३०—श्री सोहनलाल धुसिया तथा श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि होम गार्ड के स्टाफ अफसरों के पदों के लिये होम गार्ड के अवैतनिक अधिकारियों को कोई प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई जब कि स्काउट अथवा प्रान्तीय-रक्षा दल आदि को प्राथमिकता दी गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्राथमिकता स्काउट, प्रान्तीय रक्षा दल इत्यादि संगठनों को केवल सदस्यता को नहीं दी गई अपितु इन संगठनों में कम से कम दो वर्ष के वास्तविक अनुभव को दी गई है। चूंकि होम गार्ड्स को संगठित हुए अभी दो वर्ष नहीं हुए अतः उसकी सदस्यता को प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता।

*३१—श्री सहदेवसिंह—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

तरबगंज थाने के श्री गोली का प्रार्थना-पत्र

*३२—श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोली, पुत्र औतार कोरी, ग्राम इन्द्रापुर, थाना तरबगंज, जिला गोंडा, का प्रार्थना-पत्र श्री महादेव सिंह इत्यादि के विरुद्ध दिनांक २८–२९ जुलाई, १९६४ के लगभग प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, श्री गोली का उक्त आशय का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था।

उक्त पत्र में अंकित आरोपों के बारे में जांच कराई गई। चूंकि दोनों पार्टियों ने आपस में समझौता कर लिया अतः पुलिस द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही। फिर भी संबंधित थानाध्यक्ष को हिदायत कर दी गई है कि वह इस विषय पर नजर रखें।

बुलन्दशहर गन्ना विकास समिति के फर्टीलाइजर्स

*३३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह सत्य है कि बुलन्दशहर गन्ना विकास समिति में कई-कई वर्ष पुराने उर्वरकों (फर्टीलाइजर्स) को जो कि पुराने होने के कारण बेकार हो गये हैं कृषकों को दिया जा रहा है ? यदि ऐसा है, तो क्यों और इसका कौन जिम्मेदार है ?

डाक्टर सीताराम—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास समिति बुलन्दशहर में कितने-कितने वर्ष पुराने और कौन-कौन से फर्टीलाइजर कितनी-कितनी कीमत के स्टाक में मौजूद हैं ?

डाक्टर सीताराम—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

लखनऊ में हरिजनों के लिये पोलीटेक्निक

*३५—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार लखनऊ में हरिजनों के लिये जो पोलीटेक्निक खोले जाने की योजना सरकार ने बनाई है उसके संबंध में यह बताने की कृपा करेगी कि :

(१) उक्त विद्यालय में छात्रों के प्रवेश का आधार क्या होगा,

(२) पाठ्य-क्रम क्या होगा तथा कितने वर्ष का होगा ?

(३) छात्रों को वजीफा दिया जायगा या नहीं ? यदि हां, तो कितना ?

(४) छात्रों के प्रवेश में क्या जिलों का कोटा निर्धारित किया जायगा ? यदि हां, तो कितना ?

(५) उत्तीर्ण छात्रों को क्या अनिवार्य रूप से नौकरी की व्यवस्था की जायगी ?

डाक्टर सीताराम—

यह पाली-टेक्निक भारत सरकार की कौंसिल आफ टेक्निकल एजूकेशन के अन्तर्गत स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन द्वारा स्वीकृत डिप्लोमा स्तर की शिक्षा देगा। प्रवेश का आधार एवं पाठ्यक्रम उक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है।

(१) प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यता विज्ञान और गणित के साथ द्वितीय श्रेणी में हाईस्कूल पास रखी गई है।

(२) सिविल, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा स्तर का अन्य सभी पालीटेक्निकों के लिये बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष है।

(३) जी हां। छात्रावास में रहने वालों को ६५ रुपया तथा अन्य छात्रों को ५० रुपया प्रतिमास।

(४) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(५) जी नहीं।

*३६-३७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३८—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

प्रशिक्षण केन्द्रों में एटा जिले के विद्यार्थी

*३९—श्री बेदराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा से उत्तर प्रदेश में चलने वाले बक्शी के तालाब, नैनीताल, गोरखपुर के प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये कितने विद्यार्थी सन् १९६३ में मांगे थे?

डाक्टर सीताराम—

तीनों प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये १९६३-६४ के शैक्षिक सत्र के लिये एटा जिले से १६ विद्यार्थियों के नाम मांगे गये थे।

*४०—श्री बेदराम—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि एटा जिले में इसके लिये बनी कमेटी द्वारा किन-किन विद्यार्थियों को भेजने की सिफारिश की गई थी और किन-किन विद्यार्थियों को उक्त केन्द्रों द्वारा लिया गया?

डाक्टर सीताराम—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३२२ पर)

*४१-४२—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[हटा दिये गये।]

*४३-४४—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४५-४७—श्री उमाशंकर तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

[२४ अगस्त को प्रश्न संख्या ४४-४६ के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं ।]

*४८—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

[६ठे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

थाना बाजार शुक्ल में चोरियां

*४९—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना बाजार शुक्ल (सुल्तानपुर) में सन् १९६३-६४ में कितनी चोरी तथा डकैतियां हुईं और कितनी घटनाओं पर मुकदमा कायम किया गया और उनका परिणाम क्या निकला ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

डकैती की कोई घटना नहीं हुई । ७० चोरियों की रिपोर्टें हुईं तथा उन सभी पर मुकदमा कायम किया गया । ६२ मुकदमों में जांच की गई जिनमें से १२ मुकदमें न्यायालय भेजे गये और ५० में फाइनल रिपोर्ट लगी । शेष ८ मुकदमों में जांच नहीं की गई । न्यायालय में भेजे गये मुकदमों से ४ सजायाब हुये, ४ छूट गये तथा ४ अदालत के विचाराधीन हैं ।

*५०—श्री इन्द्रासनसिंह—

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

उन्नाव अचलगंज सड़क पर अवैध शराब पकड़ना

*५१—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार को पता है कि ३ जून, १९६४ को श्री मुनीर आदि ५ होमगार्ड के स्वयंसेवकों और पुलिस लाइन, उन्नाव के कांस्टेबिल श्री बृजमोहन सिंह सेंगर जब तक गश्त में थे उन्नाव अंचल-गंज रोड पर बाबा खेड़ा के पास दो बड़े ड्रम अनधिकृत शराब दो रिक्शों पर ले जाते हुये एक व्यक्ति को पकड़ा, परन्तु मामले को कोतवाली पुलिस ने दबा दिया है ? क्या मुनीर आदि ने इस संबंध में एक आवेदन-पत्र भी अधिकारियों के पास भेजा ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, दिनांक ३/४ जून, १९६४ की रात्रि में श्री मुनीर आदि ५ होमगार्ड के स्वयं सेवकों एवं कांस्टेबिल बृज मोहन सिंह ने २ व्यक्तियों को दो ड्रम शराब सहित पकड़ा था किन्तु मामले को कोतवाली पुलिस ने दबा नहीं दिया है, दोनों अभियुक्तों का धारा ६० आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत चालान किया जा चुका है ।

मुनीर आदि का कोई प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

*५२—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या गृह मंत्री को यह भी पता है कि कोतवाली पुलिस ने गश्त वालों के न मानने पर पकड़ी हुई शराब के ड्रम बदल दिये गये और दूसरे ड्रम रख दिये गये जिनके नम्बर पकड़े गये ड्रमों के नम्बरों से नहीं मिलते ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पकड़ी हुई शराब के ड्रम बदले नहीं गये ।

*५३-४५--श्री गिरजाप्रसाद--

[६वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ५०-५१ के अन्तर्गत स्थान्तरित किये गये ।]

सचिवालय का अधीनस्थ विभागों से हिन्दी में पत्र-व्यवहार

*५५--श्री रघनार्यसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सभी सचिवालयों से जिले के अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को विभिन्न कार्य क्रमों के निर्देश और अन्य आवश्यक आज्ञायें और सूचना सब कुछ हिन्दी भाषा में भेजा जाता है ? यदि नहीं, तो वे कौन-कौन विभाग हैं, जो अब भी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

राज्य सचिवालय के अधिकांश विभागों से जिले के अपने अधीनस्थ कार्यालयों को विभिन्न कार्यक्रमों के निर्देश और अन्य आवश्यक आज्ञायें तथा सूचनायें यथासंभव हिन्दी भाषा में भेजी जाती हैं ।

न्याय, लेखा तथा अन्य टेकनिकल विषयों से संबंधित विभागों में आवश्यकतानुसार अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है ।

*६५--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किये गया ।]

५७--श्री राधेश्याम शर्मा--

[हटा दिया गया ।]

पूर्वी जिलों में लेदर ट्रेनिंग स्कीम

*५८--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मुख्य मंत्री दिनांक ३० जुलाई, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग में कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारी हैं तथा केवल ५८ ही पदों को क्यों स्थायी किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस विभाग में कुल ४ अधिकारी व २४७ कर्मचारी हैं जिनमें से केवल ६४ टेकनीकल (technical) पदों को अभी तक स्थायी न करने का कारण यह है कि चर्म शोधन योजना के अंतर्गत गठित समितियां ज्योंही स्वावलम्बी हो जायेंगी, कर्मचारियों में कमी की जावेगी ।

रासायनिक खाद का कारखाना

*५९--श्री महरार्मसिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुछ और रसायनिक खाद के कारखाने खोलने की योजना के संबंध में प्रदेशीय सरकार से विचार विमर्श किया है ? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां कारखाने खोलने की योजना विचाराधीन है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार के बीच एक और रासायानिक खाद का कारखाना इस प्रदेश में खोले जाने के संबंध में विचार विमर्श हुआ है । प्रस्तावित कारखाने की

स्थापना के लिये भारत सरकार चुनार पिपरी रेलवे लाइन पर स्थित पनारी स्थान पर विचार कर रही है।

ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट होमगार्ड का दौरा

*६०—श्री सहदेवसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस समय २७ और २८ मई, १९६४ को स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू के निधन पर सभी कार्यालय बन्द थे तो उस समय इलाहाबाद होम गार्ड आफिस का निरीक्षण प्रशासकीय समादेष्टा होम गार्ड ने किस की आज्ञा से किया और बटालियन २ के कमान्डेन्ट को किस कारण सेवा से मुक्त किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २७ मई, १९६४ को करीब ३ बजे जब श्री नेहरू जी के निधन का दुखद समाचार मिला, उसी समय होमगार्ड कार्यालय इलाहाबाद का निरीक्षण प्रशासकीय समादेष्टा ने स्थगित कर दिया तथा २८ मई, १९६४ को कार्यालय बन्द रहा।

बटालियन नं० २ के कमान्डेन्ट को सेवा से मुक्त नहीं किया गया।

*६१—श्री सहदेवसिंह—

क्या सरकार यह बतायेगी कि मई–जून, १९६४ के अन्तर्गत कमान्डेन्ट होम गार्ड ने लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद का दौरा किन–किन तारीखों में किया है और क्या यह सच है कि उक्त तिथियों में उक्त अधिकारी ने अपनी कार से यह दौरा किया और सरकार से उसका भत्ता लिया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट होम गार्ड ने लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ व इलाहाबाद का दौरा २२ मई से ३० मई, १९६४ तक निजी कार द्वारा किया और उन्हें नियमानुसार भत्ता दिया गया। उन्होंने इन जिलों का कोई दौरा जून, १९६४ में नहीं किया।

*६२—श्री उमाशंकर—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६३—श्री काशीनाथ मिश्र—

[हटा दिया गया।]

विधायक पर पाकिस्तानी नागरिक होने का आरोप

*६४—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर), श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) तथा श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३ अगस्त, १९६४ को विधान सभा में जनसंघ दल के उपनेता ने अपने भाषण में एक विधायक पर यह आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान के नागरिक हैं तथा पास्कितान में उनके नाम एक मकान एलाट हुआ है ? क्या सरकार ने इस आरोप की जांच कराई है ? यदि हां, तो सरकार की रिपोर्ट क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सरकार इस बारे में वास्तविकता का पता लगा रही है। अभी तक कोई निश्चित तथ्य सामने नहीं आया है।

*६५-६६—श्री कल्पनार्थसिंह—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

घनघटा थाने में रपट लिखाने में कठिनाई

*६७—श्री श्यामलाल—

क्या गृह मंत्री को पता है कि बस्ती जिला, थाना घनघटा में रपट की लिखाई पन्द्रह रुपये ली जाती है और गरीबों के ऊपर जारहाना जुल्म होते हैं जैसे मारपीट, राहजनी, अस्मत का लूटना, पर इतना रुपया न होने के कारण वे उक्त थाने में रपट नहीं लिखा पाते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं । यह सही नहीं है ।

*६८-६९—श्री लखपतराम शर्मा—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों का स्थायित्व न होना

१—श्री गणेशचन्द्र काछी—

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६४) के ३ रे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ५ जिलों के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट आचरण और काम की खराबी के कारण कनफर्म नहीं किये गये हैं उनमें से काम की खराबी के कारण से किन-किन को कनफर्म नहीं किया गया है और आचरण की खराबी से किन-किन को कनफर्म नहीं किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सर्वश्री निशीथ कुमार राय, मूल चन्द और नरेन्द्र कुमार भार्गव को काम की खराबी के कारण तथा सर्वश्री स्वामी सरन सक्सेना और पूरन चन्द को आचरण की खराबी के कारण कनफर्म नहीं किया गया । श्री पूरन चन्द के विरुद्ध आरोप निराधार सिद्ध हुए और इनको अब कनफर्म किया जा रहा है ।

कठकुइयां-नगरानी सड़क

२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला की कठकुइयां गन्ना विकास समिति ने कठकुइयां द्वारा सेखुआनियां सपहा सड़क को ५ वर्ष पूर्व से ही निर्माण की योजना बनाई थी और उसके लिये रुपया भी जमा किया था ? यदि हां, तो निर्माण क्यों नहीं हुआ और वह सड़क कब तक बन जायगी ?

डाक्टर सीताराम—

द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में गन्ना विकास परिषद्, कठकुइयां ने कठकुइयां-नगरानी सड़क बनाने की योजना बनाई थी तथा रुपया भी जमा किया गया था परन्तु कृषकों ने सड़क के लिये आवश्यक भूमि देना स्वीकार नहीं किया अतः सड़क नहीं बनाई जा सकी । अब उसके स्थान पर एक अन्य सड़क बनाने का प्रस्ताव है ।

३—श्री श्रीराम—

[हटा दिया गया ।]

४–६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

[६ठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ९–११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

७–९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १–३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

सोरों क्षेत्र में सड़कें

१०—श्री बेदराम—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सोसायटी द्वारा जिला एटा ब्लाक सोरों में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सी० सी० ट्रक सड़कों के निर्माण हेतु कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो उनमें कितने मील सड़क कहां से कहां तक की बनाई गई है और शेष जो बनन को है वह कब तक बन जायगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

रेडियो स्टेशन आफिसर, श्री डानियल वाल्टर को पेंशन

११—श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख १ जुलाई, सन् १९६३ को यू० पी० पुलिस, रेडियो सेक्शन, लखनऊ से कितने कर्मचारी रिटायर्ड हुये ? उनमें कितनों को पेंशन दी गई और कितनों को अब तक नहीं मिली ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

केवल एक कर्मचारी, रेडियो स्टेशन आफिसर, श्री डानियल वाल्टर रिटायर हुए, जिन्हें पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है ।

हसनपुर से श्रीमती शाहजहां बेगम का पत्र

१२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती शाहजहां बेगम बेवा अजीज मोहम्मद खां, निवासी कस्बा हसनपुर, जिला मुरादाबाद ने क्या कोई प्रार्थना-पत्र अपने पुत्र शमीम अहमद खां के कत्ल के संबंध में ५, ६ या ७ अप्रैल, सन १९६१ ई० को गृह मंत्री को दिया था ?

१३—क्या सरकार इस संबंध में बताने की कृपा करेगी कि शाहजहां बेगम ने अपने इस पत्र, में पुलिस थाना हसनपुर, जिला मुरादाबाद, सिविल सर्जन, मुरादाबाद और ए० पी० पी० के विरुद्ध क्या-क्या गम्भीर आरोप लगाये थे और उन आरोपों की मंत्री जी ने कोई जांच करवाई ? यदि कोई जांच नहीं करवाई, तो क्यों नहीं करवाई ? क्या अब वह उन आरोपों की जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस संबंध में ७–४–६१ को गृह मंत्री को श्रीमती शाहजहां बेगम का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था इसके पूर्व ७–१–६१ का भी उनका एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें थाना हसनपुर की पुलिस, सिविल सर्जन तथा ए० पी० पी० के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे जिनका विवरण संलग्न है । इस संबंध में की गई जांच से किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं पाई गई ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३२३ पर)

१४–१६ श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिया गया ।]

१७—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

[हटा दिया गया ।]

मुहम्दाबाद ब्लाक में हबूड़ा कालोनी

१८—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में मुहम्दाबाद ब्लाक के अन्तर्गत मदनपुर में हबूड़ा कालोनी बनाने के लिये कितना रुपया सरकार द्वारा दिया गया तथा उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया ?

डाक्टर सीताराम—

७२,००० रुपया ।

इसका निर्माण ग्राम सभा, मदनपुर द्वारा कराया जा रहा है ।

फेयर प्राइस शाप्स इंक्वायरी कमेटी के क्वेश्चनेयर के संबंध में जानकारी

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, पिजन होल्स में हम लोगों को एक क्वेश्चनयर मिला है फेयर प्राइस शाप्स इंक्वायरी कमेटी की ओर से जिसमें क्वेश्चंस के उत्तर हम लोगों को देने के लिये कहा गया है। इसमें लिस्ट में विधानसभा के समस्त सदस्य, विधान परिषद् के समस्त सदस्य, लोक सभा में उत्तर प्रदेश के समस्त सदस्य, नगर प्रमुख व उप नगर प्रमुख, समस्त अध्यक्ष नगर पालिका तथा जिला परिषद् और समस्त अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक पोलिटिकल पार्टीज का संबंध है इसमें केवल अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी को ही क्यों रखा गया है और दूसरी पार्टीज के अध्यक्ष क्यों नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—

दया शंकर जी, मैं इसको देख लूंगा। कमेटी ने कदाचित यही मुनासिब समझा होगा कि इन्हीं लोगों से दरियाफ्त किया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

इसमें ब्लाक प्रमुख को और जोड़ दिया जाय, यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष—

आप कमेटी को लिख कर भेज दीजियेगा। मैं यह समझा था कि यह प्रश्नावली सरकार की तरफ से वितरित हुई है लेकिन यह कमेटी की तरफ से हुई है।

राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को सौंपे गये प्रश्न के विषय में श्री अध्यक्ष द्वारा मांगी गई पुस्तकों को न्याय विभाग के न देने आदि के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, आप इस संदर्भ में मुझसे मिल लें, जो विशेषाधिकार का प्रश्न आपने उठाया है.....

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मिलने का प्रश्न बाद में पैदा होगा। नियमों के अनुसार यह समय के अन्दर है। न्याय मंत्री, न्याय विभाग तथा मुख्य मंत्री ने सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना की है और सदन का अवमान किया है। यह बात बिलकुल स्पष्ट है। हमारे कार्य में बाधा डाली गयी है। अपमान हुआ सदन का। उसके संबंध में जब सुप्रीमकोर्ट में केस चल रहा था तो उसके लिये आपने कुछ किताबें मांगीं। लेकिन न्याय मंत्री ने, न्याय विभाग ने वह किताबें नहीं दी और मुझे मालूम है कि मुख्य मंत्री तक फाइल गई और उन्होंने आदेश दिया कि यदि डुप्लीकेट कापी हो तो दे दी जाये। इस सारे सदन ने, इस कमेटी ने यह सारा केस आपको दिया कि इसकी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की जाये। इस संबंध में आपने कुछ किताबें चाहीं, लेकिन न्याय विभाग ने जानबूझकर वह किताबें उपलब्ध नहीं होने दीं। मुख्य मंत्री ने लिखा कि डुप्लीकेट कापी दे दी जाये। इस सदन का जो निश्चित मत था उसमें इसपर बाधा उपस्थित की। यह बड़ा सीधा, महत्वपूर्ण और अरजेन्ट मैटर है और न्याय मंत्री ने, न्याय विभाग ने और मुख्य मंत्री ने इसमें आब्स्ट्रक्ट किया। मेज पार्लियामेण्टरी प्रैक्टिस के पेज ११३ पर लिखा है :—

To prevent, delay, obstruct or interfere with the execution of the orders of either House or Committees of either House is a contempt of such House."

श्रीमन्, पार्लियामेण्टरी डिक्शनरी में भी है, यह इसमें स्पष्ट है कि कोई आब्स्ट्रक्ट करे या डिले करे तो यह इस सदन का अवमान है। आप इस सदन के अफसर हैं और आपने तो यहां तक व्यवस्था दे दी है कि आप इस सदन के सर्वेन्ट हैं और इस सदन ने एक कमेटी बनाई जिसकी आपने घोषणा की और आप उसके चेयरमैन थे। सारा मामला सुप्रीम कोर्ट की जूडीशियरी ने जानबूझकर बिना आपकी सलाह लिये, बिना आपके सेक्रेटरी और सरकार की सलाह लिये प्रेसीडेन्ट को रेफर करा दिया। हमारे वकील ने भी कहा कि यह हमारा केस नहीं था, यह रेफरेन्स जो हुआ है वह न्याय विभाग की तरफ से गलत हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

यह विषयान्तर हो रहा है।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं उसकी भूमिका दे रहा हूं। इस न्याय विभाग ने, न्याय मंत्री ने और मुख्य मंत्री ने, जिनकी अध्यक्षता में जो यह कैबिनेट है, उसने हमारे केस को आब्स्ट्रक्ट किया ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में पैरवी न कर सकें। हमें किताबें नहीं मिलने दीं। हमारा केस था कि सदन को यह अधिकार है कि कन्टेम्प्ट में हम किसी भी सज्जन को सजा देना चाहें तो दे दें और न्यायालय को उसे एक्जामिन करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसके विपरीत जूडीशियरी विभाग ने कार्यवाही की और केस को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करवा दिया। यह उनकी साजिश और कान्सपिरेसी थी। आप मुझे, माननीय सदन को और माननीय नवल किशोर को सुन लें और आपने स्वयं २६ तारीख को जो दिल्ली में मीटिंग की थी....

श्री अध्यक्ष—

यह गलत है।

श्री नेकराम शर्मा—

अच्छा, बहुत सही, यह प्राइवेट बात है तो मैं नहीं कहूंगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि आप इसमें अपना क्या निर्णय देने वाले हैं....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा--

इस बात से सदन का अपमान हुआ और माननीय नवलकिशोर जी अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय नेकराम शर्मा जी ने आपकी निजी जानकारी को आधार बनाया तो उसके बाद भी किसी सदस्य को सुनने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

जान लूं, वह क्या कहना चाहते हैं ।

श्री नेकराम शर्मा--

तो मैं अर्ज कर रहा था, मान्यवर, एक ईशू यह है कि कुछ किताबें जुडीशियरी डिपार्टमेंट से मांगी गईं, वह किताबें क्यों नहीं मिलीं, यह भी मेरे पास एक ईश्यू है कि प्रेसीडेन्ट को रेफरेन्स करना गलत था या सही था ।

श्री नवलकिशोर--

प्रेसीडेंट का रिफ्रेन्स गलत था, सही था, किसने तैयार किया था वह अपनी जगह पर दूसरा ईश्यू है । जब तक सुप्रीम कोर्ट की इस पर कोई फाइंडिंग न हो जाय तब तक माननीय नेकराम जी इस मसले को न उठायें तो अच्छा होगा क्योंकि वह चीज बहुत इम्मेच्योर है । उन्होंने स्वयं कहा है कि मुख्य मंत्री जी ने आदेश दे दिये कि किताबें दे दी जायं ।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरी सूचना है कि उन्होंने आदेश दिये कि अगर डुप्लीकेट कापी हो तो दे दी जाय, यह गलत भी हो सकती है ।

श्री नवलकिशोर--

अगर यह बात सही है तो इसके बाद मुख्य मंत्री विशेषाधिकार में कहां से आ जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने सुन लिया और जैसा कि मैंने निवेदन किया, मैं माननीय नेकराम शर्मा को बुलाना चाहता था । मैंने रिकार्ड नहीं देखा है कि क्या हुआ ? उसको मैं देखना चाहता हूं ।

श्री नेकराम शर्मा--

देख लीजिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेकराम शर्मा जी को किताबें न दिखाने का कष्ट हो रहा है । क्या कोई सूचना मिल गई है कि सुप्रीम कोर्ट से आप केस हार गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इस समय कोई भी नहीं समझता है कि हम मुकदमा हार जायेंगे ।

आजमगढ़ तथा बलिया जिलों में घाघरा नदी से भीषण कटाव के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरे पास दो आये हैं। मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो नहीं, लेकिन नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय रामसुन्दर पांडेय की सूचना को स्वीकार किया है। कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में इसलिये स्वीकार नहीं किया है कि घटना की केवल सम्भावना लिखी है कि ऐसी होगा। लेकिन विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहूंगा कि इस पर मंत्री जी का बयान हो जाय। मैं इसको पढ़े देता हूं। वह निम्न प्रकार है :--

"मैं निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर आपकी आज्ञा से कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं--

आजमगढ़ तथा बलिया जिले की सीमा पर घाघरा नदी का भीषण कटाव प्रारम्भ है। बाढ़ को रोकने के लिये लाखों रुपया व्यय करके सरकार द्वारा बंध बनाये गये हैं, उस पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही बंध के कट जाने के बाद लाखों एकड़ खेती की भूमि तथा करोड़ों की सम्पत्ति के नाश होने की सम्भावना उत्पन्न हो गई है। सरकार द्वारा कटाव को रोकने के लिये बल्लियों के बंडल बनाये जा रहे हैं। वह भी नदी के प्रवाह में विलीन हो गये और संबंधित इंजीनियर की अकर्मण्यता एवं लापरवाही से ऐसा हुआ है। हाहा नाला तथा श्रीनगर बंध खतरे में है। इस प्रकार की स्थिति से आजमगढ़ तथा बलिया जिले के लाखों जनों में असंतोष एवं भय व्याप्त है और सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति की सर्वत्र भर्त्सना की जा रही है और क्रोध एवं क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया है।" मंत्री जी कब इस पर वक्तव्य देंगे ?

विद्युत् उपमंत्री-(श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

मंगल को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष--

मंगल को बयान होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, बदायूं के सिलसिले में हमने भी दिया था। वहां भी हड़ताल चल रही है और लाठी चार्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सब पर लिख दिया है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय केशरीप्रसाद पांडेय की है। यह कोई हाल की घटना नहीं है। दूसरी बात यह है कि यह केन्द्रीय विषय है। लेकिन मैं इसको मुख्य मंत्रीजी के पास भेज रहा हूं कि इसके ऊपर क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, कानपुर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको श्री कैनेडी ने जवाहरलाल जी की बर्थ डे पर दिया था। इसमें ९ करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है, ३ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। इसमें ३० लाख रुपये का गबन है और हर तरह की बदमाशियां की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह शब्द अनुचित है। इसका प्रयोग न करें तो अच्छा है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय----

तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वह यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जो इसकी अध्यक्ष हैं और उनके अध्यक्ष रहते हुये इतना बड़ा गड़बड़ घुटाला है। इससे हमारा प्रदेश का नाम देश और विदेश में कलंकित हो रहा है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे स्वयं इसकी जानकारी हासिल करेंगी और एक जांच कमेटी की आवश्यकता समझ कर बनावेंगी जिससे उस पर जांच पड़ताल हो जावे और स्थिति स्पष्ट हो जावे ?

श्री अध्यक्ष--

इसीलिये तो उनके पास भेजा है। आप चाहें तो अलग से प्रश्न कर लें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय किशोरी लाल जी अग्रवाल, माननीय रक्षपालसिंह जी, माननीय मेवालाल जी, माननीय सत्यनारायण जी पांडेय के प्रस्तावों को खाद्य मंत्री के पास भेजा गया है कि वे अपने साप्ताहिक वक्तव्य में इनको भी सम्मिलित कर लें।

एक, कुंवर श्रीपालसिंह जी का है। उसके ऊपर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि वेतन अभिनवीकरण समिति राज्य में स्थापित हुई है। इस समिति ने एक प्रश्नावली जारी की है। यह समिति तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से भी सम्बन्धित है, लेकिन प्रश्नावली की जितनी प्रतियां वितरित की गयी हैं और छपाई गई हैं वे केवल अंग्रेजी में हैं। उनका आग्रह है कि वह हिन्दी में होनी चाहिये थीं, अंग्रेजी में नहीं।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

उनके लिये हिन्दी में देना चाहिये था। उन्होंने गलत काम किया है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

हमने एक नियम ५२ का भेजा था.....

श्री अध्यक्ष--

एक बात मेरी सुन लें, बैठ जायं। जितने नियम ५२ के अन्तर्गत आये थे उनके महत्व पूर्ण होते हुये भी चूंकि मैंने एक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा और उसे स्वीकार कर लिया है तो मजबूरी है, दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा था। आपने न तो उसके बारे में कोई जिक्र किया है और न बताया कि आपका क्या निश्चय है। चुनाव आ रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मायर जी, अभी एक वक्तव्य हो रहा है। इसी विषय पर जो प्रश्न उठाया जा चुका है उसके बाद और वक्तव्य जो अभी होगा उसके बाद यह प्रश्न महत्व का नहीं रह जाता।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

माननीय अध्यक्ष जी, बदायूं वाला मामला बड़ा गम्भीर हो रहा है....

श्री राधेश्याम शर्मा--

मेरे प्रश्न को लिया जाय, उसमें एक नवजवान.....

श्री अध्यक्ष--

आपने दो बातें अपनी सूचना में लिखीं हैं। एक तो यह कहा है कि कहा यह जाता है कि एक आदमी पर किसी मंत्री की कार चढ़ी.....

श्री राधेश्याम शर्मा--

पहले मेरा पूरा पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

यह आपका निश्चित विषय का नहीं है इसलिये मैं इसे नियम ५२ के अन्तर्गत अस्वीकृत करता हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

बदायूं वाले मामले की गम्भीरता.....

श्री अध्यक्ष--

अब उसे देखेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

वहां बड़ी गम्भीर दशा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राधेश्याम जी का आक्षेप गलत या सही है। उनका आरोप है कि दाऊदयाल जी खन्ना....

श्री अध्यक्ष--

आपने उसे पढ़ा नहीं है। आप आ जाइये, आपको मैं दिखला दूंगा।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--

मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपसे कहा था कि दोपहर को मुझसे बातचीत कर लीजियेगा। इस समय यह प्रश्न आपको नहीं उठाना चाहिये।

श्री भगवानसहाय--

आपने इसको रिजेक्ट कर दिया या ओपेन रखा है ?

श्री अध्यक्ष--

अपाकी क्या मंशा थी ? आपने प्रार्थना की थी कि आप इसको पेंडिग रखिये ?

श्री भगवानसहाय--

जी हां।

श्री अध्यक्ष--

तो फिर यहां क्यों उठाते हैं ?

गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन के संबंध में चुनाव ट्रिब्युनल के निर्णय के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने श्री चन्द्रमोहन निगम को कमिश्नर के रूप में इसलिए पुरस्कार स्वरूप तरक्की दी कि उन्होंने संसद के चुनाव में भ्रष्टाचार का प्रयोग करके श्री राम रतन गुप्त को श्री एन० डांडेकर के विरुद्ध सफलता दिलाई ।

यद्यपि निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अभी मेरे पास नहीं आई है लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि यह निर्णय निर्वाचन न्यायाधिकरण (Election Tribunal) ने वादपद (issue) नं० १० में दिया है जो कि इस प्रकार है:

क्या निर्वाचन अधिकारी ने शासकीय कर्त्तव्य की कोई अवहेलना की ? क्या उससे निर्वाचन के परिणाम पर कोई सारभूत प्रभाव पड़ा है ?

समाचार पत्रों के अनुसार न्यायाधिकरण ने यह पाया कि निर्वाचन के समय श्री निगम के खिलाफ विभागीय आरोप विचाराधीन थे, किन्तु चूंकि वह भ्रष्ट तरीकों को काम में लाकर श्री राम रतन गुप्त को सफल बनाने में सहायक हुये थे इसलिये उन्हें निर्वाचन समाप्त होने के बाद नवम्बर, १९६२ में पुरस्कार स्वरूप तरक्की देकर फैजाबाद डिवीजन का कमिश्नर बनाया गया, यद्यपि पहले वह अतिक्रमित हो चुके थे ।

न तो सरकार और न श्री निगम ही इस मामले में फरीक थे । न उन्होंने और न सरकार ने इस न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य दिया और न वे अन्य प्रकार से उसके समक्ष हाजिर हुये । मुझे राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी (Law Officer) द्वारा यह भी परामर्श दिया गया है कि सरकार के विरुद्ध न्यायाधिकरण का यह निर्णय न तो उनके समक्ष किसी मौखिक या लिखित साक्ष्य पर आधारित है, न श्री डांडेकर ने अपने साक्ष्य में ऐसा आरोप लगाया था और न श्री डांडेकर के वकील ने ही शायद अपनी बहस में ऐसा आरोप लगाया था ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह कोर्ट पर आक्षेप हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने जैसा आपसे निवेदन किया था, जब कल माननीय श्रीपाल सिंह जी ने यह प्रश्न उठाया और माननीय शरण जी ने भी एक बात कही थी, कि यह मामला अपील में जा सकता है, तो मैंने तभी कहा था कि यह होते हुये भी जो सरकारी पक्ष है उसको तो सरकार रख ही सकती है । तो अब सरकारी पक्ष रखा जा रहा है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

हमारे विधि अधिकारियों ने हमें यह बताया है कि न्यायाधिकरण का ऐसा निर्णय बिलकुल अनुचित है और सरकार को इन अभ्युक्तियों को निकाल देने के लिये हाई कोर्टमें दरख्वास्त देनी चाहिये और हम यथाशीघ्र ऐसा करेंगे । मैं इतना और कह देना चाहती हूं कि सरकार इस बात को अत्यन्त खेदजनक समझती है कि उसकी सुनवाई किये बिना ही सीधे उसकी पूर्णरूप से निन्दा का गई ।

किन्तु मैं इन कानूनी बारीकियों का आश्रय नहीं लेना चाहती हूं । सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है । मैं श्री निगम के खिलाफ जांच के, उनके अतिक्रमण तथा बाद में उनकी तरक्की के सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्य सदन के सामने रखना चाहती हूं ।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

श्री निगम के खिलाफ औपचारिक जांच १९५९ में शुरू हुई थी। श्री कालिका प्रसाद भार्गव ने उसे प्रारम्भ किया था और श्री कौशल कुमार दास ने उसे पूरा किया था। जांच अधिकारी का निर्णय चुनाव के, जो फरवरी के अन्तिम सप्ताह में हुआ था, कई दिन पहले ९ फरवरी, १९६२ को सरकार को प्रस्तुत किया गया था। जांच अधिकारी ने अपने निर्णय में यह कहा है कि कुछ आरोप सिद्ध नहीं हुये हैं, एक आरोप के सम्बन्ध में श्री निगम को पहले ही दंड दिया जा चुका है और यह कि अब एक आरोप के सम्बन्ध में उन्हें चेतावनी दी जाय। यहां पर यह जिक्र कर देना आवश्यक है कि जांच अधिकारी के निर्णय सारतः वही थे जो कि सरकार के भूतपूर्व दो मंत्रियों, श्री विचित्र नारायण शर्मा तथा श्री कमलापति त्रिपाठी के थे, क्योंकि उन्होंने भी श्री निगम के विरुद्ध अनौपचारिक रूप से जांच की थी।

सरकार ने इसकी विस्तारपूर्वक जांच की थी और तत्कालीन मुख्य मंत्री ने १८ अगस्त, १९६२ को यह आदेश दिया था कि श्री निगम को दो आरोपों के सम्बन्ध में चेतावनी दी जाय न कि एक आरोप के सम्बन्ध में, जैसी कि जांच अधिकारी ने सिफारिश की है। यह चेतावनी श्री निगम को यथाविधि सूचित कर दी गई थी और उसका इंदराज उनकी चरित्र-पंजी में कर दिया गया था।

इस बीच फरवरी के अन्तिम सप्ताह में चुनाव हो गया था। मार्च में ४ व्यक्तियों की तरक्की कमिश्नर के पद पर की जानी थी। इस पद के लिये श्री चन्द्र मोहन निगम सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे। किन्तु वह अतिक्रमित कर दिये गये और उनसे कनिष्ठ ४ व्यक्तियों को १५ मार्च, १९६२ को तरक्की दे दी गई। ये चार व्यक्ति निम्नलिखित थे :

(१) श्री राम किंकर सिंह,
(२) श्री दलजीत सिंह राठौर,
(३) श्री हबीब अहमद सिद्दीकी, और
(४) श्री वासुदेव माधव भिडे।

वह पहले २२ मई, १९५९ को श्री राम सहाय द्वारा और श्री चन्द्र प्रकाश गुप्त, आई० सी एस०, द्वारा उस समय जबकि श्री गुप्त १९ अगस्त, १९६१ को गोरखपुर के कमिश्नर नियुक्त किये गये और बाद को एक बार फिर श्री राम सहाय द्वारा १६ मई, १९६२ को अतिक्रमित किये गये थे।

इस समय बहुत सी अफवाहें फैली हुई थीं कि श्री चन्द्र मोहन निगम ने भ्रष्ट तरीकों से चुनाव कराया है। ज्योंही तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने इन अफवाहों को सुना उन्होंने १८ मार्च को तकत्कालीन प्रधान मंत्री को लिखा, जिसके सम्बन्धित उद्धरण नीचे दिये जाते हैं :

> "मैं स्वयं इस सिद्धात का दृढ़ता से पालन करता हूं कि यदि जनतंत्र को तरक्की करनी है तो चुनावों को पूरी तौर पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होना चाहिये। यदि दो गणनाओं के बीच मत-पत्रों के साथ कोई अन्तःक्षेप (tampering) किया गया है तो अपराधियों को अवश्य दंड दिया जाना चाहिये। इस धारणा से भी कि मत-पत्रों के साथ अन्तःक्षेप किया गया है, इस राज्य के अच्छे प्रशासन पर धब्बा लगता है। यह विषय और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री राम रतन गुप्त, जो कि अन्तिम रूप से निर्वाचित घोषित किये गये हैं, कांग्रेसी उम्मेदवार थे। कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को अवश्य कायम रखा जाना चाहिये और कांग्रेसी उम्मेदवार की सत्यनिष्ठता सन्देह से परे होनी चाहिये।
>
> यदि भारत सरकार के पास अन्तःक्षेप किये जाने के सम्बन्ध में सन्देह करने के कोई वास्तविक कारण हों तो मैं एक विस्तृत तथा गोपनीय जांच किये जाने का आदेश देना पन्सद करूंगा। मैं आभारी हूंगा यदि आप उक्त मामले की विस्तारपूर्वक जांच करवायें। मैं कोई कार्यवाही करने के पूर्व आपके पथ-प्रदर्शन की प्रतीक्षा करूंगा।"

प्रधान मंत्री के उत्तर का सम्बन्धित अंश इस प्रकार था :

"मुझे स्वभावतः इस बात का दुःख है कि ऐसे आरोप लगाये जायें। मैं स्पष्टतः यह नहीं कह सकता कि ये आरोप सही हैं या नहीं। लेकिन ऐसे आरोपों पर विश्वास करना ही खराब है।

आपका सुझाव है कि कोई जांच की जाय। मैं नहीं जानता कि यह इस समय कैसे साध्य (Feasible) है। मेरा अनुमान है कि अब यह मामला चुनाव याचिका में उठाया जायगा।"

निर्वाचन न्यायाधिकरण (Election Tribunal) ने यह कहा है कि श्री निगम को नवम्बर, १९६२ में फैजाबाद डिवीजन के आयुक्त के पद पर तरक्की दी गई। वास्तव में उन्हें नवम्बर, १९६२ में गोरखपुर के आयुक्त के पद पर दी गई थी।

उनको तरक्की देने में सरकार ने जिन तथ्यों पर विचार किया वे उस समय लिखित रूप में दर्ज कर लिये गये थे। गोरखपुर डिवीजन के कमिश्नर का पद कुछ महीनों से खाली पड़ा हुआ था। चीनी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय संकटकाल प्रारम्भ होने से गोरखपुर डिवीजन में, जहां कि नैपाल की सीमा पर चार जिलों में से तीन जिले स्थित हैं, काफी उत्तेजना फैल गई थी। यह अत्यावश्यक था कि गोरखपुर में तुरन्त एक ज्येष्ठ अधिकारी उपलब्ध रहें। यह महसूस किया गया कि श्री निगम उपयुक्त व्यक्ति हैं क्योंकि वह ज्येष्ठ अधिकारी थे और फौज में भी काम कर चुके थे। पहले उन्हें इसलिये अतिक्रमित किया गया था कि उनके खिलाफ कुछ जांचें हो रही थीं। ये जांचें समाप्त हो चुकी थीं और उनका अन्तिम निर्णय यह हुआ था कि उनकी चरित्र-पंजी में एक मामूली चेतावनी दर्ज कर दी गई थी। गोंडा जिले के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से श्री निगम द्वारा की गई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कुछ अफवाहें फैल रहीं थीं और इसके परिणामस्वरूप चुनाव याचिका दायर की गई। लेकिन यह महसूस किया गया कि चुनाव याचिका का अन्तिम रूप से निर्णय होने में कुछ वर्ष लग सकते हैं और यह कि श्री निगम की तरक्की को और आगे रोकना ठीक नहीं होगा।

तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इस आशय का आदेश दिया था कि चूंकि श्री निगम के खिलाफ की गई जांच में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है इसलिये कमिश्नर के पद के लिये उनके दावे को रोकना कठिन है। यद्यपि श्री डांडेकर द्वारा दायर की गई चुनाव याचिका में उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाये गये थे, किन्तु तत्कालीन मुख्य मंत्री ने यह महसूस किया कि श्री निगम के खिलाफ न्यायाधिकरण का कोई निर्णय प्राप्त हुए बिना उस समय उन्हें दण्ड देना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सीमा पर स्थित डिवीजन के कमिश्नर के पद पर कार्य करने की उनमें क्षमता है और उन्होंने यह आदेश दिया कि फिलहाल उनकी नियुक्ति गोरखपुर के कमिश्नर के रिक्त पद पर कर दी जाय।

अतएव श्री निगम को तरक्की दे दी गई और उन्हें गोरखपुर के कमिश्नर के पद पर तैनात कर दिया गया।

यह उल्लेखनीय है, जैसा कि प्रधान मंत्री के साथ हुये पत्र-व्यवहार से प्रकट हुआ है, कि निर्वाचन न्यायाधिकरण का निर्णय ज्ञात होने तक गोंडा के निर्वाचन-सम्बन्धी अभिलेखों के साथ अन्तःक्षेप (tampering) किये जाने या न किये जाने का मामला आस्थगित रखा जायगा।

आज तक भी निर्वाचन न्यायाधिकरण का निर्णय प्राधिकृत रूप से (authoritatively) मालूम नहीं हुआ है। फिर भी श्री निगम ने छुट्टी के लिये इस विचार से दरख्वास्त दे दी है कि उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाय और यह छुट्टी मंजूर भी कर दी गयी है।

मुझे यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि जब निर्वाचन न्यायाधिकरण के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो जायगी तो उसका विस्तारपूर्वक और बड़ी सावधानी से अध्ययन किया जायगा। इस निर्णय के फलस्वरूप जो भी कार्यवाही वैध और उचित समझी जायगी, की जायगी चाहे उसमें कई अधिकारियों को, वे कितने ही ज्येष्ठ क्यों न हों, यथासम्भव कड़े से कड़ा दण्ड देना पड़े।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

मुझे आशा है कि इस वक्तव्य से सदन को विश्वास हो गया होगा कि सरकार ने चुनाव के बाद किसी व्यक्ति को पुरस्कार देना तो दरकिनार श्री निगम को कड़ा दण्ड दिया । (संभवतः यह दण्ड मामले के तथ्यों को देखते हुये अधिक कठोर था), उनको दण्ड मिलने के काफी समय बाद तरक्की दी गई और वह भी तब दी गई जब यह प्रतीत हुआ कि वह एक कठिन और खतरे के पद पर काम करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति हैं ।

मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं । मैंने अभी कहा है कि अभी अथोराइज्ड वर्जन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सुबह मुझे पुरी साहब से यह मालूम हुआ कि अथोराइज्ड वर्जन प्राप्त हो गया है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या वे इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के सुपुर्द करने के लिये तैयार हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मैंने श्रीमन्, नियम ५२ जो दिया था उसमें कई एलीगेशन्स थे जिनके बारे में कोई उत्तर अभी नहीं आया है । मैं चाहता हूं कि पहले मेरा नियम ५२ का प्रस्ताव पढ़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

अब एक प्रश्न हुआ है, उसका उत्तर तो आ जाने दीजिये ।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मैंने श्रीमन, दो कामरोको प्रस्ताव भी इसी विषय पर दिये थे । जब लोग अपना मत दे रहे थे तो अपोजीशन की तरफ से यह मांग की गयी थी कि चूंकि यह मामला बहुत गम्भीर है अतः इस पर बहस करायी जाय । उस पर आपने माननीया मुख्य मंत्री की राय जानना चाही । उन्होंने कहा कि वे एक वक्तव्य देंगी । उसके बाद इस पर विचार किया जाना था । कल न तो काम रोको प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ और और न वह पास ही हुआ । कल यह भी पता नहीं था कि आप इसको नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार करने जा रहे हैं और इस पर प्रश्न होंगे । सारे विरोधी दल के नेता आपसे मिले भी थे और निवेदन किया था कि यह विषय गम्भीर है, इस पर बहस करायी जाय । जिस बात को माननीय सी०बी० गुप्त ने महसूस किया है, प्रधान मंत्री जी ने महसूस किया है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिये, तो उन सबकी भावनाओं को देखते हुए भी यह आवश्यक हो गया है कि विषय गम्भीर है और उस पर बहस होना चाहिये । अतः आपसे निवेदन है कि आप इस पर प्रश्न न करायें, बल्कि बहस करायें और लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दें । केवल प्रश्नों से ही इसका समाधान नहीं होगा, आप समय निर्धारित कर दें और उस पर बहस करायें । चाहें तो नियम ५३ के अन्तर्गत समय निर्धारित कर दें ।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, ट्रिब्युनल ने जिन तथ्यों पर प्रकाश डाला है और जो बातें मालूम हुई हैं उनसे उत्तर प्रदेश के अन्दर यह वातावरण बन गया है कि अब चुनाव निष्पक्ष होना संभव नहीं है । मैंने कई आरोप भी लगाये हैं जिनका जवाब नहीं मिला है । कैसे बैलेट पेपर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे गवाहों को तोड़ा जा सकता है, आदि बातें सामने आयी हैं । उस पर यहां विचार करने का अवसर मिलना चाहिये । श्रीमन्, यह बयान बिलकुल एकतरफा है । यह मामला अत्यन्त गम्भीर है । इस पर विचार करने का आप मौका दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका आक्षेप यह है कि जो नियम ५२ के अन्तर्गत आपने प्रश्न उठाया था, उन प्रश्नों का उत्तर नहीं आया । जब यह प्रश्न उठा था और कामरोको प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, उस समय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि काम रोको प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं करती हूं तथा मैं इसका विरोध करती हूं । लेकिन मैं वक्तव्य दूंगी । तो मैंने ५२ के अन्तर्गत इसे स्वीकार किया है । अब यह हो सकता है कि आप प्रश्न करें नियम ५२ के अन्तर्गत अगर संतोष न हो तो । अगर न करना हो और दूसरे तरीके से लाना चाहें तो उसकी सूचना दें ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं निहायत अदब के साथ इस आदरणीय सदन से और खासकर मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुझे अभी विश्वास था कि चुनाव के जरिये से, जनतंत्र के जरिये से हुकूमत बदली जा सकती है

श्री अध्क्षय--

आप केवल व्यवस्था का प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन, हमारे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य तथा उत्तर प्रदेश के ३/४ करोड़ वोटर इस बयान के बाद यह महसूस करने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में जनतंत्र है ही नहीं और यहां कभी कोई चुनाव निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है । इस बयान के बाद अब नियम ५२ का मसला ही नहीं रह जाता है । इसलिये मैं निहायत अदब के साथ इस आदरणीय सदन तथा मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस पर अब ढाई घंटे बहस हो ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं हुआ । आपने तो यह कहा कि यह नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार हो लेकिन उत्तर जिस प्रकार से दिया गया है उस उत्तर को ध्यान में रखते हुये आप समझते हैं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य प्रश्न नहीं करना चाहते हैं ।

श्री नेकराम शर्मा--

मैंने श्रीमन, जो प्रश्न किया था, उसको वापस लेता हूं और इसका समर्थन करता हूं कि इस पर बहस हो । मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उससे मुझे संतोष नहीं है । उसमें बहुत से फैक्ट्स छिपाये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप यह कह रहे हैं कि इसके ऊपर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य प्रश्न करने के लिये तैयार नहीं हैं । ठीक है । अब सूरत यह है कि अगर आप इस पर विवाद चाहते हैं तो उस सूरत में हमें उपयुक्त सूचना दें ।

श्री जेड०ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

कल जब बहस हो रही थी और जब मुख्य मंत्री जी बोलीं तो उस वक्त उनकी बात से जाहिर होता था कि उन्हें बहस पर एतराज नहीं है । आपने भी यह कहा था कि तरीके निकाल लिये जायेंगे । स्टेटमेंट दिला दिया जायगा, कोई तरीका निकाल लिया जायगा । इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि वह तरीका निकालिये और हमें बहस का मौका दीजिये । आप यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिये । चाहे ५३ में उसको कर दीजिये या कोई और तरीके से बहस का मौका दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप इसकी सूचना मुझे दे दीजिये । इस समय तो बहस हो नहीं सकती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

अभी माननीया मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वह जजमेंट को बगैर देखे हुए दिया है । अब सूचना यह है कि जजमेंट आ गया है । यह अच्छा होगा कि वह जजमेंट हम लोगों को दे दिया जाय, सदन की मेज पर रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

गवर्नमेंट को इसमें क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जो भी फैक्चुअल इनफार्मेशन थी, वह मैंने दे दी और सही सही दी है । मेरा इरादा किसी चीज को छिपाने का नहीं है । जहां तक बहस का ताल्लुक है, उसका कल मैंने विरोध किया था । मैंने यह कहा था कि हवा में बहस करने के लिये तैयार नहीं हूं । जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट था वह मैंने दे दिया । कल मैंने बहस का अपोज किया था, वैसे उसूलन मुझे बहस के लिये कोई ऐतराज नहीं है । क्योंकि काफी बड़ा जजमेंट है इसलिये पहले हम उसको स्टडी करना चाहते हैं । यह मैं जानती हूं कि इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है । अगर कोई आफिसर गलती करता है तो वह जाने । इसलिये इसको स्टडी करने के लिये १-२ दिन का समय दे दीजिये । सोमवार को चाहे तो तो रख लीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, नियम ५३ की सूचना आप अलाहिदा से ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

अब तो सोमवार के लिये यह तय हो गया । जजमेंट आपको ऐवेलेबिल हो जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ)--

जो बयान दिया है उसकी कापीज भी सदस्यों को मिल जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

मिल जायेंगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने सोमवार के लिये इस सदन में इस पर बहस की इजाजत दे दी है लेकिन अगर इस बीच में वह मामला हाईकोर्ट में चला जाता है और वहां से स्टे आर्डर आ गया तो उस समय इस बहस पर क्या असर पड़ेगा, बहस जारी रहेगी या स्थगित हो जायगी ? वह अपील करने जा रहे हैं । इसलिये उस समय यह बात सामने आयेगी, इसलिये इस पर आप व्यवस्था दे दें कि उस समय आप फैक्टस पर बहस करने की इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह आप काल्पनिक प्रश्न रख रहे हैं ।

श्री नेकराम शर्मा--

पांडेय जी ने जो आपत्ति उठाई है वह सही है । आपने सोमवार को बहुत दूर बहस को रख दिया है । क्या अपील हो जाने पर आप उसको सबजुडिस कह कर तो समाप्त न कर देंगे या अपील हो जाने पर भी बहस की इजाजत देंगे ?

दूसरी बात यह हो सकती है कि सोमवार के बजाय आप कल को ही बहस रख सकते हैं ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

मान्यवर, माननीय नेता सदन भी इस मामले में तैयार हैं कि बहस हो, उधर विरोधी दल का भी आपने विचार देख लिया और जैसा माननीय नरसिंह नारायण जी ने कहा कि इसमें अपील भी हो सकती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो इसको कल या परसों रख दिया जाय या अपील हो जाने के बाद भी हमको बहस के लिये एलाउ कर दें कि कानूनी अड़चन का प्रश्न न लाया जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सरकार अपील करने जा रही है । आप सरकार को आदेश दे दें कि सरकार अपनी तरफ से अपील न करे जब तक कि यहां बहस न हो जाय । ट्रिब्युनल के जजों की जो नियुक्ति होती है, ट्रिब्यूनल के कुछ परम्परागत नियम बने हुये हैं जिनके आधार पर होती है । इस समय सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि वह जज ही प्रिजुडिस था इस गवर्नमेंट से । तो मेरा कहना यह है कि सरकार जल्दी ही अपील में जाना चाहती है इसलिये जब तक इस सदन में उस पर बहस न हो जाय तब तक आप सरकार को अपील में जाने की आज्ञा न दें और माननीया मुख्य मंत्री यहां निश्चित घोषणा करें कि अभी वे किसी अपील में नहीं जा रही हैं ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, जैसा कि माननीय टम्बेश्वर जी ने बतलाया, अगर आप इस पर कल ही बहस करा दें तो अच्छा हो क्योंकि हो सकता है कि कल ही अपील हो जाय । मुझे मालूम हुआ है कि यह सरकार कमिश्नर की तरफ से अपील में जायगी, इसलिये आप इसको बिलकुल रोक दें ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब यह हुआ कि बहुत सी बातों को मान कर हमने यह बहस शुरू कर दी । थोड़ी देर के लिये माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी की बात मान भी ली जाय, वैसे तो मुझे इसमें शक है कि अध्यक्ष महोदय को इस तरह का कोई अधिकार है कि वे गवर्नमेंट को कह दें कि वह अपील न करे, लेकिन जहां तक अपील करने के बात है स्वयं कमिश्नर, रिटर्निंग आफिसर व श्री गुप्ता व दूसरे लोग जिनका इससे संबंध है, अपील कर सकते हैं और फिर आपके आदेश देने की बात बेमाने होती है, यह कोई माने नहीं रखता । दूसरी बात यह है कि सोमवार को इस पर विवाद होगा और इसके बारे में कोई अटकलपच्चू बात करना बिलकुल गलत है, कि कल अपील हो जायगी और वह सबजुडिस हो जायगी ! यदि ऐसा हुआ तब यह भी देखना होगा कि इसमें क्या इश्यूज होंगे और विरोधी पक्ष कौन-कौन इश्यूज उठाना चाहेगा । तो यह माननीय स्पीकर के डिस्क्रिशन पर होगा कि जो बात आप कहना चाहते हैं वह सबजुडिस की कैटेगरी में आता है या नहीं, इसको देखें । लेकिन स्पीकर की तरफ से कोई आज्ञा देने की बात मैं गलत समझता हूं । एक बात तो निश्चित हो गयी कि सोमवार को बहस होगी । अब उस दिन तक स्थिति क्या होगी, यह न आपके हाथ में है न हमारे हाथ में है । विरोधी पक्ष को तो इससे संतोष होना चाहिये कि उस पर बहस की जो उनकी मांग थी वह मान ली गयी ।

श्री जेड० ए० अहमद--

श्रीमन्, अगर बहस करना ही है तो उन तमाम पेचीदगियों का इन्तजार न किया जाय और आज या कल ही इस पर बहस हो जाय । क्योंकि मेरा खयाल है कि बहुत से लोग तरह तरह की पेचीदगियां पैदा करने की कोशिश करेंगे, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर कल ही बहस हो जाय । सभी लोग यही चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अब सदन के सामने केवल यह प्रश्न है कि इस पर कल ही बहस हो जाय। इस पर सरकार को क्या कहना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

डाक्टर जेड० ए० अहमद बड़े विद्वान् व समझदार व्यक्ति हैं और मैं समझती हूं और वे भी समझते हैं कि इतना बड़ा जजमेंट जो ४-५ सौ पेजों का है उस पर बगैर पढ़े हम कैसे बहस कर सकते हैं। मैं समझती हूं कि उसको बगैर पढ़े किसी तरह की बहस करना अपनी बुद्धिमत्ता के बाहर है और मुझमें इतनी क्षमता नहीं है कि इतने बड़े जजमेंट की स्टडी मैं इतनी जल्दी कर सकूं। इसलिये मैं तो सोमवार के लिये ही तैयार हूं।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

जब सरकार को इसको स्टडी करने में इतना समय लगेगा तो हम लोगों को जजमेंट की कापी कब तक दे दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन कर दूं कि स्पीकर को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी माननीय सदस्य या सरकार को कोई ऐसी आज्ञा दे दे जो इस सदन की व्यवस्था से संबंध न रखती हो। अपील करना तथा शासन चलाना या किस तरह से वे शासन चलाने का कार्य करेंगे, यह उनकी सरकार की बात है और आपको अधिकार है कि जो भी शासन संबंधी कार्य वे करें उनकी आप आलोचना करें, टीका करें और उसकी भर्त्सना करें। तो यह आज्ञा देना तो मेरे अधिकार से बाहर है।

रहा प्रश्न अपील का। जैसा मैंने निवेदन किया कि यह काल्पनिक प्रश्न है। लेकिन हो सकता है कि अपील हो जाय। अपील होते हुये भी किसी अदालत को यह अधिकार नहीं है कि हमें अपनी कार्यवाही करने से रोकें। अगर हम चाहते हैं बहस करना तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब दूसरा निवेदन यह था कि हम यह जानते हैं कि जो फैसला हमारे सामने है वह शायद एक डिस्ट्रिक्ट जज का है।

अनेक सदस्य--

हाईकोर्ट जज का है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, हाईकोर्ट जज का ही सही, उसकी अपील भी हाईकोर्ट में हो रही है। एक हाईकोर्ट के जज सरकारी अफसरों की भर्त्सना कर सकते हैं। हमें यह भी मालूम है कि और भी ऐसे जज हैं जो सरकार के सम्बन्ध में, पुलिस की कार्यवाही के सम्बन्ध में अपनी टीकायें करते आये हैं, तो हम हाईकोर्ट पर क्यों न विश्वास करें कि वह भी इस अपील में सही फैसला देंगे, लेकिन उसको छोड़ भी दें तब भी अगर अपील होगी, तो जो नियम हैं उनको देख लेंगे। और हाईकोर्ट का अधिकार नहीं है कि हमको रोक सके, इसलिये अब इस पर बहस ७ तारीख को होगी।

श्री नाथूराम शिक्षक--

फैसले की कापी हमें कबतक मिल जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

वह मेज पर रखी है, जो महानुभाव देखना चाहें वह देख सकते हैं।

६ अगस्त, १९६४ को प्रदेश की खाद्य स्थिति के संबंध में दिये गये वक्तव्य का शोधन

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के दिनांक ६ अगस्त, १९६४ की बैठक में भाषण देते हुए मैंने यह कह दिया था कि "दिल्ली में एक्स्ट्रा आर्डिनरी गजट प्रकाशित हुआ है उसमें यह है कि इन्टर जोनल रेस्ट्रिक्शन्स हटा लिये गये हैं यानी एक जोन से दूसरे जोन में गेहूं या गेहूं से बनी चीजों के ऊपर प्रतिबन्ध थे कि वे नहीं आ जा सकती थीं। वह हटा दिये गये हैं।"

इस संबंध में वास्तविक स्थिति यह है कि गेहूं के उत्पादन के पंजाब से उत्तर प्रदेश को निर्यात तथा उत्तर प्रदेश में आयात पर जो प्रतिबन्ध था वह केन्द्रीय सरकार द्वारा हटा लिया गया है, परन्तु गेहूं के निर्यात तथा आयात पर पाबन्दी अब भी कायम है।

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ (क्रमागत)†

**श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, हम कल बिक्री-कर संशोधन विधेयक पर सदन में अपने विचार प्रकट कर रहे थे। जहां तक इस संशोधन विधेयक का संबंध है मैं इसके साथ सहमत हूं लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि आज जब कि सन् १९४८ से बिक्री-कर हमारे प्रदेश में लागू है और जो प्रायः कई साल से एक हाईपावर कमेटी बनी, देश के विभिन्न भागों में भ्रमण कर बिक्री-कर के बारे में और उन तमाम मालों के बारे में जिन पर बिक्री-कर एकत्र किया जाता है और उसमें जो विभिन्नतायें और परेशानियां हैं उनका हल निकालने के लिए आजतक कोई रिपोर्ट सदन में उपस्थित नहीं कर सकी।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुए)

और जब यह बात मान्य है क्योंकि इस संशोधन में खाद्यान्न संबंधी बिक्री-कर को एक-पदीय करने के लिये तथा ऐसे बहुत से सामान पर एकपदीय कर लगाने के लिये सरकार ने सदन से अधिकार मांगा है कि खाद्यान्न पर अधिकतम २ प्रतिशत और बहुत से अन्य मालों पर अधिकतम ५ प्रतिशत कर निर्धारित किया जाय।

श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि जब सरकार यह बात मानती है कि परेशानियां हैं और कर बंचना भी है तो क्यों नहीं मुकम्मल और मुस्तकिल पूरे संशोधनों के साथ एक बिल प्रस्तुत करे जिसमें उक्त सभी परेशानियों का हल हो।

श्रीमन्, मुझे इस संबंध में एक बात और कहनी है कि सन् १९४८ में, जब कि खाद्यान्न का भाव सस्ता था उस समय सरकार ने उसे बिक्री-कर से मुक्त रखा। बिक्री-कर सबसे पहले बंगाल में चालू हुआ जबकि ब्रिटिश साम्राज्य हमारे देश पर हुकूमत करता था। उस समय से बिक्री-कर बंगाल में लगा लेकिन वहां पर भी खाद्यान्नों पर बिक्री-कर नहीं रहा। तो जब १९४८ में हमने खाद्यान्न को बिक्री-कर से मुक्त रखा तो आज जब कि ऐसी परेशानियां हैं, जबकि खाद्यान्न ने एक गम्भीर समस्या का रूप धारण कर रखा है, इस वातावरण में हम कर की बात सोचते हैं, या एक पदीय कर होने की सुविधा या कर बंचना को रोकने की बात सोचते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय खाद्यान्न को कर से विमुक्त रखें।

---

*२७ अगस्त, १९६४ की कार्यवाही में छपा है।

†२ सितम्बर, १९६४ को कार्यवाही से।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरधारीलाल]

साथ ही जो गुड़ पर कर की बात है, जैसा कि एक हमारे माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि गुड एक ऐसी वस्तु है जो गरीब से गरीब आदमियों के लिए एक मीठा खाने की प्रवृत्ति को पूर्ण करती है । अतः गुड़ को तो आपको बिक्री-कर से अवश्य मुक्त करना चाहिये । साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी हाई पावर कमटी चारों तरफ भ्रमण करने के बाद और आज इस संशोधन लाने के बाद भी यह बात नहीं कहती है कि कम से कम इतना तो किया जाय कि किराने की वस्तुयें जैसे धनियाँ, हल्दी, मिर्च और जीरा वगैरह पर एक भाव के रूप में कर निर्धारित कर दिया जाय । हमारे बिक्री-कर की कितनी दरें हैं। किन्हीं पर ३ पैसे, २ पैसे, ५ पैसे और किसी किसी वस्तु पर तो ७ पैसे तक है। इस तरह से एक काफी परेशानी की बात हो जाती है । एक दूकानदार के पास जब देहात से पर्चे पहुंचते हैं और उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की चीजें होती हैं तो काफी परेशानी होती है कि भिन्न-भिन्न चीजों पर भिन्न-भिन्न रेट से टैक्स लगे । तो सब से अधिक चीज यह है कि जो चीजें रोजमर्रा की हैं उन पर एक रेट मुकर्रर कर दिया जाय ।

साथ ही मुझे एक बात और कहनी है कि आप चारों तरफ घूम आये हैं । आपके यहां सेंट्रल सेल्स टैक्स है । उसके माध्यम से उन व्यापारियों को जो आपके यहां रजिस्टर्ड हैं उनको सुविधा मिली है । यदि कोई बाहर का व्यापारी मंगाता है तो उसे २ प्रतिशत में माल पहुंच जायगा लेकिन जो यहां का व्यापारी है उसको कितनी असुविधा होगी । आप उस पर १० प्रतिशत रेट चार्ज करते हैं । उसका मतलब यह होगा कि किराने के सामान पर जिनका रेट १ मन का हजार रुपया होता है तो अगर कोई बिहार का रहने वाला उस माल को लेगा तो उसे १ हजार रुपये पर १०० रु० का सेल्स टैक्स आपके प्रदेश में देना होगा । और यदि वह व्यापारी यहां आ कर बिक्री-कर चुका कर अपने साथ १ मन ले जाता है तो केवल २० रुपये सेल्स टैक्स के उसे देने होते । इससे फायदा आपको कुछ नहीं हुआ । ८० रुपया व्यापारी को बचा । रोज रोज व्यापारी आ नहीं सकता तो क्यों नहीं सरकार इस पर विचार करती जिससे छोटे व्यापारियों को सुविधा प्राप्त हो । हाईपावर कमेटी इन बातों पर भी विचार कर ले ।

एकपदीय कर जो आप लगाने जा रहे हैं तो धातु की वस्तुओं पर भी ध्यान देने की कृपा करेंगे । अल्युमिनियम ऐसी चीज है जिसे गरीब लोग ही ज्यादा तादाद में इस्तेमाल करते हैं । छोटे-छोटे कारखानों में उसका इस्तेमाल होता है । उस पर भी एकपदीय कर निर्धारित किया जाय । ऐसा करने का नतीजा यह होता है कि जो छोटे दूकानदार सर पर लेकर उसे बेचते हैं उनको इंस्पेक्टर परेशान करते हैं । इसके अलावा कच्चा आढ़तिया १०० रुपये देकर लाइसेन्स ले लेगा तो उसे यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह आपके कर से मुक्त हो जायगा । मेरा विचार यह है कि जो लाइसेन्स होल्डर हैं जहां तक बिक्री-कर की बात है उससे उनको मुक्ति नहीं मिलनी चाहिये । कच्चे आढ़तिये के जरिये तो बहुत से कर की वंचना होती है । कच्चे अढ़तिये छूट जायेंगे तो पक्के आढ़तिये मारे जायेंगे । गल्ले का अधिकांश व्यापार कच्चे आढ़तियों के जरिये होता है और कर प्रवंचना भी अधिकतर उसी के जरिये होती है । जब आपको एकपदीय कर लाना है तो कर वहीं से वसूल किया जाय ताकि जो फुटकर व्यापारी हैं वे एक बार टैक्स दे दें और फिर सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर उनको परेशान न कर सकेगा । धारा ७ में जो कर निर्धारण का अधिकार दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है । कहीं सेल्स टैक्स और पर्चेज टैक्स दोनों को देने की नौबत न आ जाय । इसलिये मैं चाहूंगा कि जरा इसे स्पष्ट कर दिया जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बिल सरकार फिर अपूर्ण ले आई है वैसे तो किसी काम में जितनी संभव पूरी बातें होती हैं, उनको एक साथ सभी सम्भव अमेन्डमेंट एक ही बिल

में ले आना चाहिये। लेकिन होता यह है कि कभी कोई चीज निकल आती है और कभी जनता को परेशान करने के लिये नये-नये संशोधन भी लाये जाते हैं। और यह सरकार अपना काम बनाने के लिये नया बिल ले आती है। मान्यवर, मैंने जो प्रस्ताव किया था, उसे माननीय प्रेम सिंह ने उपस्थित किया है कि उसे (Bill को) जनमत के लिये भेज दिया जाये। मुझे यह उम्मीद थी कि यह बिल जैसी कि सरकार की मंशा है, उससे कच्चे आढ़तिये और तौला को राहत मिलेगी, लेकिन इससे उन लोगों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जिस प्रकार देहात में किसान होते हैं और उनके खेतिहर मजदूर खेती में मजदूरी करके पेट पालते हैं, उसी प्रकार से बिजनेस क्लास में खेतिहर मजदूर की तरह आढ़तिये और तौला की हैसियत होती है, क्योंकि वह भी मेहनत से अपना पेट पालता है। यह बिल इसलिये भी लाया गया है कि इससे उनको राहत मिले, लेकिन इससे उन लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। सेक्शन ३ (घ) के सब-सेक्शन ७ में कर-निर्धारण अधिकारियों के जो अधिकार हैं, उनको उसकी डिस्क्रिशनरी पावर पर सारी बात रख दी गई है। वह अधिकारी फर्स्ट परचेज को तय करेगा। रजिस्टर्ड डीलर के अलावा अगर और कोई परचेज करता है तो भी वही तय करेगा। मेरे कहने की मंशा यह है कि जब यह बिल काम में लाया जायेगा तो इससे न तो किसानों का ही हित होगा और कच्चे आढ़तियों अथवा तौलों का कोई लाभ न होगा। वह अपने गल्ले को आढ़तिये के जरिये से रजिस्टर्ड डीलर को बेचेगा, लेकिन उससे उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। सरकार को कोई काम करना होता है तो वह उसके निरीक्षण के लिये इंस्पेक्टर रख देती है और उस इंस्पेक्टर की देख-रेख को फिर एक इंस्पेक्टर नियुक्त करती रहती है।

इसी संन्दर्भ में एक कहानी मुझे याद आ गई। पुराने जमाने की बात है। एक राजा के यहां १५१ गायें थीं, उनमें से १०० गायों का दूध ५१ गायों को पिलाया जाता था और उन ५१ गायों का दूध एक गाय को पिलाया जाता था और उस गाय का दूध राजा को पिलाया जाता था। एक बार अचानक ग्वाले के मुंह में उस गाय को दुहते समय उसकी एक धार मुंह में चली गई, जो ग्वाले को बहुत स्वादिष्ट लगी। बस उसने उस दूध में से पाव भर दूध अपने लिये निकालना शुरू कर दिया और कमी पूरी करने के लिये पाव भर पानी मिलाने लगा। जब दूध में राजा को स्वाद का अन्तर अनुभव हुआ तो राजा साहब ने सोचा यह फर्क क्यों आया। इस पर उनके मन्त्रिमंडल ने सुझाव दिया कि इसकी जांच के लिये एक इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिया जाय। एक इंस्पेक्टर रख दिया गया और जब उस इंस्पेक्टर ने जाकर उस ग्वाले को पकड़ा तो ग्वाले ने उससे कहा कि भाई तुम्हें इसके स्वाद का ज्ञान नहीं है और मुझे जो इसका ज्ञान है तो तुम भी इसका स्वाद लेकर देख लो। फिर पाव भर दूध इंस्पेक्टर के यहां भी जाने लगा और पाव भर ग्वाले के यहां और अब इस प्रकार उस दूध में अब दो पाव पानी मिलाया जाने लगा। जब राजा ने देखा कि दूध का स्वाद और खराब हो गया तो उसने एक इंस्पेक्टर पहले की जांच के लिये और नियुक्त कर दिया और नतीजा यह हुआ कि राजा को तीन पाव पानी और एक पाव दूध दिया जाने लगा। इस प्रकार भ्रष्टाचार रोकने को भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ा दी और नतीजा और भी खराब हुआ। यही बात कच्चे आढ़तिये और तौला के साथ लागू होती है। इन्स्पेक्टर पर इन्सेक्टर इस विभाग में हैं और उतना ही भ्रष्टाचार यहां व्याप्त है जो कम नहीं होगा। इससे गरीबों और किसानों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। कच्चा आढ़तिया सब माल रजिस्टर्ड डीलर को ही नहीं बेचता। जो पैसे वाला कच्चा आढ़तिया है वह बेईमानी करता है उसके पास दोहरे कागजात रहते हैं। अगर उसके पास पैसा होता है, तो वह स्वयं खरीद लेता है और अपने पास भर लेता है उसकी बिक्री को दूसरे के यहां दिखला देता है। इसलिये सरकार को इसके लिये कोई दूसरी युक्ति सोचनी चाहिये जिससे यह सब गड़बड़ घोटाला न हो सके। इन्स्पेक्टर इसे न रोक सकेंगे केवल उनकी आय बढ़ जायगी, पर सरकार को कुछ प्राप्त न होगा।

आप यह भी देखेंगे कि धारा ३ (ङ) की उपधारा (२) के खंड (ग) में १०० रुपया लाइसेन्स फीस रखी गयी है। माननीय मंत्री जी को विदित होना चाहिय कि बहुत से तौलने

[श्री विजयसिंह]

वाले ऐसे होते हैं, जिनके पास केवल तराजू और बांट के सिवा और कुछ नहीं होता है। उनके पास कोई पूंजी नहीं होती है। जैसे मजदूर जो खेतों में काम करता है, उसके पास कोई पूंजी नहीं होती है। तो ऐसी हालत में वह १०० रु० लाइसेन्स का कहां से देंगे? यदि सरकार को उनको राहत देने की कोई मंशा थी तो चाहिये यह था कि कच्चे अढ़ातियों को इससे विमुक्त कर देना चाहिये। ज्यादा लाइसेंस और कोटा-परमिट द्वारा व्यापारी से बार-बार हिसाब मांगा जाता है उसके पीछे उसको बार बार परेशान किया जायगा और वह मजबूर हो जायगा कि वह कर-अधिकारी को रकम देकर अपना गला बचाये। मान्यवर, इसके स्पष्टीकरण में स्पष्ट है। धारा ३ (घ) की उपधारा (१) का जो स्पष्टीकरण है वह इस प्रकार है कि--"लाइसेंस प्राप्त व्यापारी की एजेंसी के माध्यम से रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा किये गये क्रय की दशा में, रजिस्टर्ड व्यापारी प्रथम क्रेता समझा जायगा, और व्यापारी की एजेंसी के माध्यम से किये गये प्रथम क्रय का प्रत्येक अन्य दशा में, व्यापारी जो एजेंट है, प्रथम क्रेता समझा जायगा।"

मान्यवर, व्यापारी अपने स्वार्थ पर खर्च करता है और चूंकि सारा डिस्क्रीशन असेसिंग आफिसर का होगा। वह व्यापारी को समझता है कि मोटा आदमी है और कांग्रेस को भी चन्दे की जरूरत है तो वह उसको दबायेगा और उससे रुपया ले लेगा और कुछ भाग दान में पार्टी को दे देगा। सरकार के ध्यान में बात होगी, वह बुंदेलखंड की बात है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक सज्जन ने जिले के सबसे बड़े व्यापारी जो गल्ले का व्यापार करते हैं उनके मुनीम को मिलाकर सारे कागजात का पता लगा लिया और एक दिन लखनऊ से भारी रेड कर दिया और उनके सभी कागजात सील कर दिये गये। उसके पास दो तरह के कागजात हैं। एक तो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स से बचने के लिये और दूसरी तरह के जो उनका ब्लेक व्यापार होता है, उसके लिये। उनके वही सारे काजात सील कर दिये गये। उसकी क्या हालत हुई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जो आदमी लाखों रुपये कमाता है वह १०-५ हजार रुपया रिश्वत और चन्दा दोनों दे सकता है। पिछले कांग्रेस प्रेसीन्डेट के चुनाव में उससे १५ से २० हजार तक रुपया लिया गया और ३-४ महीने तक उसकी मोटर गाड़ी भी यहां रही। अगर व्यापारी की नीयत खराब है तो उसको पकड़िये और सजा दीजिये। लेकिन उस व्यापारी का सरकार से गला नहीं छूटा। केस को दबा दिया गया। आज वह फाइल दूसरी जगह पहुंची है माननीया मुख्य मंत्री के पास और अफसर दबा नहीं सकते हैं। माननीया मुख्य मंत्री वित्त विभाग को संभाले हैं। क्या हालत है उस व्यापारी की? त्रिशंकु की तरह बीच में लटका हुआ है। टैक्स का मामला उसका कहां जायगा? सरकार छोड़ दे तो ठीक है क्योंकि पहले एक सरकारी पार्टी को चन्दा दे चुका है यदि आप को भी २५ या ५०हजार चन्दा की जरूरत है तो और उससे ले सकते हैं। ऐसे ईमानदार आदमी को जरूर प्रोत्साहन देना चाहिये। अभी प्रदेश में श्री चन्द्रमोहन निगम साहब की बात यहां हो चुकी है। सरकार ऐसे लोगों को ईमानदार और चतुर तथा साहसी समझती है। सरकार भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे कोई बात नहीं। सरकार जो चाहे करे लेकिन उस व्यापारी को परेशान न किया जाय। क्योंकि उनकी बलि का बकरा है।

मान्यवर, कहने का मतलब यह है कि इस बिल के लाने से किस को फायदा हुआ। इसके उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि करापवंचन के लिये किया जा रहा है। स्वयं सरकारी आफिसर्स तरकीब बताते हैं कि किस तरह से कर से बचा जाय। सरकार समझती है कि इस बिल को लाकर सारे दरवाजे बंद कर दिये गये। लेकिन यह नहीं हो सकता है। उनके विशेषज्ञ अवश्य रास्ता निकाल लेंगे। आफीसर्स आमदनी करेंगे और गरीब आढ़ती और तौला मारा जायगा। अब सवाल यह है कि सरकार क्या करे? हम सुझाव देंगे, सरकार उन पर विचार करे और लाभ उठाये। कच्चे आढ़तियों और तौला ने मुख्य मंत्री को एक रिप्रेजन्टेशन किया था कि वह केवल तलाई करते हैं और किसान की गाड़ी को दूसरे व्यापारी को दे देते हैं और जो पैसा पक्की आढ़त से आये उसको भुगतान करता है। इस बिल में कच्चे

आढ़तियों के विचारों को जानकर संशोधन नहीं लाया गया है। और इसमें जो राहत देने का विचार किया गया है उसमें तौला और कच्चे आढ़तियों की भावनाओं का समन्वय नहीं है। सरकार को चाहिये था कि उनके विचारों की जानकारी करती तब इसको लाती। अगर उनको मुक्ति देनी ही थी तो उनको पूरी-पूरी छूट दे देते। वैसे तो खाद्यान्न के ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिये क्योंकि गरीब लोगों के ऊपर ही बोझ ज्यादा पड़ जाता है। रजिस्टर्ड डीलर्स तो हर तरह से ले लेते हैं, भाव में घटाबढ़ी कर लेते हैं और सरकार को कर भी बहुत कम देते हैं, जब असेसमेंट भी हो जाता है तब भी अपील वगैरह करके रोक लेते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार एक कमेटी बनावे जो कच्चे आढ़तियों और तौला लोगों को, जो सारे प्रदेश में फैले हुए हैं, सुने और विचार करें और उसके बाद एक नया बिल लावे।

सरकार द्वारा इस विधेयक में कहा गया कि वह केवल रजिस्टर्ड डीलर्स से ही टैक्स को वसूल करेंगे तो फिर यह लाइसेंस्ड-डीलर किस लिये रखे गये हैं। जिस भी रजिस्टर्ड डीलर के यहां माल आता है उसके यहां इन्दराज होता है कि कितना माल डेलीवर हुआ और सरकार उस पर टैक्स असेस कर सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने अपने और किसान के बीच के इंटरमीडियेरी "जमींदार" को खत्म कर दिया है, इसी तरह से गरीब किसान और बड़े आढ़ती या दूकानदार या रजिस्टर्ड डीलर के बीच से इस एजेंसी को हटाइये और लाइसेंस्ड डीलर को खत्म कीजिये वह तो केवल माल तौलने वाले मजदूर हैं और उस पर कोई टैक्स न हो। कच्चे आढ़ती के पास कोई बड़ा काम नहीं है जिसको ज्यादा कमाई या धन मिलता हो उसे केवल आढ़त मिलती है। प्रदेश में कच्चे आढ़त वाले कभी-कभी जो थोड़े ही हैं बड़े पैसे वाले भी होते हैं और वह दूसरे तरीके से खरीद कर पैसा पैदा करेंगे, करप्शन भी इससे बढ़ सकता है। इसलिये सरकार एक हाईपावर कमेटी बनावे जो यह जांच करे कि जो दोहरे पेपर्स रखे जाते हैं उनको पकड़ा जा सके। जो माल किसान लाता है उसके लिये उसको पुरजी मिलती है कि उसका कितना गल्ला था, उसमें इतना करदा काट लिया गया, इतनी आढ़त ली गयी, इतना टैक्स, सेल्स टैक्स का नाम तो नहीं देते बल्कि जो चालाक व्यापारी हैं वह सिर्फ दीगर खर्चा करके उसको ले लेते हैं और फिर सरकार को भी नहीं देते। तो वह कमेटी यह देखे कि कौन-सा व्यापारी, तौलने वाला या कच्चा आढ़ती इस तरह से पैसा वसूलता है और सरकार को नहीं देता है और स्वयं खा जाता है। सरकार ने हर काम के लिये कमेटियां बनाई हुई हैं। सस्ते गल्ले की दूकानों की जांच के लिये एक कमेटी बनी हुई है तो क्या वजह है कि इस काम के लिये एक हाईपावर कमेटी न बनाई जाय। इसमें सरकार को कोई हिचक नहीं होनी चाहिये।

इसके अलावा एक बात यह भी है कि सरकार जितने-जितने नियमों से जकड़ने की कोशिश करती है उतने ही लूपहोल्स व्यापारी निकाल लेते हैं। आज अब भी सरकार अपनी स्टेटिक पालिसी को चलाती जाती है। यह इसलिये है कि किसान सब इसी चक्कर में पड़े रहें और सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई ध्यान न दें। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि इसमें पोलिटिकल करप्शन भी होता है जो न्यायोचित नहीं है। हर पार्टी किसी न किसी जगह से अपना काम चलाने के लिये चन्दा लेती है परन्तु जो शासन वाली पार्टी होती है उसको बहुत ज्यादा चन्दा व्यापारियों आदि से मिलता है क्योंकि उनके पास ऐसे साधन होते हैं जिनसे वह जायज या नाजायज धन प्राप्त कर लेता है। सरकारी पार्टी के पास अधिकार होते हैं, कानून होते हैं जिसके द्वारा वह कानून के अन्दर किसी न किसी रूप में दखलन्दाजी करके चन्दा प्राप्त करते हैं।

मान्यवर, अगर इस बिल के अन्दर लाइसेन्स फी की तौला और कच्चे आढ़तियों को कोई राहत मिली होती तो मैं इसका स्वागत करता। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि तौला और कच्चे आढ़तियों को कोई राहत मिले और उनको टैक्सेशन से मुक्ति मिले। क्योंकि कई वर्षों से निरन्तर अपनी कठिनाई तथा मांग को सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं। श्रीमान्, आपने देखा होगा कि कच्चे आढ़तियों पर और तौलाओं पर दुगना और चौगुना

[श्री विजयसिंह]

टैक्स बांधने की बात और शिकायतें आई होंगी। वे सफाई देते हुये परेशान होते हैं क्योंकि बर्डन आफ प्रूफ उन पर है। वे कहते हैं कि हम खरीद नहीं करते हैं। सम्भवतः इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही यह सरकार इस बिल को लाई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय और कच्चे आढ़तियों तथा तौलाओं से पूछा जाय कि उनको किस तरह से राहत मिल सकती है तब यह बिल आये। मैं अपने प्रस्ताव के समर्थन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि इस बिल के द्वारा जो मन्शा सरकार का है वह बहुत अच्छा है। वह मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्स को खत्म करना चाहती है और सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स लगाना चाहती है क्योंकि सारी जनता में मल्टीपिल प्वाइंट टैक्स से बड़ा कोलाहल था। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रिन्सिपुल आफ टैक्सेशन का बेसिस पर मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्स को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके साथ जो बिजनेसमैन को मुसीबत होती थी हिसाब-किताब रखने में और फिजूल की कार्यवाही को दूर करने का जो मकसद सरकार का इस बिल के द्वारा है उसका भी स्वागत होना चाहिये परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्सेशन के मामले हैं इनके लिये बहुत गहन स्टडी की जरूरत है। दुनिया के तजुर्बे ने जिन प्रिन्सिपुल को कर लगाने के लिये इवाल्व किया है उन प्रिन्सिपुल का समावेश इस हमारे विधेयक के अन्दर अवश्य होना चाहिये जिसके द्वारा हम कर आयद करना चाहते हैं। अगर फंडामेंटल प्रिन्सिपुल आफ टैक्सेशन को सामने रखा जाता है तो हमारे कर लगाने का जो कार्य है वह बहुत आसान हो जाता है। जो प्रिंसिपुल आफ टैक्सेशन है उसमें देखने की बात यह है कि जिस कर को हम मुल्क में लगाते हैं उस कर का असर जनता की अलग-अलग क्लासेज पर क्या पड़ता है। मुल्क में गरीब लोग भी होते हैं और अपर क्लास भी होता है। देखना यह है कि हमारा जो टैक्स है वह अपर क्लास पर कितने परसेन्टेज में पड़ता है और मिडिल क्लास पर उसका प्रतिशत कितना पड़ता है और गरीब क्लास से हमको कितना मिलता है। अगर हमारा टैक्स सब पर एक ही प्रकार से लगे तो उसकी दर सब पर बराबर ही होगी। लेकिन देखना यह है कि उस व्यक्ति की केपेसिटी टु पे है या नहीं। उसकी देने की केपेसिटी क्या है। अगर दोनों के लिये एक ही दर है, रिच और पुअर क्लास पर बराबर ही टैक्सेशन लगता है तो कोई भी सरकार उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती क्योंकि गरीब का परसन्टेज कहीं १००, कहीं ५०, कहीं १५०, कहीं ४० हो सकता है और जो रिच क्लास है उसका परसन्टेज ५ ही रह जायगा या कहीं पर २।। हो जायगा और यह भी हो सकता है कि जीरो दशमलव कुछ हो जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि जो ट्रेन्ड इस विधेयक का मालूम होता है उससे सरकार की यह नीयत मालूम होती है कि रिच क्लास का टैक्स परसेन्टेज ज्यादा न हो।

मैं समझता हूं कि वह बेजानकारी में हो सकता है कि उसका परसेंटेज एक ही हो। उसकी बेसिस फंडामेंटल प्रिंसिपुल्स में कहीं नहीं है। इसलिये मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिस सामान की बिक्री होगी और जिसके द्वारा वह कर लिया जायगा, उसकी कैटेगरीज बन जानी चाहिये। जैसे फाइन, सुपर फाइन और कोर्स कपड़ा होता है उसी तरह से कैमोडेटीज की कैटेगरी भी बननी चाहिये और उनके दो भाग होने चाहिये—कोर्स और फाइन। चाय है, गल्ला है, इन सब को दो ग्रेड्स, कोर्स और फाइन में बंट जाना चाहिये। कोर्स गुड्स का रिश्ता गरीब लोगों से बड़ा घनिष्ट है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जरा दूसरे मुल्कों के टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें और उससे उन्हें पता चलेगा कि इमरजेंसी में उन सरकारों ने टैक्स से कोर्स गुड्स को एक्जेम्प्ट किया है। जो फाइन गुड्स हैं या दूसरी चीजें हैं उन पर आप टैक्स लगाइये क्योंकि वे केवल हायर क्लास आफ सोसाइटी द्वारा ही परचेज की

जाती हैं। जब मुल्क में कीमतें दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं उस अवस्था में गरीबों की जीवनोपयोगी वस्तुओं पर टैक्स लगाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं होना चाहिये और दुनिया के इस अनुभव से हमारी सरकार को लाभ उठाना चाहिये। हम इस सदन में मुल्क की व्यवस्था करने के लिये बैठे हैं, सामाजिक न्याय देने के लिये बैठे हैं। हर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिये यहां विचार-विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। अगर हमारे निर्णयों से गरीबों को आघात पहुंचता है, अगर हमारी कार्यवाहियों से किसी बड़े तबके को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम सदन के सभी सदस्यों पर है। इसलिये बड़े अदब के साथ में यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जितने भी कोर्स ग्रेंस या कमोडिटीज हैं जो गरीबों के लिये आवश्यक हैं उन पर कोई टैक्स सरकार को नहीं लगाना चाहिये। उनका टैक्स से एक्जेम्प्ट होना निहायत जरूरी है। जो कीमती चीजें हैं, वह वे लोग खरीदते हैं जिनके पास फालतू पैसा है। मैं समझता हूं कि हमारी टैक्स की दर कैपेसिटी टु पे के मुताबिक वैरी करनी चाहिये।

दूसरी बात, जोकि किसी भी टैक्स की आउट स्टैंडिंग फीचर हुआ करती है और जिसे हर आम व्यक्ति समझता है वह यह कि किसी काम में जो आमदनी होती है अगर उसके करने में खर्च उससे ज्यादा होता है तो वह अथवा कोई व्यक्ति उस काम को नहीं करता। और जहां पर कि टैक्सेशन की बात है, कर देना हर किसी को खलता है, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, दुनियां की किसी कौम का हो, किसी देश का हो, यू० एस० ए० का हो, जापान या रूस का हो। हर कोई बड़ी आसानी और खुशी से नहीं दे सकता है। इसलिये इस टैक्स को जब हमारी सरकार लगाती है तो सरकार का पहला कर्त्तव्य हो जाता है कि उसका मैथेमेटिकल केलकुलेशन सरकार को निकालना चाहिये कि अगर मुल्क के अन्दर इतने सामान की बिक्री होती है किसी क्लास आफ गुड्स की और उनको जो खरीदते हैं उनके अन्दर कैपेसिटी है देने की या नहीं और अगर है तो वह कितना रुपया, कितने लाख, करोड़ या अरब इकट्ठा कर सकती है। और उसके लिये जिस मशीनरी की जरूरत होती है उस पर कितना रुपया खर्च होगा। अगर टैक्स जो कलेक्ट होना है वह कलेक्ट करने के बाद इतना छोटा हो, मामूली हो और मुल्क वालों को बड़ी परेशानी उसके देने में होती हो, तो इस प्रकार का कोई टैक्स मुल्क के ऊपर लगाना मुल्क के साथ न्याय करना नहीं है। इसलिये ने की जरूरत है कि अगर एक्सचेकर में बहुत बड़ा एमाउंट आता है और कलेक्ट करने में उस बड़े एमाउंट के उसका सिर्फ ५ परसेंट या १० परसेंट खर्च होता है मशीनरी पर, तो अवश्य लगाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में टैक्स इवेजन के बड़े-बड़े किस्से हुआ करते हैं और लाखों रुपया बड़े-बड़े लोगों पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का बाकी है। सरकार की नीयत टैक्स को व्यक्तियों से लेकर पब्लिक एक्सचेकर में जमा करने की है। अगर सरकार के एफर्ट्स के बावजूद उसको रियलाइज नहीं किया जा सकता तो सरकार के टैक्स आयद कर देने से क्या हमारे पब्लिक एक्सचेकर का रुपया मल्टीप्लाई हो जायगा। जबतक कि उसमें रुपया इकट्ठा करके नहीं डाला जाता तबतक रुपया कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि हमारे मुल्क में चारों ओर विकास का बढ़ता हुआ कदम दिखलाई पड़ता है, और जितनी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हैं उसके लिये बड़ी पूंजी की जरूरत है और इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि देशवासियों का कर्त्तव्य है कि वह त्याग कर के विकास के कार्यों को जिन्दा रखें और उनको आगे बढ़ाने के लिये अवश्य सरकार का हाथ बटायें। परन्तु जो फिजां आज मुल्क के अन्दर पैदा हुई है कि दाने-दाने के लिये जनता मुहताज है और सरकार की दुकानों में उनको अनाज मोह या नहीं होता है जैसा कि फूड मिनिस्टर ने बयान दिया कि जरूरी नहीं कि हर फेयर प्राइस शॉप पर जनता को अनाज मिले। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब कि फूड ग्रेन्स और नेसेसिटीज की चीजों की कीमतें इतनी ऊंची हो गयी हों और फिर भी टैक्स ला कर उन पर डाल दें जो कि इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता परन्तु जिस तौर व तरीके पर यह रखा गया है, इस बिल का इंटरप्रिटेशन एक ही हो सकता है कि

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

सरकार सब पर लगाना चाहती है, उसमें हर कमोडिटीज़ कवर हो जाती है। चाहे वह लग्जरी की चीज हो, चाहे नेसेसिटी की हो, वह हर एक को कवर करती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें।

मैं चाहता हूं कि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट की टैक्सेशन डिबेट को देखने की कृपा करें। उनके यहां इमरजेन्सी के समय में भी कभी उन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाया गया जो चीजें लोगों की नेसिसिटी की थीं, जिनको साधारण जनता इस्तेमाल करती थी। उन्होंने ऐसी चीजों पर कतई कोई टैक्स नहीं लगाया था। हमको भगवान ने दिमाग दिया है, इससे हमें सोचना चाहिये और यह देखना चाहिये कि फाइनेन्स किस तरह से होता है। आज हिन्दुस्तान जैसे गरीब मुल्क में अगर इन टैक्सों का बोझ गरीब पर पड़ेगा तो वह मर जायेगा, देश आगे नहीं उठ पायेगा। एक कहावत है--"इट इज दि लास्ट स्ट्रा दैट ब्रेक्स दि कैमिलस बैक" यानी एक तिनका भी ऊंट की कमर तोड़ सकता है। अगर इस देश के गरीब किसान और मजदूरों की कमर टूट गयी तो देश और प्रदेश तरक्की नहीं कर पायेगा और उससे देश का भला होने वाला नहीं है। आप की यह असेम्बली और यह आफिसर्स भी रह नहीं पायेंगे। हमें अपने तजुर्बे से सीखना चाहिये और दिमाग से काम करना चाहिये।

फ्रान्स के रिवोलूशन का एक किस्सा है। वहां यह अफवाह फैला दी गयी कि प्रिन्स लिटिल डोफिन लोगों को अनाज बांट रहे हैं। इस खबर को सुन कर तमाम जनता उनके पास दौड़ गयी। वहां जा कर जब देखा कि वह खबर गलत थी तो उसने एक रिवोलूशन का रूप धारण कर लिया। इसलिये कहीं ऐसी स्थिति यहां पैदा न हो जाय। उसके लिये जरूरी है कि आप दिमाग से काम लें। भूत और वर्तमान के तजुर्बे ने जो हमें सिखलाया है उस पर विचार कर हम काम करें। जो आज प्राब्लम्स हमारे सामने हैं उन पर विचार कर हमें अपना काम करना चाहिये। टैक्स उन लोगों पर ही लगाया जाना चाहिये जिनकी कैपेसिटी पे करने की हो। आज तो हालत यह है कि अनाज के लिये लोगों को २४ घंटे क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, वह मजदूरी कहां और कैसे करेगा, और कहां से टैक्स देगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिन प्रिन्सिपल्स आफ टैक्सेशन का जिक्र मैंने किया है उसका समावेश अवश्य इस बिल के अन्दर होना चाहिये। जिन प्रिन्सिपल का जिक्र नहीं हुआ, मेरे ख्याल से उसका समावेश होना चाहिये जो कि एक्सप्लिसिट रूप में नहीं आये और जो दफा रक्खी गई है वह वेग है और जिसे कि कम्प्रीहेंसिव कह सकते हैं कि छोटे से छोटे को भी पकड़ती है और ऊंचे से ऊंचे को भी पकड़ती है। यह नियत ठीक नहीं है। उसे क्या पकड़ेंगे जो नंगा है। अगर उस नंगे को पकड़ना चाहते हैं तो बवाल पैदा करना चाहते हैं।

श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमलासिंह जी ने जो प्रस्ताव मौजूदा विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में सुपुर्द करने के लिये रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अभी माननीय रावत जी बता रहे थे कि गरीब के ऊपर ऐसा टैक्स नहीं लगाना चाहिये कि उसकी कमर टूटे। श्रीमन्, अभी तक खाद्यान्नों पर १ पैसा बहुसूत्री टैक्स था। उसकी जगह एकसूत्री टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। सरकार यह अधिकार की मांग करती है कि २ पैसा प्रति रुपया टैक्स लगायें। श्रीमन्, जो एक सूत्री टैक्स की मांग की गई है यह तो अच्छा है लेकिन जो रेट बढ़ाने की बात की गई है, वह गलत है और हम तो चाहते हैं कि खाद्यान्नों के ऊपर कोई बिक्री या क्रय टैक्स नहीं होना चाहिये क्योंकि खाद्यान्न ऐसी चीज है जो सब इस्तेमाल करते हैं। किसान, मजदूर और हर वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं। आज जब कि एक रुपया का गेहूं १८-१७ छटांक बिक रहा है, चावल १४-१५ छटांक तक बिक रहा हो, ऐसे समय में खाद्यान्नों पर टैक्स बढ़ाये जाने से मंहगाई और बढ़ेगी। इसलिये मैं आप के द्वारा मंत्री जी से मांग

करूंगा कि बिक्री या क्रय-कर किसी रूप में अगर खाद्यान्न पर लगाया जा रहा है, तो उसे खत्म किया जाय।

पिछली बार जुलाई में जब बिक्री-कर संशोधन विधेयक आया था, उस समय माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि किसानों के ऊपर कर लगाने का कोई मंशा नहीं है। लेकिन किसानों की श्रीमन्, दो स्थिति होती है। एक तरफ तो वे गल्ला पैदा करते हैं और दूसरी स्थिति में वह उपभोक्ता भी होते हैं। यही गल्ला वे जिस महीने में तैयार करते हैं तो बेच देते हैं। उसके बाद खरीद-खरीद कर खाते हैं। ऐसी सूरत में उपभोक्ता की हैसियत से यह टैक्स उनके ऊपर भी लगता है जो नहीं लगना चाहिये।

इसमें एक बात और कही गई है कि सरकार इसके द्वारा यह अधिकार लेना चाहती है कि वह गजट में प्रकाशित करके किन चीजों पर किस समय कैसा टैक्स लगाये। श्रीमन्, इसी विधेयक में इसके पहले जो व्यवस्था थी, वह ४ प्रतिशत टैक्स लगाने की थी। लेकिन अब इसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि खाद्यान्न के अलावा अन्य मालों पर ५ पैसे तक टैक्स हो सकता है। अभी तक यह ४ पैसे था। यानी, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार बिक्री-कर को बढ़ा रही है। गुड़ पर अभी तक २ पैसे प्रति रुपया टैक्स था लेकिन अब सरकार चाहे तो गजट में प्रकाशित कर के उसे बढ़ा सकती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बात का स्पष्ट एलान करेंगे कि जो वस्तुयें गरीब मजदूर, किसान और मध्यम श्रेणी के लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर टैक्स नहीं बढ़ाया जायगा।

श्रीमन्, अब कच्चे आढ़तियों को लाइसेंस लेना होगा और रजिस्टर रखने होंगे। मैं छोटे-छोटे देहात के दूकानदारों की बात जानता हूं कि वे किसानों का गल्ला लाकर बाजार में बेचते हैं, वे ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते हैं और न रजिस्टर वगैरह रख सकते हैं। इससे कर निर्धारण अधिकारी उन्हें बार बार बुलाकर परेशान करेंगे और इस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा होगा।

टैक्स हमेशा ऐसी चीजों पर ज्याद लगाना चाहिये जिन्हें मालदार लोग ही इस्तेमाल करते हैं। वे उसे दे सकते हैं। इस विधेयक का असर सूत और अन्य ऐसी चीजों पर भी पड़ सकता है जो इमारत बनाने के काम आती हैं सीमेंट को छोड़ कर।

इस विधेयक का अधिकतर बोझा गरीबों पर ही पड़ेगा। इसलिये इसे वापिस होना चाहिये। संयुक्त प्रवर समिति में जाना चाहिये जहां इन सब बातों पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे कभी-कभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों की टेक्नीक पर थोड़ा सा दुःख होता है। कभी-कभी इस प्रकार का विवाद हमारे आदरणीय सदस्य उपस्थित करते हैं कि सरकार को यह यह करना चाहिये था और नहीं किया है। उनके विवाद में अधिक प्रभाव आ जाता यदि वे यह कह कर चलते कि सरकार ने यह यह किया है, उसके लिये वह बधाई की पात्र है और उसे यह यह और करना चाहिये था, तो अच्छा होता। इसे मैं जनरलाइज न करके इस विधेयक के सम्बन्ध में यह कहूंगा कि इस सदन का कोई भी सदस्य नहीं होगा, या जनता का व्यक्ति नहीं होगा, या व्यवसायी वर्ग का नहीं होगा जो खाद्यान्नों पर बहुपदीय बिक्री-कर के खिलाफ न हो। यह सही है कि खाद्यान्न जीवन की बहुत ही उपयोगी वस्तु है और बहुत आवश्यक है। मेरी भी कुछ ऐसी भावना है कि अच्छा होता अगर सरकार के फ़ाइनेंसेज उसे इस बात की सुविधा देते कि खाद्यान्न, मोटे कपड़े, गुड़ आदि से टैक्स हटा लेती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्दराय]

मैं नैरेजरसिंह को बतला देना चाहता हूं कि अभी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई थी। वह इस बात का ऐलान कर चुकी है कि जीवन से सम्बन्ध रखने वाली आवश्यक वस्तुओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सारे देश में कांग्रेस की सरकारें हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। खाद्यान्नों के बारे में एक बड़ी विचित्र परिस्थिति हमारे प्रदेश में, और कुछ मायनों में सारे देश में चल रही है। न तो सरकार खाद्यान्नों में स्टेट ट्रेडिंग कर पा रही है--हो सकता है कि उसके पास साधन या मशीनरी न हो--और न खाद्यान्न का व्यापार व्यापारियों को करने दे रही है। इस बात को मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। मेरी व्यापारियों से या जिन्हें जखीरेबाज कहा जाता है--यह शब्द बहुत प्रचलित है, मैं उर्दू जानता भी नहीं हूं उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। माथुर जी को हो सकती है।

आज व्यापारियों के लिये सरकार ने नाना प्रकार के कायदे बना दिये हैं कि किसी को ५० रुपये का, किसी को १०० का और २५० रुपये का लाइसेंस लेना होगा। रोजाना अफसरों को रिपोर्ट देनी होगी कि आज कितना खरीदा, कितना बेचा, किसको बेचा, आदि। फिर बिक्री-कर की रसीदें रखनी होंगी। अब, आप ही बतलाइये कि खाद्यान्न जैसी चीज पर जब इतने बंधन हों--भले ही हम यहां जोश में कह लें कि व्यापारी मुनाफाखोर हैं या जखीरेबाज हैं--लेकिन इतने बन्धन होते हुए कोई कैसे सुविधापूर्वक व्यापार कर सकता है? मैं इसके पक्ष में हूं --एक सोशलिस्ट होने के नाते इस पक्ष में हूं--कि या तो सरकार गल्ले की स्टेट ट्रेडिंग करे या नहीं कर सकती है तो गल्ला व्यापार पर जितने बन्धन हैं उन्हें उठा ले। अगर नहीं उठाती है तो एक नहीं हजार गुनी पैदावार बढ़ा दें, खाद्यान्न जनता को सुलभ नहीं हो सकता है। श्रीमन्, इस दृष्टि से मैं भी इसका विरोधी हूं कि खाद्यान्न पर कोई बिक्री-कर लगे, मोटे कपड़े पर लगे या ऐसी किसी वस्तु पर लगे जो साधारण जनता से संबंधित है। एक रुपया में एक पैसा से न जाने सरकार का क्या खजाना भरता है, लेकिन व्यापारियों को कहने का अवसर जरूर मिल जाता है कि हमारे ऊपर इतने प्रकार के बंधन हैं, क्या करें भाव बढ़ा कर बेचना ही पड़ता है। यदि वित्त मंत्री जी पूर्णरूपेण खाद्यान्न पर से नहीं हटा पा रहे हैं तो विरोधी दल के माननीय सदस्यों को कम से कम एक स्वर से बधाई तो देना ही चाहिये थी कि सरकार ने इस बहुपदीय टैक्स को हटा कर एकपदीय कर दिया। इतनी बात कहने से सरकार भी शायद उन की कुछ बात तो अवश्य ही मान लेती, उनकी आलोचना को स्वीकार कर लेती।

एक चीज अवश्य ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कदाचित् माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी मुझसे सहमत न होंगे। इस विधेयक के उद्देश्य से तो मैं पूर्णरूप से सहमत हूं लेकिन उसके उद्देश्य और कारणों में जो दिया हुआ है उससे मुझे घोर निराशा हुई। उस में वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि वर्तमान करों की पद्धति को इसलिये बदला गया है कि उसमें करों की बड़ी प्रवंचना होती थी यानी सरकार बिक्री-कर वसूल करने में अक्षम्य थी। यह भी एक कारण बहुपदीय से एकपदीय करने का था। व्यवसायियों की तरफ से डेलीगेशन आये और उनको सुविधा देने के लिये सरकार ने ऐसा कर दिया। इस प्रकार से अपनी क्षमता प्रकट करना बड़ा दुखदायी है। खासतौर से जो देहात के रहने वाले हैं, उनको इससे बहुत कष्ट होता है। किसानों पर लगान लगाया जाता है, पानी का टैक्स लगाया जाता है, उनसे खाद का पैसा वसूल किया जाता है और अगर कहीं चकबन्दी होती है तो उसका भी पैसा वसूल किया जाता है, और न जाने कितने प्रकार के टैक्स किसान से वसूल किये जाते हैं। उससे जबरदस्ती वसूल किये जाते हैं, नहीं देता तो उसको पकड़ कर जेलखाने में बन्द कर दिया जाता है, उसको बेंत मारे जाते हैं। यहां पर मालमंत्री जी की तरफ से बड़ी शान से कहा जाता है कि लगान की वसूली ९८ प्रतिशत हुई है, सिंचाई की वसूली ८६ प्रतिशत हुई है लेकिन बिक्री-कर की वसूली ? वह ३० परसेंट हुई है। ९-१० करोड़ रुपया बिक्री-कर का बकाया रहा आता

है। अगर आप बिक्री कर वसूल नहीं कर सकते हैं, अगर बिक्री कर जिनसे वसूल होना है, उनके लिये आपके दिल में दर्द है ....

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, सदन में इस समय कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कृष्णानन्दराय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक का जो उद्देश्य है उसका तो मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने जो उसका कारण दिया है, उसका मैं पूर्णतया विरोध करता हूं। यह सरकार की अक्षमता का प्रदर्शन है जो माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि चूंकि कर प्रवंचना होती है यानी बिक्री-कर की वसूली वे नहीं कर पाते, लिहाजा यह कर बहुपदीय से एकपदीय किया जा रहा है। यदि आप बिक्री-कर वसूल नहीं कर सकते हैं इस वजह से यह किया जा रहा है तो मैं कहूंगा कि तब इसे आप बहुपदीय ही रहने देते तो अच्छा था बजाय एकपदीय करने के। किसी वजह से जिन लोगों से ये बिक्री-कर वसूल नहीं कर पाते, उनके लिये इनके हृदय में दर्द है और इनके लिये वे हथकंडे प्रयोग में नहीं लाये जाते जो किसानों से लगान व सिंचाई कर वसूल करने के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं। अगर सरकार बिक्री-कर वसूल नहीं कर सकती तो उसे चाहिये कि वह अपने प्रदेश में बिक्री-कर को वापस ले ले।

माननीय जगदीशशरण अग्रवाल ने बिक्री-कर का इतिहास बतलाते हुये कहा कि इस मामले में यह प्रदेश बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन मैं यह कहता हूं कि अगर माननीय जगदीश-शरण अग्रवाल जो हमारी पोजीशन में हो कर किसानों की हालत को देखें तो उनके समक्ष उनकी हालत और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। वे बिक्री-कर समिति के सदस्य हैं जिसका अब तक उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया और माननीय मंत्री जी ने उसे स्वीकार कर लिया। हम लोगों के पूर्वी जिलों में खांडसारी नहीं होती, वहां गुड़ होता है। आपने उत्तर प्रदेश के अन्दर गुड़ पर प्रतिबन्ध लगा दिया और उसी वक्त तक प्रतिबन्ध लगा रहा जब तक कि किसानों के पास गुड़ था। लेकिन जब माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल खांडसारी समिति के चेयरमैन थे तो हाई लेविल कमेटी में यह प्रस्ताव उठाया गया कि खांडसारी पर से रोक हटा ली जाय और वह रोक हटा ली गयी। हम गुड़ पर से प्रतिबन्ध हटाने की बात बहुत दिनों से कहते रहे जो किसी प्रकार से अब जाकर हट सका है। अगर वे बिक्री-कर समिति के सदस्य होंगे तो सरकार उनकी बात मान जायगी, अगर वे खांडसारी समिति के चेयरमैन होंगे तो उनकी बात सरकार मान जायगी लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी किसान कमेटी के चेयरमैन कभी नहीं हुए वरना अगर उनकी अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पास हो जाता कि लगान और सिंचाई कर माफ कर दिया जाय तो शायद सरकार उसे भी स्वीकार कर लेती।

तो सचमुच इस प्रश्न को मैंने इसलिये उठाया कि थोड़ी-सी प्रवृत्ति सोचने की जरूर है और सरकार को इस मसले पर थोड़ा गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस विधेयक से यह बात बिलकुल स्पष्ट है और जब मैं ट्रेन से आ रहा था तो जितने लोग भी मुझे मिले वे सब इस विधेयक की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं इसके उद्देश्य और कारणों का एक वजह से विरोध कर रहा हूं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि अब चूंकि कर एकपदीय हो जायगा इसलिये उनको कर के वसूल करने में आसानी होगी और इसीलिये वह उनको उत्तर दे रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि एकपदीय होने के बाद भी बिक्री-कर की वसूली नहीं कर सकेंगे, इसीलिये एक पैसे से दो पैसा और दो पैसे से पांच नया पैसा कर दिया है कि अगर पूरे की वसूली

[श्री कृष्णानन्दराय]

न भी हो सकी तो जितनी हो रही है उतनी तो हो ही जायगी। मैं यह समझता हूं कि यह करने पर भी वह बिक्री-कर की वसूली न कर सकेंगे और इसीलिये अपनी अक्षमता के कारण कि न भी वसूल कर पायें तो आय में कमी न हो। उन्होंने १ पैसे की जगह २ पैसे और २ की जगह ५ नये पैसे कर दिये हैं। अगर एकपदीय कर की बात स्वीकार हो जायगी तो होगा क्या यह मैं पहले ही बता दूं। मान लिया कि २,००० टन गल्ला मित्र लोग खरीदेंगे तो जैसे कि कोई भी पूरा बही-खाता नहीं दिखाता। और यह भी गुंजायश रखी है कि कच्चे आढ़तियों से श्री जगदीश-शरण अग्रवाल अगर पक्के आढ़ती हैं तो वह खुद नहीं खरीदेंगे बल्कि वह कच्चों से खरीदवायेंगे। वहां पर वसूली आप की नहीं हो सकेगी और अगर दो-चार हजार टन खरीदा जायगा तो हजार १,२०० मन पर ही बिक्री-कर देय दिखाया जायगा। गेहूं और चावल नहीं दिखाया जायगा और उनके लिये एक रास्ता मौजूद रहेगा कि हमें इतने पर देय है और जो गल्ला किसानों से आ जायगा उसके लिये सीधा रास्ता हो जायगा कि बिक्री-कर इस पर पेड है और १,००० मन गल्ले का कर दिखा कर ४,००० टन गल्ला सारे प्रदेश में घूमेगा और बिक्री-कर उस पर पेड रहेगा। इस तरह से बिक्री-कर की वसूली से कोई सहूलियत नहीं हो सकेगी। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक के उद्देश्य का तो समर्थन करता हूं लेकिन जो उसके कारण दिये हैं उनका एपालीजेटिक स्वर में विरोध करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, जब मंत्री महोदय इस संशोधन विधेयक को पेश कर रहे थे तो उन्होंने यह दलील दी थी कि बिक्री-कर में एकरूपता लाने के लिये वह यह संशोधन विधेयक पेश कर रहे हैं और करापवंचना जो होती है उसको भी रोकने के लिये यह बिल लाया जा रहा है। उसके उद्देश्य और कारणों में भी इस तरह की बात कही गई है लेकिन मैं मंत्री जी की बात से सहमत नहीं हूं और सिद्धान्ततः मैं सहमत नहीं हूं कि आप कर की चोरी को, जो तर्क आपने प्रस्तुत किये उनके अनुसार रोक सकते हैं, आप नहीं रोक सकते, आपकी जो करप्ट मशीनरी है वह नहीं रोक सकती। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके अन्दर उस चोरी को रोकने की न हिम्मत है और न ताकत है क्योंकि आप की मशीनरी भ्रष्ट और निकम्मी है, वह रोक नहीं सकती, मेरा यह दावा है।

जहां तक एकरूपता लाने की बात है उसमें जो एकपदीय कर लगाने की व्यवस्था की गई है उसमें कहा गया है कि खाद्यान्न पर २ नया पैसा एकपदीय लेना उचित होगा, पहले यह बहुपदीय था उसको आपने यहां एकपदीय कर दिया, इसका तो स्वागत है लेकिन इससे भी चोरी नहीं रुक सकेगी लेकिन जो दूसरी वस्तुओं पर ५ नया पैसा लेने का अधिकार अपने हाथ में आप ले रहे हैं वह जैसा कि श्री जगदीशशरण अग्रवाल ने कहा कि आप बैकडोर से लाना चाहते हैं। मेरा कहना है कि सरकार की बैकडोर से लेने की जो आदत पड़ी हुई है और वह जानबूझ कर ऐसा कर रही है जैसा कि जब रोडवेज का कर सरकार बढ़ा रही थी तो ५ प्रतिशत बढ़ाने की बात रख कर अधिकार १५ प्रतिशत बढ़ाने का ले लिया और आपको याद होगा कि उसके बाद कुछ अधिकार और लिये। जब किलोमीटर हुआ तब टैक्स बढ़ा। सरकार ने ५ परसेंट बढ़ाया और १५ परसेंट का अधिकार ले लिया। पहले माइलेज के ऊपर टैक्स था और किराया जब किलोमीटर हो गया तो सरकार ने उस टैक्स को तथा किराये को किलोमीटर में परिवर्तित कर दिया और इस तरह से लाखों रुपये की आमदनी की। मैं इसको धोखाधड़ी नहीं कहता। हम लोग यहां पर लाख चिल्लायें और हमारी बात न सुनी जाय, पर प्रदेश की जनता तो समझ रही है। आम जनता से आपने लाखों रुपया जानबूझ कर तिकड़मबाजी से, चालबाजी से और कलाबाजी से वसूल कर लिया है जैसे एक मदारी कलाबाजी करके पैसा वसूल करता है उसी तरह से सरकार ने कलाबाजी दिखा कर रुपया वसूल कर लिया है।

माननीय मंत्री जी ने ५ पैसे लगाने का सुझाव तो दिया लेकिन चीजों का नाम नहीं बताया। आप बिना किसी चीज का नाम बताये इस सदन से ५ पैसे का अधिकार ले लें तो उसमें बहुत

बड़ी दिक्कत होगी। तीसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि आप बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं। बहुत से व्यापारी इससे भी नीचे से नीचे हैं। हर एक पर १०० रु० के हिसाब से लाइसेंस फी ली जाय, मैं समझता हूं यह ज्यादती है। मैं समझता हूं कि आपको इसमें छूट देनी चाहिए। जैसे एक लाख का व्यापार करने वाले व्यापारी को १०० रु०, १०,००० रु० का व्यापार करने वाले को इतना रुपया, ५०० रु० का व्यापार करने वाले को इतना रुपया यह तय हो जाय। इस वक्त ऐसी हालत है कि १ रु० सेर का आलू, तरोई, एक रुपये सेर का रद्दी चावल, १४ छटांक की दाल है। यह सारा सामान सब्जी, चावल और दाल सब के सब एक रुपये सेर बिक रहा है। हमारे पूर्व की ओर एक कहावत कही जाती है---अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। टके सेर सब चीजें बिक रही हैं। जो भाव आज चीनी का है वही भाव आज दाल का है। हमारे माननीय कृष्णानन्दराय जी बड़े गरीबों के खैरख्वाह और हमदर्द बनते हैं। आज मोटे कपड़े पर टैक्स बढ़ा दिया गया है पर फाइन पर कम हो गया है। सन् १९५१-५२ में मोटे कपड़े पर १६ करोड़ ३६ लाख रुपया टैक्स था पर अब यह ४४ करोड़ ४५ लाख रुपया हो गया है।

श्री कृष्णानन्दराय--

कृपया यह तो बतायें कि यह बढ़ोत्तरी बिक्री के बढ़ने से हुई है या रेट के बढ़ने से?

श्री ऊदल--

माचिस को देहात के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। माचिस पर ५०-५१ में ८.०७ करोड़ टैक्स था जो ६१-६२ में १८.३ करोड़ हो गया। और मिट्टी का तेल कौन लोग जलाते हैं? देहात की करोड़-करोड़ जनता मिट्टी का तेल इस्तेमाल करती है। ५०-५१ में इस तेल पर २८ लाख रुपये एक्साइज थी लेकिन अब वह ११ करोड़ हो गयी है। कागज को ले लीजिये। ५१-५२ में ३ करोड़ ६८ लाख एक्साइज थी और अब वह १२ करोड़ ५० लाख कर दी गयी है। कैसे गरीब बच्चे पढ़ेंगे? बकाया रुपया एकपदीय करने पर भी वसूल नहीं किया जा सकता क्योंकि आपकी मशीनरी निकम्मी है और इसी वजह से आज भी १० करोड़ से २० करोड़ के बीच में धनराशि बिक्री-कर की बकाया है। आप देखें कि ५८-५९ में ४.३२ करोड़ रुपया बिक्री-कर का बकाया था। ५९-६० में बढ़ कर वह ६.८६ करोड़ हो गया। ६०-६१ में ९.६४ करोड़ हो गया। अब अगर आप प्रतिशत देखें तो ५८-५९ में ११.२ प्रतिशत कुल बिक्री-कर का वसूल किया गया। ५९-६० में ११.५ प्रतिशत, ६०-६१ में ९.६ प्रतिशत और ६१-६२ में २४.४ प्रतिशत वसूल किया गया। यह जो तर्क है कि एकपदीय कर देने से सारा रुपया वसूल हो जायगा तो मेरा कहना है कि आप फिर भी वसूल नहीं कर पायेंगे। आप तिकड़म की बात नहीं समझते। उसे जगदीशशरण जी समझते हैं अथवा थोड़ी-सी मैं समझता हूं क्योंकि उनकी मेरी दोस्ती है। आपको मालूम नहीं कि करोड़ों रुपया ब्लैक मनी का हमारे देश में चल रहा है जिसके कारण यह महंगाई बढ़ रही है। यह टैक्सों की चोरी के कारण ही ब्लैक मनी है। डबल खाते हैं। एक खाते सरकार तथा सरकारी अधिकारियों को दिखाये जाते हैं और दूसरे खाते वे हैं जिनमें एक्चुअल आमद तथा बिक्री दिखाई जाती है, लेन व देन दिखाया जाता है। ये डबल खाते सेल्स टैक्स तथा इनकम टैक्स की चोरी के लिये ही बनाये जाते हैं। आपके अन्दर हिम्मत नहीं कि उसे वसूल कर सकें।

यह विधेयक जो है इसमें बहुत-सी खामियां भी हैं। १०० रुपये लाइसेंस फीस कम होनी चाहिये। आप यह कर दें कि इतने रुपये तक रोजगार करने वालों से कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जायगी और इसके ऊपर रोजगार करने वालों से ५, १० रुपये फीस ली जायगी। १०० रुपये लाइसेंस फीस सभी से लेने से क्या फायदा होगा? इससे असंतोष बढ़ेगा। लाइसेंस लेना है और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइसेंस लें तो इससे भी आपको रुपया मिलेगा। वसूली की प्रणाली आपकी बहुत खराब है। इस पर मैं चाहता हूं कि सरकार को विचार करना चाहिये। यह तो बहुत मामूली संशोधन है, इससे सिर्फ खाद्यान्न पर बहुपदीय से एकपदीय कर कर दिया गया है और लाइसेंस १०० रु० आढ़तियों के लिये कर दिया गया है। मैं समझता हूं

[श्री ऊदल]

कि इसमें बहुत कमी है और इसको बहुत व्यापक होना चाहिये। आपने खाद्यान्न जैसी आवश्यक चीजों पर तो बिक्री-कर लगा दिया, लेकिन लग्जरी की बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिन पर कर आवश्यक सामानों से कहीं कम है, उन लग्जरी की चीजों पर बहुत ज्यादा टैक्स होना चाहिये।

मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि टैक्सों की जो चोरी हो रही है, उसको रोकने के लिये सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिये। इसके लिये सुझाव यह है कि बिक्री-कर अधिकारी, जिनकी वसूली का ढंग बहुत ही गलत और खराब है, उसके अधिकार बढ़ाये जायें और उसको अधिकार हो कि वह इसको रेवेन्यू वितरण से वसूल करे। कल मंत्री जी उस हाई पावर कमेटी की चर्चा कर रहे थे, जिसमें माननीय जगदीशशरण जी भी हैं, उसको देखना चाहिये था कि मद्रास में सबसे ज्यादा बिक्री-कर वसूल हुआ है। आपने शायद वहां का टूर नहीं किया है, आपको वहां भी जाना चाहिये था। मद्रास में बिक्री-कर वसूली के बारे में जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनको भी आप देखें। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वहां पर बिक्री-कर अधिकारी को बिक्री-कर की वसूली के लिये रेवेन्यू वसूली की तरह के अधिकार प्राप्त हैं, और वह यहां भी होना चाहिये। आपने अपने यहां बिक्री-कर अधिकारी को इस प्रकार के अधिकार नहीं दिये हैं, जिन्हें देना चाहिये। आपने सिफारिश की है कि अगर वसूली न हो तो वह कलेक्टर साहब को लिखे और कलेक्टर परगना हाकिम, नायब तहसीलदार और अमीन को, इस तरह से बात नीचे तक पहुंच जाती है और उचित कार्यवाही शीघ्र नहीं हो पाती है। इस प्रकार के अधिकार जब तक बिक्री-कर अधिकारी के नहीं होंगे, तब तक वह कर वसूल नहीं सकते। बिक्री-कर अधिकारी को कलेक्टर का अधिकार जो वसूली के संबंध में है, देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि बिक्री-कर अधिकारी को स्वयं बकाया की रकम वसूल करनी चाहिये। लेकिन होता यह है कि हर साल वह ताजे रकम को वसूल करने की कोशिश करता है और बकाया की वसूली के लिये कलेक्टर को लिखता है और धीरे-धीरे वह रेवेन्यू की तरह ही वसूल किया जाता है। मैं आपके सामने इन सारी बातों के बारे में इस संशोधन में सुधार के बारे में १०-१५ प्वाइन्ट का एक नोट बनाकर दे दूंगा कि बिक्री-कर में यह सुधार किये जा सकते हैं और इनके करने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय उन पर अमल करेंगे। जैसा मेरे साथी माननीय सदस्य ने कहा मुझे उम्मीद है कि सरकार खाद्यान्नों पर से बिक्री-कर हटा लेगी और ५ नया पैसा लगाने का जो अधिकार ले रही है, उसके लिये जिन वस्तुओं पर वह लगाया जा रहा है, उसे वह बतायेगी और लाइसेंस की फीस जो १०० रुपया है, उसे घटा कर वह २५ रुपये कर देगी।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस संशोधन विधेयक पर बोलने का आपने अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(इस समय २ बजकर ३१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

इस विधेयक के संबंध में जो संशोधन आये हैं, मैं उनका विरोध करता हूं। इसके संबंध में माननीय सदस्यों ने किसान और मजदूरों की जिन्दगी की चर्चा की, वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम इसके उद्देश्य और कारणों को देखते हैं जैसा कि मंत्री जी ने दिये हैं कि बहुपदीय टैक्स के स्थान पर एकपदीय टैक्स का निर्धारण करने जा रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की कि उनका मन्तव्य वह नहीं है जो प्रकट किया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब टैक्सेशन कई स्टेजेज पर होता है तो टैक्स इवेजन के चांसेज भी बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर एक ही स्रोत पर टैक्स देने की प्रथा होती है तो नियंत्रण भी हो सकता है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निरीक्षण भी हो सकता है तथा अन्य कार्यवाही भी हो सकती है। एक मोटी सी बात है कि जब कई स्तर पर टैक्स लिया जाता है तो कई अधिकारी चेक करते हैं और इवेजन के चांसेज बहुत हो सकते हैं। इसलिये मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि इसमें तथ्य नहीं है। करापवंचन बचाने के लिये यह कारगर सिद्ध होगा।

मरकेंटाइल एजेंट्स के बारे में बहुत सी बातें कहीं गईं। यह वह तत्व है जिनके द्वारा टैक्स का इवेजन होता है, सरकार को धोखा देने वाली बात होती है और अधिकारियों को मिलाने और रिश्वत देने की बात होती है। अगर इनको लाइसेंस के चक्कर में फसाने की बात होती है, रिकार्ड रखने की लिये मजबूर करते हैं तो जाहिर है कि उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। इसके दो आस्पैक्ट्स हैं। एक तो किसान मजदूर और उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ने वाला है। यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इस पर भी विचार करना चाहिये। लेकिन दूसरे पहलू को छोड़ कर इस बात पर आ जायं कि सरकार ने व्यापारियों को खुश करने के लिये ऐसा किया है, ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जो व्यापारी टैक्स का इवेजन करता है वह सुख की नींद नहीं सो सकता है। वह तो जेल जायगा, आज नहीं तो कल जायगा। आज के अधिकारी बेईमान हैं तो कल ईमानदार होंगे और व्यापारी वर्ग को बार्स के पीछे जाना पड़ेगा। यह बात हमारी सरकार कर देगी।

हमें यह देखना है कि इस टैक्स का कितना असर कंज्यूमर पर पड़ने वाला है। हमारी स्टेट की आमदनी का खास साधन रेवेन्यु है और हमारे यहां कोई विशेष इंडस्ट्री डेवलप्ड नहीं है और कोई साधन नहीं है। हमारे यहां एक ही टैक्स है, चाहे इसे पार्टीसिपेशन कहिये चाहे टैक्स कहिये। ऊदल जी ने मद्रास की मिसाल दी। मैं हैदराबाद गया था वहां कई स्टेट के लोग आये थे। महाराष्ट्र और गुजरात में सारी रेवेन्यू के लिये पंचायत को पावर्स दे दी गई हैं। वहां पर सारा रेवेन्यू गांवों में खर्च हो रहा है। अन्ततोगत्वा जब यहां पर भी पंचायती राज्य की परिणति होगी तो ९० प्रतिशत रेवेन्यू पंचायती राज्य पर खर्च होगा और वह गांवों के प्रधानों वगैरह के द्वारा व्यय होगा। तो हमें सब चीजों को, अपनी योजनाओं को, गवर्नमेंट की शान्ति व्यवस्था स्थापन के लिये जिम्मेदारी को, कल-कारखाने स्थापित करने की जिम्मेदारी को सभी आसपेक्ट्स को देखकर तब हमें अपनी बात कहनी चाहिये। सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं, आपका बजट, इन्कम और एक्सपेंडीचर सब मौजूद है, उनको देखिये और यह देखिये कि रेवेन्यू का कितना हिस्सा गांवों पर खर्च हो रहा है। यह सब देख कर तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जिस स्प्रिट से यह विधेयक रखा है उसको सपोर्ट करना चाहिये। बहुपदीय पद्धति बड़ी कम्पलीकेटेड थी, उसकी सफाई हो गई, अब एकरूपता आवेगी, टैक्स लेने में सुविधा होगी, अधिकारी अधिक कड़ाई से नियंत्रण कर सकेंगे और इससे इवेजन टैक्स का बच सकेगा।

जहां तक २ पैसे खाद्यान्न पर छोड़ने की बात है उसके लिये मैंने मंत्री जी से जानना चाहा कि अगर वह न लिया जाय तो उससे हमारे बजट पर कितना असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो जाहिर है कि कोई भी सरकार इतने बड़े बोझ को नहीं उठा सकती लेकिन सरकार यह देखे कि उसको किस प्रकार कम से कम किया जा सकता है। क्योंकि नागपुर सेशन में कांग्रेस कमिटेड है कि खाद्यान्न समस्या जो सब समस्याओं की समस्या है और आधार भूत समस्या है, उसको हल करने के लिये सरकार उस पर पूर्ण नियंत्रण अपना रखेगी जिससे यहां का जो नागरिक है उसको भोजन प्राप्त है क्योंकि उसके ऊपर ही भोजन और वस्त्र जनता को देने की जिम्मेदारी है। तो ऐसी स्थिति में जब रेट्स फिक्स हो जायेंगे और गवर्नमेंट व्यापारी हो जायगी तो गवर्नमेंट पर जरूर ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन प्राइस लाइन पर कंज्यूमर्स को माल पहुंच जाये इसके लिये सरकार ज्यादा से ज्यादा स्टेट ट्रेडिंग के लिये जल्द से जल्द कदम उठावें क्योंकि अगर प्राइस फिक्स नहीं होगी तो कंज्यूमर्स पर ज्यादा असर पड़ेगा और अगर प्राइस लाइन फिक्स होती है तो व्यापारियों पर, चाहे वह प्राइवेट व्यापारी हो या स्टेट ट्रेडर हो, उस पर असर पड़ेगा। इसलिये इस दृष्टि से इस पर विचार होना चाहिये। इसी दृष्टिकोण से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आज यह विधेयक समाप्त होना है इसलिये कब तक जनरल डिस्कशन चले ? क्या सवा ३ बजे तक ?

अनेक सदस्य--

तीन बजे तक हो जाय ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--

माननीय मंत्री जी को बोलना है इसलिये जल्दी कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, दो आदमी जल्दी-जल्दी बोल लें तो रिप्लाई हो जायगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिक्री-कर मालगुजारी के बाद हमारे प्रदेश की आमदनी का सबसे बड़ा साधन है । जितनी मालगुजारी इस प्रदेश की जमींदारी एबालिशन से पहले थी उससे कहीं अधिक अब हम सेल्स-टैक्स के रूप में यहां की जनता से वसूल कर रहे हैं । श्रीमन्, यदि इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाते तो मैं इसका स्वागत करता लेकिन इसमें जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं उनमें व्यापारियों को राहत देने की बात कही गई है । जैसा हमारे मित्र श्री ऊदल जी ने व्यक्त किया था और इसमें लिखा है कि वर्तमान पद्धति.....

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

उपाध्यक्ष जी, इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, जहां तक इसके उद्देश्य और कारणों का सम्बन्ध है, उसमें बतलाया गया है कि ऐसे व्यवसायी अभिकर्त्ताओं के लिये जो इसका व्यापार करते हैं, उनको राहत देने के लिये यह विधेयक लाया गया है । अगर यह हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर लाया गया है तो मैं समझता हूं कि व्यापारियों को आप उसी प्रकार से राहत दे रहे हैं । यदि वह कमेटी, जिसके सदस्य हमारे जगदीशशरण जी भी हैं, आगे भी ऐसे सुझाव देगी जिससे जनता को राहत मिले, तो बहुत अच्छी बात होगी । असल में मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इसमें हमने शब्द "प्रवंचना" रखा है और कहा है कि हमारे टैक्सों में बहुत ज्यादा चोरी होती है तो इस कारण से भी इसको ला रहे हैं और एकसूत्रीय कर लगा रहे हैं ।

मेरा ऐसा विचार है कि यह जो हाई पावर कमेटी है उसने शायद उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, विचार नहीं किया और यदि विचार किया है, तो निश्चयपूर्वक उन्होंने उन बातों को यहां हाउस में लाने की कोशिश नहीं की और उन बातों पर बिल लाने की कोशिश नहीं की जिससे जनता को, व्यापारियों को और सभी को सन्तोष हो और सरकारी कोष में पैसा भी आये । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह कारण नहीं है टैक्स इवेजन का जो इसमें दिया गया है । बल्कि मेरा कहना यह है कि टैक्स का इवेजन इसलिये होता है कि हमारी कर वसूली की पद्धति में कुछ कमी है । मैं नहीं समझ पाता कि हमारी हाई पावर कमेटी इस बात पर विचार क्यों नहीं करती कि जनता को क्या परेशानी है जिसके कारण टैक्स वसूल नहीं हो पाता या उसका इवेजन होता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा प्रोसीजर भी इतना गलत है कि जिसके

कारण जनता और दूकानदार दोनों भ्रम में पड़े हुए हैं। जितने भी असिस्टेंट सेल्स टैक्स अफसर हैं वे ९० प्रतिशत फैसले टु दि बेस्ट आफ देयर जजमेंट, अपने विवेयक के अनुसार करते हैं। व्यापारी के लिये उस तरह से हिसाब रखना संभव नहीं है जैसा कि वह चाहते हैं। वे कभी यह भी नहीं बतलाते कि किस प्रकार हिसाब रखा जाय और अपने कामों से व्यापारियों को तंग करते हैं। आपको इस बेस्ट आफ जजमेंट के लिये अवश्य ही कोई नियम बनाना चाहिये। इससे भले ही आपका खजाना भरता रहे लेकिन जनता और व्यापारी को कोई सहूलियत नहीं होगी। आप आंकड़े मंगायें कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे फैसले हैं कि जो बेस्ट आफ जजमेंट पर आधारित हैं तो आपको मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जायगी। ९० फी सदी मामले इसी प्रकार से फैसल किये जाते हैं। आज इन्कम टैक्स का इतना बड़ा भार हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन सेल्स टैक्स से निकलना व्यापारी के लिये मुश्किल हो रहा है। आज जनता यह टैक्स बरदाश्त करने काबिल है नहीं और इसलिये कम से कम अनाज पर से तो आपको टैक्स बिलकुल उठा लेना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा प्रोसीजर इस सम्बन्ध में बड़ा त्रुटिपूर्ण है। जो रूपपत्र ४ है वह हमको हर तीसरे महीने भर कर भेजना पड़ता है और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। आप चाहे उसे ६ महीने पर या साल भर के बाद भेजने की व्यवस्था करें, लेकिन उसमें परिवर्तन अवश्य होना चाहिये। इसके अतिरिक्त जो एस० टी० ओज० हैं वे मार्च के आखिरी हफ्ते में दौरे पर जाते हैं। यह ठीक नहीं है। आपको उनको आदेश देना चाहिये कि वे मार्च के अलावा भी दौरे पर जाया करें और बेस्ट आफ जजमेंट की बात समाप्त कर व्यापारी पर आप विश्वास करें। जब तक आपके पास कोई दूसरी बात सिद्ध न हो जाय आप व्यापारी की बात को गलत न मानें। हमने अगर अपने नौकर से एक हजार रुपया लेकर दूकान में लगाया है तो एस० टी० ओज० इस बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहते। क्या नौकर से रुपया कर्ज लेकर व्यापार करना बुरी बात है? लेकिन उनके इस एटीटयूड से ही जनता की परेशानी बढ़ती है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने इस समस्या को कुछ हल्के रूप में लेने की कोशिश की है, अनाज पर हल्का टैक्स करने की कोशिश की है उसी के साथ एक चीज और है। हमारे यहां दवाइयों का उत्पादन, देशी और अंग्रेजी दवाइयों का, कई प्रकार का होता है जिन पर आपने कर की व्यवस्था की है। जिस प्रकार से अन्न हमारे जीवन के लिए उपयोगी है उसी प्रकार से दवाइयां भी हैं। यह अवश्य है कि उत्तर प्रदेश में बनने पर एकसूत्रीय कर आप लगाते हैं लेकिन बाहर से दवाइयां मंगाने पर बाहर का और यहां का दो बार टैक्स देना पड़ता है। दवाई ऐसी चीज जो अत्यन्त उपयोगी है, उस पर आप कोई टैक्स न रखें, क्योंकि लोगों को उससे बड़ी परेशानी होती है। अन्ततोगत्वा तो सभी टैक्स पब्लिक के मत्थे पड़ते हैं।

आज हालत यह है कि मैं बरेली का किस्सा लेकर गया था, जगदीशशरण जी जानते हैं, हमारे यहां सेल्स टैक्स के दफ्तर में इतनी कम जगह है कि व्यापारियों के बैठने के लिए तो क्या, वहां ए० एस० डी० ओ० के लिए जगह नहीं है। पानी पीने का प्रबन्ध नहीं है, पैसा तो आप खूब लेना चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए, आफिसर्स के लिये कोई सुविधा नहीं है। ६-६ फिट के कमरे हैं, पंखा लगाने की जरूरत नहीं दिखाई देती।

तो इन शब्दों के साथ, मैं तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर संशोधन विधेयक पर जिन माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये उन सभी ने इस बात की आवश्यकता व्यक्त की कि उसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। यह सही है कि सरकार ने इसके लिए कोई कमेटी भी बनायी

[श्री मैनेजरसिंह]

थी जिसकी रिपोर्ट सामने नहीं आयी। कल जब इस विधेयक से संबंधित कागजात मांगे गये तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगे, लेकिन मुझे खेद है...

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)---

मैंने सदन की मेज पर रखने का वादा किया था और कल ही वह टेबिल पर रख दिये गये।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

खैर, टेबिल पर आपके पास पहुंच गये तो मैं मानता हूं कि हमारे यहां पहुंच गये। लेकिन वह भी अंग्रेजी में है---उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी हंसते हैं...

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, आइन्दा से हमेशा हिन्दी में होना चाहिए।

श्री मैनेजरसिंह---

यह सरकार बराबर इस आदरणीय सदन में घोषणा करती है कि हिन्दी से कम मोह कांग्रेसी सदस्यों को और सरकार को नहीं है, लेकिन वास्तव में यह सरकार और इसके प्रतिनिधि अंग्रेजी के मोह से अपने को अलग नहीं कर रहे हैं। आपने देखा, अभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रश्नावली भी अंग्रेजी में ही छपी है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रमजाल में उलझ गयी है। जिस प्रकार से इस प्रदेश और देश की जनता इस बात का अहसास नहीं करती कि इस देश का भाग्य उसके हाथ में है। एम० पी०, एम० एल०ए०, मिनिस्टर और छोटे-बड़े अफसर, सब जनता के नौकर और सेवक हैं और सब सुविधा और तनख्वाह जनता से पाते हैं। यह बात जनता १७ साल के कांग्रेसी शासन में भूल चुकी है, इस हुकूमत ने जनता को गुमराह किया। वैसे ही प्रदेश की सरकार और सरकार के चलाने वाले मंत्री अपने कर्तव्य का अहसास नहीं कर रहे हैं। वे समझते हैं कि सरकारी अफसर ही असल में कर्णधार हैं इस हुकूमत के। वे समझते हैं कि अफसर और सड़ियल अधिकारी जो सेक्रेटेरियट में बैठते हैं वही असली कर्णधार हैं और वे उनके कारिन्दे और सहायक हैं। सारा तंत्र आज इन सड़े और अफसर अधिकारियों के इशारे पर चल रहा है। यह विधेयक भी उसी का प्रतिफल है। मैं मानता हूं कि हमारे उप मंत्री जी किसानों के बीच से आते हैं, मगर यह समझ में नहीं आता कि वे कैसे इस प्रकार के बिल को यहां ले आये और खाद्यान्न जैसी वस्तु पर भी सेल टैक्स लगाने का प्रविधान उन्होंने कर दिया।

मैं पूछता हूं कि क्या आप नौकरी करने के लिये डिप्टी मिनिस्ट्री कर रहे हैं? आपको त्यागपत्र दे देना चाहिये यदि आप किसान के हित की बात नहीं कर सकते। जिन लोगों ने अपनी सारी जवानी देश की आजादी में खपा डाली, आज बुढ़ौती में जब वे किसानों के अहित की बातें यहां करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। आज बुढ़ौती में कुर्सियों का मोह उन्हें नहीं छोड़ रहा है। वे मंत्री ऐसा करें जो सरमायेदारों के इशारों पर चलते हैं तो मुझे अफसोस नहीं होता। मगर जो किसानों के बीच से आते हैं, जब वे ऐसी बातें करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। वर्मा जी जैसे व्यक्ति जब ऐसा करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। आप क्यों गांधी जी का नाम लेते हैं? यहां जो आपने उनका फोटो लगा रखा है उसे हटा दीजिये, जब आप उनकी नीतियों पर नहीं चलते। गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह छेड़ा था तब सब लोग कहते थे कि गांधी जी पागल हैं। मगर गांधी जी का कहना था कि नमक वह वस्तु है जो गरीब से गरीब खाता है और वही सबसे अधिक उसका इस्तेमाल करता है। इसलिये उन्होंने उसके नियंत्रण का विरोध किया था और उनका कहना था कि जो गरीब के इस्तेमाल की वस्तुयें हैं उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण या टैक्स नहीं लगाना चाहिये। जैसा हमारे फूलसिंह जी ने कहा था, अमीर तो सेव, मेवा आदि और चीजें खा सकता है, मगर गरीब के लिए

तो मोटा अनाज ही चाहिये। उस पर आप टैक्स लगाने की बात सोचते हैं। बनारस के विश्वनाथ जी के मन्दिर की गलियों के भिखमंगे जो भीख मांग कर पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से अनाज खरीदते हैं उन पर भी आप टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उस पर विचार करें और खाद्यान्न पर कतई कोई टैक्स लगाने की बात न सोचें।

माननीय गेंदासिंह जी इसलिये कांग्रेस में चले गये कि वे वहां जाकर कुछ सुधार कर सकेंगे, समाजवाद ला सकेंगे। जब वे इधर थे तो कहा करते थे कि खाद्यान्न पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। मुझे खुशी होगी अगर वे अपनी बातों को भूलेंगे नहीं। जैसा हमारे साथी माननीय विजयसिंह जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि एक कमेटी बनाई जाय वह इस पर विचार करे, किन्तु जिस कमेटी का माननीय विजयसिंह ने जिक्र किया श्रीमन्, उस कमेटी का घोर विरोध करता हूं। जिले का सप्लाई इंसपेक्टर जिलों में जो कार्य करता है वह प्रान्त स्तर पर हमारे माननीय गेंदा बाबू की कमेटी को दिया गया है कि सस्ते गल्ले के राशन का चेकिंग (जांच) करें और सरकार को रिपोर्ट दें। ये सीनियर स्टेट सप्लाई इंस्पेक्टर मुकर्रर कर दिये गये हैं। उस प्रकार की कमेटी का मैं विरोधी हूं। माननीय श्री जगदीश-शरण अग्रवाल जी कांग्रेस के सम्मानित सदस्य हैं, ये जो बात करते हैं, इसी बात को आप मान लीजिये। हमारे सारे विरोध वापस, जनमत संग्रह का प्रस्ताव वापस, और प्रवर समिति का प्रस्ताव वापस। आपकी पार्टी के ही सदस्य है माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी, आप उनकी बात मान लीजिये, हमारे सब प्रस्ताव वापस। अगर नहीं मानते हैं और हठधर्मी करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि और उस जनता की भावनायें व्यक्त करना चाहता हूं जिसने मुझे इसका विरोध करने के लिये भेजा है।

श्रीमन्, हमारा क्षेत्र दोआबा का क्षेत्र है, वह अपने प्रदेश का वह पूर्वी का सबसे छोटा सा हिस्सा बिहार प्रदेश में घुसा हुआ है। वहां का सुरेमनपुर स्टेशन सरकार ने बन्द किया है, गल्ला के आयात के लिये। राशन की दूकानों को गल्ला देते नहीं और तरह तरह के नियंत्रण लगाते हैं। उस क्षेत्र की जनता की बात यहां रखना चाहता हूं। यदि आप अन्न पर टैक्स लगाते हैं तो आप गांधी जी की आत्मा की हत्या करते हैं। जिस तरह से गांधी जी की हत्या करने वाला अपराधी है, उसी तरह से उतना ही अपराधी सरकार खाद्यान्न पर टैक्स लगाने से है। एकपदीय टैक्स आपने लगाया, उसका मैं स्वागत करता हूं। करों की चोरी होती है दोपदीय या बहुपदीय में चोरी होकर के जो आपकी आमदनी थी वह आमदनी मैं समझता हूं एकपदीय से हो सकती है। कर चोरी के बाद असल आमदनी जो सरकार की थी, उतनी एकपदीय से हो सकती है। फिर एकपदीय टैक्स का दर बढ़ा रहे हैं ३ से ५ वह बिलकुल नाजायज है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह गुड़ के विषय में है। गुड़ क्या खाद्यान्न नहीं है? हमारे यहां गुड़ और चना खाकर लोग रहते हैं। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व में एक भेली गुड़ का शरबत बनाकर गरीब मजदूर और किसान एक गिलास पीता है और उसी एक गिलास शरबत पर सारा दिन मजदूरी करता है और आठ आना और चार आना रोज कमाता है और फिर शाम को उसका अन्न लेकर अपने परिवार का पेट भरता है। आपने उस गुड़ को भी खाद्यान्न से अलग कर दिया और उस पर आपने ५ पैसा कर भी रख दिया। लेकिन आप भूल गये हैं इसी तरह से प्रदेश और देश की जनता भूल गयी है कि मालिक कौन है। जनता मालिक समझती है मिनिस्टर्स को, एम० पी० और एम० एल० एज० को। आपका भी दिमाग खराब हो गया है आप समझते हैं कि ये सेक्रेटरीज जो कुछ करते हैं वह सब ठीक करते हैं और वे सब कुछ हैं जिन्होंने कभी गरीबी का मुंह नहीं देखा है, जो किसानों के बीच में कभी रहे नहीं हैं। आप उन्हीं के बनाये हुये प्रस्तावों को यहां पर पेश कर देते हैं। यह बिलकुल गुनाह है। अगर आप इसको धन्यवाद के साथ पास कराना चाहते हैं तो इसको एकपदीय ही रहने दीजिये, और खाद्यान्न पर से बिक्री कर समाप्त कर दीजिये। तब हम आपको बधाई देंगे। आज ऐसी महंगाई का जमाना है कि पश्चिमी जिलों की जो जनता कभी अनाज के लिये नहीं तड़पी थी, वह भी आज अन्न के लिये शोर मचा रही है। इस स्थिति में खाद्यान्न के ऊपर कोई टैक्स आप न लगायें।

[श्री मैनेजरसिंह]

मैं इस निवेदन के साथ विवाद को समाप्त करता हूं कि यदि माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी के सुझाव को सरकार मान ले तो हम इस प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे, नहीं तो, वह रहेगा ।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, जवाब में मैं क्या कहूं जबकि अन्न की यह हालत है कि जनता भूखों मर रही है लेकिन फिर भी आप उसकी कमर टैक्सों से तोड़ने के लिये तैयार हैं । मेरा तो ख्याल है कि इसमें आपको आग ही लगा देनी चाहिये । आपने इसमें बताया कि इससे कन्ज्यूमर को फायदा होगा । अगर ऐसा होता तो मैं इसका स्वागत करता, लेकिन रिलीफ तो क्या हम तो टैक्स के मारे उकता गये हैं । हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमको टैक्सेज से बरी करे और अपना काम सुविधा से चलाये ।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों पक्षों के लोग यह चाहते हैं खाद्यान्न पर से टैक्स हटा लिया जाय और अन्य वस्तुओं पर से ५ प्रतिशत से कुछ कमी कर दी जाय । इसलिये सब माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करते हुये चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि जितने भी भ्रम और जो विचार इस संबंध में व्यक्त किये गये हैं, उन पर विचार करके एक सर्वमान्य संशोधन विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जा सके ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव किया था । उधर और इधर दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की बातों को मैंने सुना । मैं शुक्रगुजार हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरी मांगों का समर्थन किया, कांग्रेस पक्ष के लोगों की ओर से उनका समर्थन हुआ। खासतौर से खाद्यान्न की स्थिति के बारे में सभी लोग जानते हैं। माननीय मैनेजरसिंह जी ने बड़े तर्क के साथ और काफी सुन्दर ढंग से इसको समझाया । मैं समझता हूं अब खाद्यान्न की स्थिति के बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि अगर माननीय मंत्री जी हर प्रदेश को देखें कि कहां कहां खाद्यान्न पर टैक्स लगा हुआ है तो मैं समझता हूं कि वे कभी भी इस बात को मानने के लिये तैयार न होंगे कि खाद्यान्न पर हमारे यहां टैक्स लगना चाहिये । राजस्थान में खाद्यान्न पर कोई टैक्स नहीं है । इसी तरह से बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व मणिपुर में भी खाद्यान्न पर कोई टैक्स नहीं है । जब इन प्रदेशों में खाद्यान्न पर कोई टैक्स नहीं है तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी माननीय राममूर्ति जी से बात कर लें तो वे भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे । आज अरबों रुपये लगा कर आप बाहर से गल्ला मंगाते हैं लेकिन लोगों को सप्लाई नहीं कर पाते । फिर अगर आप ऐसी चीजों पर भी सेल्स टैक्स के रूप में टैक्स रखते हैं तो यह बड़ी ही घातक चीज होगी और शर्म की चीज होगी ।

जहां तक टैक्सेशन का संबंध है वह एक समस्या के रूप में इस सदन के सामने हैं और जो वाकई में शर्म की चीज है और मैं समझता हूं कि एक तरह से इस सदन का अवमान भी है कि एक विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय और सदन को, सदस्यों को यह भी न बतलाया जाय कि किन-किन चीजों पर किस तरीके से हम टैक्स लगाने जा रहे हैं । मैंने शुरू में ही माननीय मंत्री जी के सामने और इस सदन में यह बात रखी थी कि इस विधेयक पर विचार करने से पहले हम लोगों को बतला दिया जाय कि किस तरीके से किस रेट से किन-किन चीजों पर सरकार सेल्स टैक्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लगाने जा रही है लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी चीज हम लोगों को नहीं मिली जिससे हमलोग सोंच सके कि किस तरीके से और किस रूप में सरकार सेल्स टैक्स लगाने का विचार कर रही है। जब तक हम लोगों को या सदन के तमाम सदस्यों को यह मालूम न हो कि किन किन चीजों पर किस रेट से किस रूप में यह टैक्स लगेगा जब तक हम कैसे सैंक्शन दे सकेंगे या सदन सैंक्शन दे सकेगा इस विधेयक के ऊपर, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिये मैं पुनः आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से से यह मांग करता हूं कि सदन से अगर आप कोई भी चीज पास कराना चाहते हैं तो उसकी विस्तृत लिस्ट अगर आप न दे सकते हों तो कम से कम वेराइटीज हमें बतला देनी चाहिये कि कौन-कौन सी चीजें होंगी जिन पर आप टैक्स करेंगे। इस प्रकार की चीजों को सदन के सामने न रखना मैं समझता हूं कि यह सदन का अवमान है।

तीसरी चीज यह है कि और प्रदेशों की लिस्ट को मैंने देखा तो पाया कि कई प्रदेशों में यहां तक है कि अस्पतालों में जो थालियां सप्लाई की जाती हैं उन पर भी कोई सेल्स टैक्स नहीं है लेकिन हमारे प्रदेश में ऐसी बात नहीं है। इतना ही नहीं, अभी हमारे माननीय मैनेजरसिंह ने बतलाया कि बीड़ी जैसी इंडस्ट्री को भी आपने इस टैक्स से नहीं छोड़ा है। बीड़ी जिसको गांव के लोग पीते हैं और जिस इंडस्ट्री में तमाम गरीब औरतें लगी हुई हैं जो १० आने १२ आने रोज कमा लेती हैं उस पर भी आपने सिगार व सिगरेट की तरह ही ६ नये पैसे के हिसाब से टैक्स लगाया है। मैं नहीं समझता कि इसमें कहां की अकलमन्दी है। इसके साथ ही साथ किरोसिन तेल व माचिस पर तथा खांडसारी, मोलासेज, गुड़ जैसी चीजें जो आदमी को जिन्दा रखती हैं और उनको भी आप छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं, तो मैं नहीं जानता कि यह सरकार इस प्रदेश को कहां ले जायगी। हमारी स्थिति थोड़े दिनों के बाद क्या होगी, यह नहीं कहा जा सकता।

अब मैं एक बात कह दूं कि शुरू से आखिर तक यह बात कही गयी कि हम तो यह चाहते हैं कि आप सिंगल प्वाइंट टैक्स ही रखें। मैं इस बात के लिये बधाई देता हूं कि १३ वर्ष के बाद सरकार की अक्ल में एक बात आयी कि मल्टिपुल टैक्स को आपने स्वीकार किया कि यह एक रद्दी चीज है। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि जैसा श्री मैनेजरसिंह ने कहा है कि एकपदीय कर जो लगाया जा रहा है और खाद्यान्न पर जो १ नये पैसे के स्थान पर २ नया पैसा कर लगाया जा रहा है और तर्क सरकार की ओर से यह है कि चूंकि २ स्टेजेज होंगे जिन पर यह बिक्री-कर लिया जायगा वह मल्टिपिल प्वाइंट टैक्स २ स्टेजेज पर लिया जाता। इस वास्ते हम एक पैसे की जगह अब २ पैसे ले रहे हैं एक ही स्टेज पर ताकि हमारे सूबे की रेवेन्यू कम न हो। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर यही बात है कि अब तक १ नया पैसा लेते थे तो आपके सूबे में कुल कितना गल्ला पैदा होता है और कितना उसमें से पक्के आढ़तियां द्वारा खरीदा जाता है और कितनी बिक्री होती है। दस करोड़ से कम आय उनकी नहीं है अगर मंत्री जी पूरा हिसाब इसका लगायें।

मुझे इसका बहुत अफसोस है कि इस सरकार के जो खाद्य सचिव हैं उनसे मैंने बात की, बिक्री-कर के सचिव से भी बात की और कृषि विभाग से भी जानने की कोशिश की लेकिन कोई अधिकारी मुझे नहीं बता सका कि कितना गल्ला प्रदेश में पैदा होता है और कितना बाहर से मंगाया जाता है और प्रदेश के लिये कुल कितने गल्ले की जरूरत होती है। सचिवालय के उच्चतम अधिकारी जब एक विधान सभा सदस्य को इतना तक न बता सकें तो इससे बढ़कर सरकार के लिये शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह जो आप प्रदेश में बंगाल की स्थिति पैदा कर रहे हैं उसके लिये आपकी यह सरकार जिम्मेदार है क्योंकि सरकार अपनी फेसिलिटी के लिये सिंगल प्लाइंट टैक्स पक्के आढ़तियों पर लगा रही है ताकि और आगे के ट्रान्जेक्शन्स से यह कर मौकूफ रहे लेकिन आप दूसरे का खून कर से यह पैसा न लें। आज हमारा उपभोक्ता भुखमरी की स्थिति में है, जब वह गल्ला खरीदता है तो किस तरह से पैसा इकट्ठा करता है, इस सारे डिटेल में न जाकर मैं इतना ही मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वह भूखे को भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं जिनको आप गल्ला भी नहीं दे सकते, ऐसे आदमी के भोजन पर जिस पर उसकी जिन्दगी निर्भर है उस पर भी आप अगर कर लगाना चाहते हैं तो

[श्री कमलासिंह यादव]

इस समय की दयनीय स्थिति में उससे बढ़कर घातक चीज प्रदेश के लिये और क्या हो सकती है । इसलिये मैं मंत्री जी से और सुचेता जी से जो माता का स्थान रखती हैं और यहां की मुख्य मंत्री हैं, वह इस सदन में इस विधेयक की वापसी का एलान करतीं जिस तरह से कि जोतकर विधेयक के समय उन्होंने जनता के कष्ट को समझ कर किया था । आज की खाद्य स्थिति को देखते हुये वह एलान करतीं कि जितनी भी खाद्यान्न की चीजें हैं उन पर हम किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगायेंगे । लेकिन जिस हिम्मत के साथ उन्होंने यहां मुख्य मंत्री के रूप में प्रदेश किया था उनमें आज वह हिम्मत नहीं है कि वह इस कर को वापिस करने का एलान कर सकें ।

जहां तक रिएलाइजेशन की बात है हर जगह कानून बने हुये हैं और नक्शे बने हुये हैं कि किस तरह से बिक्री-कर का रिएलाइजेशन होगा । मैं मंत्री जी से एक बात ही कहूंगा कि पिछले दिन भी मैं काफी कह चुका हूं कि अगर टैक्स का रिएलाइजेशन करना है और अगर सरकार में ईमानदारी है तो सरकार का पहला कर्तव्य होगा कि जिस तरह से आप लैंड रेवेन्यू की तरह किसान से लगान वसूल करते हैं उसी तरह से आप कोई नियम बनायें । इस कानून के अन्दर कोई परिवर्तन लाया जाय जिससे लैंड रेवेन्यू की तरह इन व्यापारियों से जिनके पास सेल्सटैक्स बाकी है वसूल किया जाय । आप भले ही हम लोगों को धोखे में रख कर काम चलाते रहें लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब कि आपको जनता के सामने भी जवाब देना होगा । यह समय २ साल के करीब है उस समय आपको यह बताना पड़ेगा उन लोगों को जिनके बल पर आप यहां आने का दावा करते हैं और जिनके प्रतिनिधि होने का आप दावा करते हैं कि किस तरह से आप उनकी रक्षा करते हैं और भक्षण होते हैं और दूसरों की रक्षा आप करते हैं । मैंने, श्रीमन्, यह भी देखा है कि किसानों की मालगुजारी आप किस तरह से वसूल करते हैं । मैं इन सबकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर इस सरकार में ईमानदारी है और ईमानदारी से सेल्स टैक्स का रुपया वसूल करना चाहती है तो उसका एक ही तरीका है कि चाहे टैक्स लगाने का काम आप अपने अधिकारियों द्वारा कर सकते हैं लेकिन सेल्सटैक्स को वसूल करने का अधिकार उन्हें न देकर मालगुजारी की तरह वसूल किया जाय । यह सदन बर्दाश्त नहीं करता कि साल के बाद यह बताया जाय कि ११ या १२ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का बाकी पड़ा है ।

जहां तक हमारे डेवलपमेंट के कार्य हैं, जितने कानून बनते हैं उनके अन्दर यह बताया जाता है कि हमारे डेवलपमेंट के काम रुके हुये हैं क्योंकि हमारे पास रुपया नहीं है । एक तरफ डेवलपमेंट के काम स्थगित किया जा रहे हैं और दूसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि हमारा करोड़ों रुपया लोगों के ऊपर बाकी पड़ा है । सेल्स टैक्स के एम्स और आब्जेक्ट्स को मैं पढ़ कर सुनाए देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

वैसे ही जिस्ट बता दीजिये । पढ़ने की क्या आवश्यकता है ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं तो केवल २-१ लाइन जो इस संबंध में आवश्यक हैं, उनको पढ़े देता हूं ।

श्री प्रेमसिंह--

श्रीमन्, मेरे विचार में इसमें जल्दी न की जाय । जल्दी का काम खराब होता है । यह मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव--

उसमें यह दिया हुआ है कि--

"State Government have started an extensive programme for the economic and cultural development of the State. At the same time owing to prohibition, income from excise duty is likely to shrink gradually" तो श्रीमन्, एक्साइज में मद्यनिषेध योजना लागू कर रहे थे उसकी वजह से यह जरूरी हो गया कि जो रेवेन्यू इस स्टेट का था वह घट रहा है। उसी के लिये यह सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है लेकिन यह महात्मा गांधी की आवाज तो खत्म हो गयी, जिनकी स्कीम थी कि नमक, दियासलाई, मिट्टी के तेल पर टैक्स आदि न लगे, वह तो सब खत्म हो चुका है। अब तो उन चीजों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है।

साथ ही साथ जहां अफसरों के शराब पीने की बात है गवर्नमेंट सर्वेन्टस रूल्स में भी दिया हुआ है कि सरकारी अफसर भी शराब पी सकता है और शराब पीकर अपनी ड्यूटी पर भी जा सकता है। तो जो सरकार अपने अफसरों को शराब पिला रही है, उस सरकार को तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जिस आमदनी के कम होने का जिक्र किया गया था और जिसकी वजह से यह सेल्स टैक्स लगाने की बात कही थी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज मद्यनिषेध की योजना खत्म हो गयी है। आज करोड़ों रुपये की उससे आमदनी बढ़ गयी है। तो जब आमदनी बढ़ गयी है और जिसकी वजह से यहां पर सेल्स टैक्स लगाया गया था वह आशय पूरा हो गया तो आज कम से कम सेल्स टैक्स और चीजों पर नहीं तो खाद्य सामग्री पर सेल्स टैक्स वापिस ले लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय, उसकी मैं ताईद करता हूं ताकि दोनों सदन के माननीय सदस्य एक जगह बैठकर थोड़े समय में किसी तरह परिवर्तन करना चाहते हैं तो करें क्योंकि यह विधेयक ऐसा है कि इसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है। हम तो इसमें बहुत थोड़े संशोधन दे सके हैं लेकिन इसमें आमूल परिवर्तन करके इसका जीर्णोद्धार किया जाय।

श्री जयराम वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभार मानता हूं जिन्होंने अपने विचार सदन के सामने व्यक्त किये और सुझाव दिये। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको सुझावों से हम यथासंभव लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक जनमत संग्रह के लिये प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति में इसे भेजने का प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं। उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो हम बिक्री-कर को एकपदीय करने के लिये, व्यापारियों को थोड़ी सुविधा देने के लिये और करापवंचन को रोकने के लिये कदम उठा रहे हैं उसमें थोड़ी देर और हो जायगी। मैंने पहले ही बतलाया था कि सरकार द्वारा विक्रय कर कमेटी नियुक्त है। काफी दिन पहले उसकी नियुक्ति हुई थी। उसने एक प्रश्नावली जारी की थी। विभिन्न संस्थाओं से जो लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं उनसे, क्रय-कर ऐक्ट अथवा बिक्री-कर ऐक्ट में जो खराबियां हैं, उनके बारे में सुझाव मांगे थे। कमेटी ने प्रदेश का दौरा किया और व्यापारी व्यक्तिगत रूप से और संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में कमेटी के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी गवाहियां दीं। खास तौर से कच्चे आढ़तिया काफी संख्या में कमेटी के सामने आये। अब कमेटी ने उन गवाहियों के जरिये जो मैटर इकट्ठा किया है उससे अधिक और क्या चीज जनमत संग्रह के द्वारा मिलेगी, यह मेरी समझ में नहीं आया। जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है उनको यह जानकारी नहीं रही होगी कि कमेटी ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है और काफी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है और काफी सुझाव उसके सामने आये हैं। तो अब जनमत संग्रह से क्या होगा? यह जानने के बाद मुझे आशा है कि वह प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

[श्री जयराम वर्मा]

जहां तक प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति की बात है उसकी आवश्यकता भी नहीं है । माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा उस कमेटी में इस सदन के कई सदस्य रखे गये हैं । तो जहां तक माननीय सदस्यों की राय जानने की बात है उसको जान कर ही, व्यापारियों से राय लेकर ही, प्रश्नावली का उत्तर पाकर ही इस संशोधन विधेयक को सदन के सामने लाया गया है। फिर संयुक्त प्रवर समिति अथवा प्रवर समिति में अब और क्या तय किया जायगा ? मुझे उम्मीद है कि माननीय कमलासिंह जी इसे वापस ले लेंगे । इस माननीय सदन के सदस्य जो कि उस कमेटी में थे उनके दिये हुए सुझावों पर यह बिल आधारित है । इस संबंध में बहुत-सी बातें कही गयी हैं उनका उत्तर देना मेरे लिये संभव न होगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

जो ५ पैसा लगाया गया है वह किन-किन चीजों पर लगाया जायगा यह तो बतला दीजिये ?

श्री जयराम वर्मा--

बहुत सी ऐसी बातें कही गईं, जिनका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है । लेकिन कुछ बातों का मैं जवाब देना उचित समझता हूं ।

पहली बात यह कही गई कि यह एक छोटा-सा बिल है, कम्प्रिहेन्सिव बिल क्यों नहीं लाया गया। तो यह बात तो उद्देश्य और कारण देखने से ही पता चल जाती है । कमेटी ने एक सुझाव दिया । एक ऐसा मसला जो बहुत दिनों से सरकार के सामने था और जो एक बहुत बड़ा अहम मसला व्यापारियों के लिये भी बन गया था, उसको सुलझाने का उपाय कमेटी ने बताया । सरकार ने तय किया कि जब पूरी रिपोर्ट आयेगी तो उस पर विचार करने के बाद एक कम्प्रिहेंसिव बिल लाने की आवश्यकता होगी। उसके पहले ही कमेटी के जो नये सुझाव समझ में आये हैं, उन पर संशोधन कर दिया जाये जिससे कि जनता को, सरकार को और व्यापारियों को लाभ होने वाला है। तो इसमें सरकार ने क्या खराबी की ? क्या यह अच्छी बात होती कि सरकार पूरी रिपोर्ट का इंतजार करती और तब उस पर विचार करती और तब तक के लिये इसे रोके रहती ? सरकार ने देर नहीं की और उस पर विचार करके स्वीकृति दी । सदन के सामने यह संशोधन विधेयक ले आई, जिससे कि व्यापारियों को लाभ होगा, कन्ज्यूमर्स का भला होगा और टैक्स की वसूली में भी आसानी होगी ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी जी ने प्रवर समिति के लिये संशोधन पेश करते हुये यह कहा कि इस संशोधन के कच्चे आढ़तियों को कोई लाभ नहीं हुआ और न इसके जरिये उनके लाभ के लिये कुछ किया गया है । सदन के कुछ माननीय सदस्य यह शिकायत कर रहे हैं कि व्यापारियों के लिये बहुत कुछ किया गया है और कन्ज्यूमर्स का कोई खयाल नहीं किया गया । यह दोनों बातें एक दूसरे से विरोधात्मक हैं । मैं उनसे जानना चाहूंगा कि फिर यह किसके लिये किया गया है ? मैं श्री तिवारी जी को बतलाना चाहता हूं कि यह विधेयक इसी बात पर आधारित है जो कच्चा आढ़तिया है, वह एक कमजोर तबका है और आज तक टैक्स की जिम्मेदारी उसी पर थी । वह जिम्मेदारी अब उस पर न पड़े और उसका बोझ हल्का किया जाये और कर के दायित्व से उसे बरी कर दिया जाये । उसको एक लाइसेंसी बनाकर यह व्यवस्था की गयी है कि उसी के द्वारा रजिस्टर्ड व्यापारी के पास माल पहुंचेगा और वह रजिस्टर्ड व्यापारी ही पहला परचेजर माना जायेगा और पहले परचेजर पर ही टैक्स लगने वाला है । कच्चा आढ़तिया उससे बच जायेगा । केवल लाइसेंस फीस उसके लिये रखी गई है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना हिसाब किताब ठीक से रखेगा और उसकी जानकारी सरकार को देता रहेगा जिससे कि रजिस्टर्ड व्यापारी से टैक्स लेने में सरकार को आसानी हो और अगर कर के दायित्व से मुक्त करना कच्चे

आढ़तिये के लिये लाभदायक नहीं है तो फिर क्या लाभदायक होगा ? श्री तिवारी जी की जानकारी के लिये मैं यह भी बता दूं कि कच्चा आढ़तिया इससे इतने सन्तुष्ट हैं कि जिसका वह अन्दाजा नहीं लगा सकते। मेरा खयाल है कि कच्चे आढ़तियों की भावना का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। कच्चे आढ़तियों से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हमें बातचीत करने का मौका मिला है और उन्होंने इस बात पर बड़ी प्रसन्नता प्रगट की है।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार अपने लिये क्या कर रही है, जो पैसा इकट्ठा करती है, वह देश और प्रदेश के हित के लिये करती है ताकि यह पिछड़ा हुआ प्रदेश उन्नति कर सके और वह आगे बढ़ सके। इसीलिये रुपया इकट्ठा किया जाता है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

माननीय मंत्री जी कच्चा आढ़तिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कर दें।

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, इसको कई नाम से पुकारते हैं। माननीय श्रीपालसिंह जी के यहां गल्ले का व्यापार होता होगा। शहरों में जो माल बिकने के लिये गाड़ियों पर आता है जिस व्यापारी के पास वह कच्चा आढ़ती होता है। वह उस माल को नीलाम करता है और जब काश्तकार को दाम पसन्द होता है तो वह उसे बेंच देता है। वह खुद नहीं खरीदता है। रजिस्टर्ड व्यापारी को माल दे देता है और रुपया किसान को दिलवा देता है। अब तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार इस टैक्स के देने की जिम्मेदारी इसी कच्चा आढ़ती के ऊपर थी। वह कमजोर तबका है और पक्का आढ़ती मजबूत तबका है। इसलिये टैक्स इसी से लिया जाना चाहिये कच्चा आढ़ती की मदद से और जो टैक्स में चोरी हो रही थी इस तरह से वह भी रुक जायगी।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी व्यापारी के यहां कुछ गल्ला आया हुआ है और वहां पर कोई आदमी तौल कर बता देता है कि इतने मन गल्ला है तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--

अब अगर वह तोला इसी तरह का काम करना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना चाहिये और जो माल किसान का आये उसे पक्के आढ़ती को दें तो वह भी बच जायेंगे और जिस तोले की बात माननीय सदस्य करते हैं और जो लोग उनके साथ मेरे पास आये थे वे सचमुच में तोला नहीं हैं। जो परिभाषा व्यापारी की दी गई है वे उसमें आते हैं। इसीलिये उनसे टैक्स लिया जा रहा था। व्यापारी की जो परिभाषा दी गई है उसी के अनुसार टैक्स लगता है और लगाना चाहिये था। जब तक तरमीम न हो तब तक कर से मुक्त कैसे हो ? इस विधेयक के द्वारा उनको मुक्ति दी गई है। जो माल उनके पास जायगा वह रजिस्टर्ड व्यापारी के यहां भेजेंगे और हिसाब-किताब रखेंगे और उनको बताना होगा कि फलां-फलां व्यापारी के साथ उनका सम्बन्ध माल देने का रहेगा जिससे चोरी न हो सके और ऐसा करने से वे बच जायेंगे, इसलिये ऐसा किया गया है।

यह कहा गया कि टैक्स का लक्ष्य पहले से निश्चित कर दिया जाता है और उसके अनुसार टैक्स वसूल करने की कोशिश की जाती है। यह सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि बजट अनुमान के आधार पर ही बनाया जाता है। अनुमान लगाते हैं कि कितनी आमदनी होगी और कितना खर्च होगा। इस प्रदेश का जब हम अनुमान लगाते हैं तो जिले का भी लगाते हैं इसी आधार पर हम कहते हैं कि इतनी आमदनी होगी। अगर गलत हो जाता है तो माननीय सदस्यों को शिकायत होती है कि गलती क्यों हो गई ? तो अनुमान लगाया जाता है, कमी भी हो जाती है और ज्यादा भी हो जाता है। उसके यह माने नहीं हैं कि गलत ढंग से अधिकारी टैक्स लगायें घटायें, या बढ़ायें। जो टैक्स लगना चाहिये वही लगाना चाहिये। हम अंदाजा जरूर लगाते हैं कि हम बतावें कि कितनी आमदनी इस साल में प्रदेश में होने वाली है और कितना हम खर्च करने वाले हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि राजस्व में जब आमदनी के आंकड़े आप लगाते हैं तो कम लगाते हैं और वही एस्टीमेट्स आखिर में बढ़कर ज्यादा हो गये और खर्च का अनुमान ज्यादा लगाते हैं वही आगे चलकर कम हो जाते हैं। यह अनुमान भी आपका क्या उसी तरह का है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस वक्त तो अनुमान का सवाल नहीं है ।

श्री जयराम वर्मा--

इस वक्त प्रदेश की इकानामी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो ठीक-ठीक अनुमान लगाना कि इतनी आमदनी होगी और इतना खर्च होगा सम्भव नहीं। पुराने जमाने की बात जाने दीजिए, उस वक्त मालूम हो सकता था कि इतनी आमदनी और इतना खर्च होने वाला है, लेकिन आज वह सम्भव नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह--

मन्त्री जी देहात से जो टैक्स लेते हैं और व्यय करते हैं, अगर दोनों को बन्द कर दें और देहात की जनता को मुक्त कर दें, तो सब लोग आनन्द से रहें।

श्री जयराम वर्मा--

अभी हमने चार पूर्वी जिलों में एक पायलेट प्रोजेक्ट चलाया है। बाकी ८ और जो पूर्वी जिले हैं उनके लिए भी बड़ी-बड़ी योजनायें रखी गयी हैं। उनको पूरा करने के लिए रुपया कहां से आयेगा ? क्या आप चाहते हैं कि प्रदेश को स्टेटिक रखा जाय और वह आगे न बढ़े ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी भी समय का खयाल रखें क्योंकि संशोधनों पर भी अभी बहस होनी है।

श्री जयराम वर्मा--

ठीक है। छोटे व्यापारियों की बात कही गयी। तो कच्चा आढ़तिया इससे बरी हो जायेगा। पक्का आढ़तिया एक पदीय परचेज टैक्स दे देगा। उसके यहां से जो माल फुटकर व्यापारियों के यहां आएगा, वह भी बरी रहेगा। अब तक हर प्वाइन्ट पर टैक्स लगता था। अब जो व्यापारियों का स्ट्रांगेस्ट सेक्शन है वह सिंगिल प्वाइन्ट क्रय कर देगा। उसके पहले वाला और उसके बाद वाला जो कमजोर है वह बरी रहेगा चाहे वह रिटेलर हो और चाहे कच्चा आढ़तिया हो।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह जानकारी करना चाहता हूं कि क्या आज भी ऐसे व्यापारी हैं जो माल बेचने से पहले कहते हैं कि इसकी पुर्जी न लो तो सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा ? क्या मन्त्री जी ने कोई आंकड़ा इकट्ठा किया है कि इससे कितना रुपया सेल्स टैक्स का रह जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

सब बातें मन्त्री जी बता देंगे। मन्त्री जी, चलिए जल्दी समाप्त करना है।

श्री जयराम वर्मा--

माननीय कृष्णानन्दराय जी ने कहा....

श्री प्रेमसिंह--

क्या हम सब बातें समाप्त करने के लिए आए हैं या कहने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रेमसिंह जी बैठिए। काम को चलने दीजिए।

श्री जयराम वर्मा--

माननीय कृष्णानन्दराय जी ने कहा कि जो कारण बिल में दिए हैं वह कुछ उचित नहीं हैं। मैंने शुरू में बताया था कि इसको लाने के कई कारण हैं। एक कारण तो यह था कि कच्चा आढ़तिया जो कई नामों से पुकारा जाता है उसको बड़ी कठिनाई होती थी। छोटा व्यापारी जो रिटेलर है उसको हिसाब-किताब रखना पड़ता था। वह कठिनाई कम हो गयी। इसके साथ ही जो करापवंचन होता था वह छोटे व्यापारियों से टैक्स वसूल करने के कारण होता था क्योंकि वह हिसाब किताब नहीं रख सकता था, वह भी खत्म हो जायगा। अब चोरी होने की गुंजायश नहीं रहेगी। इस टैक्स का जो तरीका है उसमें आसानी हो गई। जब यह एक जगह पर टैक्स लगेगा तो उपभोक्ता के ऊपर भी बोझ हल्का हो जायगा। तो कई कारण हैं जिससे यह विधेयक लाया गया है। मैंने शुरू में कहा था कि इन कारणों के होते हुए किसी को शिकायत नहीं रहनी चाहिए।

माननीय जगदीशशरण जी ने खण्ड ४ के उपखण्ड ५ के बारे में आशंका प्रकट की कि सरकार उस सुविधा को वापस ले रही है जो वह खाद्यान्न के बारे में देना चाहती थी। यह बात नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि धारा ३ के द्वितीय तथा तृतीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड और धारा १८ के उपबन्ध इस धारा के अधीन देय कर के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। जहां तक ओरिजनल धारा ३ के प्राविजो नम्बर २ का सवाल है उसमें एक बात यह कही गई है कि टैक्सेज की दर ३ परसेन्ट तक बढ़ाई जा सकती है। इस विधेयक के द्वारा खाद्यान्नों पर दर निश्चित की गई है कि खाद्यान्नों पर अधिक से अधिक २ परसेन्ट और अन्य मालों पर अधिक से अधिक ५ प्रतिशत होगी। यह निश्चय हो गया है। इसका प्रभाव इसके लिए इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। जहां तक और बातें कही गई हैं वह यह है कि टैक्स घटाया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। अगर घटाया जायगा या बढ़ाया जायगा तो वह टैक्स कैसे लगेगा, इसकी इसमें व्यवस्था है। जो धारा १८ का उपबन्ध है उसमें यह कहा गया है कि साल भर किसी ने अगर व्यापार नहीं किया, १० महीने किया या ९ महीने किया, उसका १२ हजार का टर्न ओवर नहीं हुआ और गल्ले के मामले में २५ हजार का नहीं हुआ है तो उससे कर कैसे लिया जाय? जितना उसका व्यापार हुआ है उसका एक महीने का औसत लगाया जायगा। इसी तरह से २५ हजार वाले का भी जितने मास का व्यापार हुआ है उसका औसत लगाया जायगा और एक महीने का हिसाब लगाने पर औसत अगर निकला २५,००० बटे १२ या उससे अधिक तो कर देय हो गया। इसी तरह से इन दोनों के लिए किया जायगा।

जहां तक उनका कहना है कि कौन-कौन सा सामान इसकी परिधि के अन्दर आता है तो मैं यह कहूंगा कि यह सरकार समय-समय पर इन चीजों पर अच्छी तरह से विचार करके यह देखेगी कि क्या बहुपदीय बिक्री-कर के स्थान पर एकपदीय क्रय-कर लगाने में आसानी हो जायगी, इसकी वसूली में आसानी होगी और व्यापारियों को भी आसानी होगी। अभी तक बतलाया कि उसमें खाद्यान्न और गुड़ हैं। अब आयल सीड्स का भी निश्चय हो चुका है। बाकी जैसे-जैसे विचार होगा और निर्णय होगा वैसे-वैसे विज्ञप्ति द्वारा माननीय सदस्यों को जानकारी करा दी जायगी। कुछ आशंका माननीय सदस्यों को हो गई और मैं समझता हूं कुछ अखबार वालों को भी हो गई है। क्योंकि आज मैंने जो पायनियर पढ़ा उससे पता चला कि खाद्यान्न पर हमने दो प्रति-

[श्री जयराम वर्मा]

शत टैक्स लगाने का निश्चय किया है और बाकी सारे सामानों पर ६ प्रतिशत टैक्स लगेगा। इससे गलतफहमी पैदा हो गई। मैंने कहा था कि खाद्यान्न पर अधिक से अधिक २ पैसा प्रति रुपया टैक्स लगाने हम जा रहे हैं और मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो ज्यादा से ज्यादा सीमा है उतना टैक्स हम लगाने नहीं जा रहे हैं। हमारी दर इससे कम होगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

अगर आप एक पैसा रखें तो ठीक है नहीं तो राउन्ड फीगर में वह दो पैसा ही आ जायगा।

श्री जयराम वर्मा--

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस वक्त खाद्यान्न पर बहुपदीय टैक्स है। जितने हाथों से वह खाद्यान्न गुजरता है उतने ही स्थानों पर आज तक टैक्स देना पड़ता था। कम से कम वह दो हाथों से जरूर गुजरता था और दो जगह उस पर टैक्स देना पड़ता था। अब केवल उस पर एक बार टैक्स लगेगा। केवल पहला पर्चेजर ही टैक्स देगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह तय किया गया है कि अधिक से अधिक इसकी दर दो प्रतिशत हो सकती है और मैंने बतलाया कि हम अधिकतम सीमा तक टैक्स लगाने नहीं जा रहे हैं, उससे कम ही टैक्स की दर होगी।

इसी तरह से गुड़ पर आज दो पैसा प्रति रुपया बहुपदीय टैक्स है। उसे भी हम इसकी परिधि में लाते हैं। अगर उसके लिए भी माना जाय कि वह कम से कम दो हाथों से गुजरता है तो उस पर उसका दूना अर्थात् ४ प्रतिशत एकपदीय टैक्स हो जाता है। लेकिन उसके बारे में भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसे भी हम दूना नहीं करने जा रहे हैं। उससे कम ही गुड़ पर टैक्स होगा। माननीय सदस्यों को यह शिकायत हुई कि अधिकतम सीमा ५ प्रतिशत क्यों रखी गयी है। कुछ सामान ऐसे हैं कि जिन हर बहुपदीय कर है और वह तीन प्रतिशत है। अगर ऐसे सामानों को हमको इसकी परिधि में लाना है तो उनके लिए यह गुंजायश रखी गयी है कि सरकार के पास अधिकार रहे कि वह अधिक से अधिक ५ प्रतिशत तक जा सकती है। इसमें आशंका की कोई गुंजायश नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह--

गुड़ को खाद्यान्न मानने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री जयराम वर्मा--

यह कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। इस विधेयक द्वारा इस टैक्स में सरलता लायी जा रही है। आप नाराज बहुत थे, लेकिन हम कोई नया टैक्स इसके द्वारा नहीं लगा रहे हैं। पुराने टैक्स को हम सरल कर रहे हैं और इसका बोझ भी नहीं बढ़ाया जा रहा है, बल्कि उसे कुछ हल्का ही किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को यह तो ज्ञात है कि जो गल्ला फेयर प्राइस शाप्स पर बिकता है उस पर कोई न तो सेल्स टैक्स है और न कोई परचेज टैक्स ही है। आज की परिस्थिति में जो लोगों की मुसीबत को कम करने के लिए खाद्यान्न बाहर से लाकर फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा जनता को बांटा जा रहा है और जिसके लिए हमने इस सप्लीमेन्टरी बजट में १० करोड़ रुपए की स्वीकृति ली है कि उससे गल्ला खरीद कर इन शाप्स के द्वारा बांटा जाय उस पर कोई टैक्स नहीं है, इसलिए कहने की गुंजायश नहीं है।

चावल और धान का जिक्र श्री जगदीशशरण अग्रवाल जी ने किया था। वे दोनों अलग-अलग चीजें हैं। धान अपनी शक्ल में जाता है तो एकपदीय टैक्स और लगेगा दूसरी शक्ल में आता है तो दूसरी चीज हो जाती है। तो हम कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं....

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--

माननीय मन्त्री जी बता दें कि धान के दो या तीन ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तीसरे ट्रांजेक्शन में वह चावल हो जाता है, तो फिर तो डबल टैक्सेशन हो जाता है।

श्री जयराम वर्मा--

अब उसको कोई व्यापारी खरीदता हो और मिल में ले जाता हो और मिल में जाने से पहले किसी और व्यापारी के पास जाता हो यह भी तो हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि काश्तकार से व्यापारी सीधा खरीदता हो....

कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या आटे पर अलग टैक्स लगेगा, क्योंकि गेहूं की शक्ल बदल जायगी ?

श्री जयराम वर्मा--

वह तो है ही। दोनों अलग-अलग चीजें हैं। यह तो पहले से ही है। माननीय रक्षपालसिंह जी को शिकायत थी कि इसमें कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रथम क्रेता किसे समझा जायगा। खण्ड ४ में पृष्ठ २ पर तीसरी पंक्ति में जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है उसमें आप देखें--"लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी की एजेन्सी के माध्यम से रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा किए गए क्रय की दशा में, रजिस्टर्ड व्यापारी प्रथम क्रेता समझा जायगा, और व्यापारी की एजेन्सी के माध्यम से किए गए प्रथम क्रय की प्रत्येक अन्य दशा में, व्यापारी जो एजेन्ट है, प्रथम क्रेता समझा जायगा।" इसलिए यह शिकायत मुनासिब नहीं है, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है।

कुछ माननीय सदस्यों को आशंका है कि इसमें कोई नया टैक्स लगाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। माननीय फूलसिंह जी ने कहा कि यह संशोधन जो लाया गया उसका मौका नहीं था। लेकिन इससे बढ़कर और मौका क्या हो सकता था ? जो एक दिक्कत थी उसको हम दूर कर रहे हैं और सरलता ला रहे हैं, कुछ बोझ हल्का हो रहा है। काम्प्रिहेंसिव बिल आयेगा, जब कमेटी की सिफारिशें सरकार के सामने होंगी, सरकार उन पर विचार कर लेगी, तो उस समय जो आवश्यक तब्दीली होगी वह की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, बहुत टाइम हो रहा है।

श्री जयराम वर्मा--

संशोधनों में तो कुछ है नहीं, यह शिकायत हो जायगी कि सरकार ने बात का जवाब नहीं दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

उनको बोलने का अवसर पूरा दीजिए, २ घंटा समय और बढ़ा दीजिए, हमको भी बोलने का मौका मिल जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

रोज टाइम नहीं बढ़ता।

श्री जयराम वर्मा--

माननीय फूलसिंह जी ने एक बात यह कही कि टैक्स की दरों को रेशनालाइज करना चाहिए, वे युक्तिसंगत नहीं हैं। यह प्रश्न भी उस कमेटी के विचाराधीन है और कमेटी की सिफारिश आने पर सरकार उस पर विचार करेगी। जहां उसकी आवश्यकता होगी, वहां सरकार करेगी।

[श्री जयराम वर्मा]

एक बात उन्होंने यह कही कि जो लग्जरी की वस्तुएं हैं उन पर ज्यादा टैक्स होना चाहिए और जो आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं उन पर टैक्स की दर कम होनी चाहिए। इस सिद्धांत को तो सरकार ने माना ही है। कहीं कोई गलती हो सकती है, उसको देखा जा सकता है मगर हमने इस सिद्धांत को तो माना है।

एक बात यह भी उन्होंने कही कि एक ही व्यक्ति टैक्स लगाने वाला है और वही टैक्स कलेक्टर भी है। यह मसला भी कमेटी के सामने विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में भी जो उसकी सिफारिश होगी, सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स की वसूली रेवेन्यू विभाग करता है, सेल्स टैक्स विभाग नहीं करता है। उसकी वसूली की जिम्मेदारी सारी बोर्ड आफ रेवेन्यू की है। जो कमिश्नर, तहसीलदार वगैरह होते हैं उन्हीं के द्वारा उसकी वसूली होती है। उनको हमने कुछ अधिकार भी दे रखे हैं। अगर किसी कर्मचारी को नियुक्त करना है तो उसकी नियुक्ति के अधिकार भी उनको हैं। अगर कोई टैक्स ऐसा है जो वसूल नहीं हो पा रहा है तो उसको माफ करने के अधिकार भी एक सीमा के भीतर हमने कमिश्नरों को दिए हैं।

(व्यवधान)

वह लैंड बकाया रेवेन्यू की तरह ही वसूल होता है। इस तरह के आदेश हैं और उसके लिए यहां पर एक संशोधन विधेयक भी लाया जा चुका है। तो मैं यह कह रहा था कि हमने उसके लिए काफी अधिकार कमिश्नरों को दे रखे हैं और उनके द्वारा ही उसकी वसूली की जाती है।

श्री मैनेजरसिंह--

आपने कहा कि मालगुजारी की तरह ही सेल्स टैक्स की वसूली होती है, तो जिस तरह मालगुजारी न देने पर छोटे-छोटे किसान मजदूरों को तहसील के अहाते में बन्द रखा जाता है, क्या उसी तरह से बड़े-बड़े लोगों को, सेल्स टैक्स न देने पर, क्या कभी बन्द रखा गया और आज तक कितने व्यापारियों को कलेक्टर ने बन्द किया ?

श्री जयराम वर्मा--

ऐक्ट में इस तरह की व्यवस्था है कि उन पर जुर्माना आदि हो सकता है, वे बन्द भी हो सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह--

कोई पकड़ा गया है आज तक ?

श्री जयराम वर्मा--

जी हां, पकड़े गए हैं। किसी खास केस के बारे में आप पूछें तो उसको पूछ कर बताया जा सकता है।

श्री मैनेजरसिंह--

कौन-कौन पकड़ा गया है ?

श्री जयराम वर्मा--

उसको देखकर ही बतायेंगे।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

मुझे आज्ञा हो तो मैं बता दूं। अभी हाल में मैं बाहर गया हुआ था। वहां एक तहसील में सेल्स टैक्स आफिसर ने वारन्ट नहीं जारी किया था। मैंने कहा जारी करो।

श्री मैनेजरसिंह--

२४ घंटे में गुप्ता जी ने वापस कर लिया था।

श्री जयराम वर्मा--

वह अलग बात है। आप जानना चाहेंगे तो बता दूंगा। गिरफ्तारियां हुयी हैं। सवाल भी यहां आए हैं और जवाब भी दिए गए हैं। रुपया वसूल हो और व्यापारी की जो प्रवृत्ति उसको रोक रखने की है, वह प्रवृत्ति कम हो, इस वास्ते, आपकी ही स्वीकृति से १८ फीसदी इन्टरेस्ट भी छः महीने से अधिक के बकाया पर लगाया गया है। माननीय सदस्यों को एक बात का भ्रम है। वह समझते हैं कि सेल्स टैक्स की वसूली बहुत कम है। ऐसा जो खयाल माननीय सदस्यों का है, वह सही नहीं। वह अपना खयाल जरा सही कर लें। यह ११ करोड़ ७१ लाख रुपया जो बकाया बताया गया है वह १९४८ से ३१ मार्च, १९६४ तक का बकाया है। किसी एक साल का नहीं है। सन् ४८ से मार्च, ६४ तक कम से कम १०० करोड़ रुपया बिक्री-कर वसूल हुआ होगा। बल्कि इससे भी ज्यादा हुआ होगा। उसमें ११ करोड़ ७१ लाख रुपया बकाया है तो वह करीब १० फीसदी होता है। तो जैसा माननीय सदस्य समझ रहे हैं, वह बात सही नहीं है। वसूल करने की कोशिश की जा रही है। यह सब तरकीबें जो मैंने बतायीं की गयी हैं और हमको आशा है कि वह टैक्स कुछ और तेजी से वसूल हो सकेगा और यह जो संशोधन हम ले आये हैं, इससे भी उस टैक्स की वसूली में आसानी होगी। जो कच्चे आढ़तियों पर बहुत दिनों से बकाया है और जिसको कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि ५० फीसदी दे दें, वह बकाया सब मिल जायेगा।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला बदायूं)--

इस सम्बन्ध में जो अपील करते हैं, तो जज रियलाइजेशन के पास जाना पड़ता है या सेल्स टैक्स आफिसर के पास ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जयराम वर्मा--

खयाल यह है कि यह टैक्स जो हमने लगा दिया है, वह वसूल कम होता है और खर्च ज्यादा होता है। खर्च बढ़ता जा रहा है और टैक्स से आमदनी कम होती जा रही है। यह खयाल है लोगों का। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उनका खयाल सही नहीं है। मैं आंकड़े ले आया हूं, यही बताने के लिए। अव्वल तो हमारे प्रदेश से कई राज्यों का वसूली का खर्चा ज्यादा है। हमारे प्रदेश में १९६३-६४ में टैक्स की वसूली का खर्च कुल वसूल कर का १३.३६ परसेन्ट रहा। और यह उड़ीसा में १८.४१ परसेन्ट रहा। महाराष्ट्र में १७.०९ परसेन्ट रहा। जम्मू और कश्मीर में २५.६८ परसेन्ट रहा। बिहार में १४.८१ परसेन्ट रहा। यह बात भी सही नहीं है कि हमारे प्रदेश में वसूली का खर्च सभी प्रदेशों से ज्यादा है। कुछ प्रदेशों से हमारा खर्च कम है और कुछ से अधिक है। दूसरे, खर्च घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ६१-६२ में हमारे यहां कुल खर्च १९.४४ परसेंट था और ६३-६४ में १३.३६ रहा।

माननीय जगदीशशरण जी ने एसेशियल गुड्स ऐक्ट का हवाला दिया और कहा कि उसके होते हुए भी प्रदेशीय सरकार को अधिकार है कि टैक्स लगावें। उस ऐक्ट से कुछ चीजें सेल्स टैक्स से बची रखी गयी थीं, वह ऐक्ट रिपील हो गया। २५ जनवरी, १९५७ से खाद्यान्न की बिक्री-कर से मुक्ति समाप्त हो गई। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी विचार प्रकट किया कि हमारा प्रदेश ही खाद्यान्न पर टैक्स लगाता है और मैनेजरसिंह जी के अनुसार बड़ा पाप करता है। दूसरे प्रदेश भी यह टैक्स लगाते हैं। मद्रास में १ प्रतिशत बहुपदीय, हमारे यहां जैसा, टैक्स है, उड़ीसा में १ प्रतिशत एकपदीय, मध्य प्रदेश में १ प्रतिशत एकपदीय, केरल में भी ऐसा ही है। पंजाब में १.५ प्रतिशत एकपदीय टैक्स है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहां भी खाद्यान्न पर टैक्स है।

[श्री जयराम वर्मा]

मैनेजरसिंह जी बहुत नाराज थे कि यह सरकार खाद्यान्न पर टैक्स अपने लिये लगा रही है। ऐसा नहीं है। यह रुपया इस प्रदेश की उन्नति के लिये, योजनाओं के लिये वसूल किया जाता है। प्रदेश को विकसित करना है। हमारा प्रदेश पहले ही से बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर इंनवेस्टमेंट ज्यादा नहीं हुआ तो प्रदेश कैसे उठेगा ? उसके लिये कहीं न कहीं से तो रुपया आना ही चाहिये। अगर एक ही जगह से लेने की कोशिश की जाय तो एक ही जगह ज्यादा तकलीफ होगी। थोड़ी-थोड़ी होगी सभी लोग बर्दाश्त करें तो तकलीफ बर्दाश्त भी हो जायगी और प्रदेश को उठाने के लिये पैसे का भी प्रबंध हो जायगा। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं, लेकिन उनको यह मान लेना चाहिये कि यह टैक्स प्रदेश की जनता की भलाई के लिये है। जो विभिन्न योजनायें चलाई जा रही हैं उनके कार्यान्वियन के लिये यह रुपया वसूल किया जा रहा है। किसी और दूसरे काम के लिये नहीं है। १ करोड़ के करीब इससे आमदनी है। अगर यह टैक्स हटा दिया जाय तो यह सोंचना होगा कि १ करोड़ का टैक्स कहां लगाया जाय। फिर भी माननीय सदस्यों को ही परेशानी होगी कि कहां से इस आमदनी की पूर्ति की जाय चूंकि ये मांगें भी होती रहती हैं कि यह काम होना चाहिये, वह काम होना चाहिये, ये योजनायें और होनी चाहिये। इसलिये थोड़ी देर के लिये जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को बरदाश्त करके अपने देश को ऊंचा उठाने की कोशिश करनी है। हमको भी किसानों से हमदर्दी है। माननीय मैनेजरसिंह जी से मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी एक छोटा किसान हूं। मेरे यहां गुड़ बनता है, मैं गुड़ खाता हूं और हमेशा से खाने वाला रहा हूं। तो किसानों से मुझे हमदर्दी है, लेकिन जो टैक्स अब तक लगा हुआ था उसको कायम रखना है। थोड़ी-थोड़ी तकलीफ बरदाश्त करके हम कुछ पैसा अपने देश के लिये इकट्ठा कर लें तो अच्छी बात होगी।

एक बात माननीय सदस्यों ने यह भी कही कि छोटे आढ़तियों पर लाइसेंस लगाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन अगर ऐसा न किया जाय तो उनको जिनको बरी करना चाहते हैं, बरी कैसे करें ? अगर उनका लाइसेंस न होगा तो उनसे किस प्रकार से हिसाब-किताब रखने की बात कही जा सकती है और किस प्रकार से किसी बात के लिये उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिये उससे जो सूचना और सहायता ली जा सकती है वह कैसे उपलब्ध होगी और करापवंचन को किस प्रकार से रोका जा सकेगा। इसलिये कर की चोरी को रोकने के हित में यह है, और उन लोगों के हित में भी यह है कि वे लाइसेंस लें। हम उन पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं। इस तरह का एक संशोधन भी आया है कि १२ हजार टैक्स की जिसकी जिम्मेदारी हो उसके ऊपर २५ रुपया और उससे ऊपर वालों पर अधिक लाइसेंस फीस हो। उनके ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी है ही कहां। कच्चा आढ़ती तो मुक्त हो रहा है। इसलिये टैक्स की जिम्मेदारी पर विचार करके कैसे यह कहा जा सकता है कि फलां के ऊपर २५ रुपया और फलां के ऊपर ७५ रुपया लाइसेंस फीस होगी। इसलिये सरकार ने १०० रुपया अधिकतम सीमा रख दी है। अब सरकार उस पर विचार कर लेगी कि क्या निश्चय करना उचित होगा।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय मंत्री जी के पार्टी के लोगों ने भी और इधर के सब लोगों ने इस लाइसेंस फी का विरोध किया है। क्या उन सबकी भावनाओं का आदर करके मंत्री जी इस बात का आश्वासन अभी देंगे कि इसको कम से कम रखा जायगा ?

श्री जयराम वर्मा--

इस समय तो अधिक से अधिक सीमा का अधिकार आपसे लिया जा रहा है। इसको अब आप सरकार के ऊपर छोड़ दीजिये वह विचार करके निश्चित कर लगी कि कितनी लाइसेंस फी लगाना आवश्यक है।

मैं समझता हूं कि जो खास-खास आपत्तियां माननीय सदस्यों की ओर से उठायी गयीं थीं उनके बारे में, मैंने अपने विचार सदन के सामने रख दिये। मैं फिर इस भ्रम को मिटाना चाहता हूं कि कोई नया टैक्स नहीं लगने जा रहा है और इस तरह का कोई भ्रम न पैदा किया जाय कि कोई टैक्स बढ़ाया जा रहा है, बल्कि जो पुराना टैक्स बहुपदीय था उसीको एकपदीय करके उसे सरल और हल्का किया जा रहा है और कुछ आसानी पैदा की जा रही है। उससे खयाल ऐसा है कि आमदनी भी कम न होगी और व्यापारियों को सुविधा भी मिल जायगी तथा उपभोक्ताओं को भी कुछ आसानी हो जायगी। यह करापवंचन को भी रोकने के लिये किया गया है। यह शिकायत कि हम एक लचर दलील दे रहे हैं और हम टैक्स की वसूली नहीं कर पाते थे इसलिये यह विधेयक लाया गया है, ऐसी बात नहीं है। न तो कोई नया टैक्स लगने जा रहा है और न टैक्स बढ़ाया ही जा रहा है। यह संशोधन तो इसलिये किया जा रहा है कि हर व्यापारी जो फर्स्ट परचेंजर होगा वह टैक्स देने से बच न सके, इसलिये यह परिवर्तन किया गया है। हम समझते हैं कि इसमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग होगा और व्यापारियों का सहयोग होगा तथा जो लोग प्रदेश का हित चाहते हैं उनका भी सहयोग हमें मिलेगा। हम प्रदेश को उठाने के लिये सब के सहयोग से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, हम किसी बुरे काम में लगाने के लिये ये पैसे नहीं लेने जा रहे हैं। इस तरह की गलतफहमी न पैदा की जाय कि हम कोई नया टैक्स लगा रहे हैं या कोई बुरी बात कहने जा रहे हैं जिसके लिये आप सरकार की बेकार आलोचना करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि जो तीन संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं---जनमत संग्रह करने का, प्रवर समिति में भेजने का व संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का, उन्हें कृपा करके वापस ले लें और अगर उनकी ऐसी कृपा नहीं होती तो मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इन संशोधनों को अस्वीकृत कर देंगे।

श्री मैनेजरसिंह--

अभी माननीय मंत्री जी ने तीनों संशोधनों को वापस लेने की प्रार्थना की है। उनसे मेरा निवेदन है कि अभी उन्होंने पढ़ कर सुनाया कि सिवा बिहार के जहां २ पैसे टैक्स है, और प्रदेशों में १ पैसा के हिसाब से टैक्स है, तो आप १ परसेंट वाली बात मान लें और गुड़ को खाद्यान्न में सम्मिलित कर लें और जो दो-तीन मुख्य संशोधन हैं उनको मान लिया जाय और ५ बजे आप धन्यवाद लेकर चले जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब सवाल यह है कि वे प्रस्ताव वापस होते हैं या वे वोट पर रखे जाते हैं।

श्री प्रेमसिंह--

मैं तो इसे वापस नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे कंज्यूमर्स पर बोझ पड़ता है। अब सरकार की इच्छा पर है वह जो भी करे।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे सामने मूल प्रस्ताव है और ३ संशोधन हैं। मैं पहले मूल प्रस्ताव रखता हूं। अगर मूल प्रस्ताव पास हो गया तो संशोधन गिर जायेंगे। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

ये संशोधन गिर गये।

खंड २—३

सं० प्रा० ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई० की प्रस्तावना तथा दीर्घ शीर्षक का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना तथा लंबे शीर्षक में शब्द "माल की बिक्री" के स्थान पर शब्द "माल की बिक्री या खरीद" रख दिये जायं ।

धारा २ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खण्ड (ग) के स्पष्टीकरण में शब्द "माल बेचा जाता हो" के स्थान पर शब्द "माल बेचा या खरीदा जाता हो" रख दिये जायें ;

(२) खण्ड (ङङ) के स्थान पर निम्नलिखित नया खण्ड रख दिया जाय—

"(ङङ) 'लाइसेंस प्राप्त व्यापारी' से तात्पर्य ऐसे व्यापारी से है जिसे धारा ३—ङ के अधीन लाइसेंस दिया गया हो;"

(३) खण्ड (छछ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय—

"(छछछ) 'रजिस्टर्ड व्यापारी' से तात्पर्य धारा ८-क के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारी से है;"

(४) खण्ड (ज) में से स्पष्टीकरण (२) निकाल दिया जाय ;

(५) खण्ड (झ) में—

(१) शब्द "खरीदा या बेचा जाय" के स्थान पर शब्द तथा कामा "बेचा जाय या कुल धनराशि जितने का माल खरीदा जाय, इनमें जो भी अधिक हो" रख दिये जायें ;

(२) खण्ड (झ) में से स्पष्टीकरण (१) निकाल दिया जाय ;

(६) खण्ड (झझ) में शब्द "क्रय-धन" के स्थान पर शब्द "सजातीय पद सहित क्रय-धन" रख दिये जायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

धारा ३—घ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

४—मूल अधिनियम की धारा ३—घ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय—

कतिपय माल पर क्रय-कर या विक्रय-कर का लगाया जाना

"३-घ(१) सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में है, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, व्यापारी द्वारा या ऐसे व्यापारी के माध्यम से जो क्रय एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो, किये गये प्रथम क्रय के उस क्रय-धन पर, जो ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अवधारित किया जाय, ऐसे माल या माल के वर्गों क संबंध में तथा एसी दर से, जो खाद्यान्नों की दशा में,

जिसके अन्तर्गत अनाज तथा दालें भी हैं, दो पैसे प्रति रुपये से अधिक न हो तथा अन्य माल की दशा में पांच पैसे प्रति रुपये से अधिक न हो तथा ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ समय-समय पर विज्ञापित किया जाय, कर लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा ।

स्पष्टीकरण--लाइसेंस प्राप्त व्यापारी की एजेंसी के माध्यम से रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा किये गये क्रय की दशा में, रजिस्टर्ड व्यापारी प्रथम क्रेता समझा जायगा, और व्यापारी की एजेंसी के माध्यम से किये गये प्रथम क्रय को प्रत्येक अन्य दशा में, व्यापारी जो एजेंट है, प्रथम क्रेता समझा जायगा ।

(२) यदि उपधारा (१) में विज्ञापित माल के संबंध में प्रथम क्रय रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यापारी से भिन्न माध्यम से किया जाय जो क्रय एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो और ऐसे व्यक्ति को बिक्री उस व्यापारी के माध्यम से की जाय जो बिक्री एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो तो उस व्यापारी के, जो बिक्री एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो, माध्यम से की गयी बिक्री के उस विक्रय-धन पर, जो ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अवधारित किया जाय, कर उक्त माल के संबंध में प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये उक्त रूप से विज्ञापित दर से लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा ।

(३) कोई व्यापारी इस धारा के अधीन कर देने का भागी नहीं होगा यदि उसका विक्रय-धन कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित किसी माल अथवा माल के वर्ग के संबंध में कर का भुगतान करने के दायित्व के प्रयोजनार्थ १२,००० रुपये से अथवा अपेक्षाकृत ऐसी अधिक धनराशि से, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विज्ञापित की जाय, कम हो ।

(४) इस धारा के अधीन विज्ञप्ति जारी किये जाने पर, इस प्रकार विज्ञापित माल के संबंध में किसी अन्य धारा के अधीन कोई कर नहीं लगाया जायगा ।

(५) धारा ३ के द्वितीय तथा तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड और धारा १८ के उपबन्ध इस धारा के अधीन देय कर के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

(६) यदि कोई माल, जिसके संबंध में किसी अन्य धारा के अधीन कर लगाया जाय, इस धारा के अधीन विज्ञापित किया जाय अथवा यदि इस धारा के अधीन विज्ञापित कोई माल अनुसूचित (denotified) कर दिया जाय और उसके संबंध में किसी अन्य धारा के अधीन किसी कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाय, तो किसी व्यापारी द्वारा देय कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायगी, अर्थात्--

(क) उस अवधि के लिये जिसमें इस धारा के अधीन माल पर कर लगाया जाना हो, उसके क्रय-धन या विक्रय-धन पर, जैसी भी दशा हो; और

(ख) उस अवधि के लिये जिसमें किसी अन्य धारा के अधीन माल पर कर लगाया जाना हो, उसके विक्रय-धन पर ।

(७) जब तक कि व्यापारी, कर-निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे, किसी व्यापारी द्वारा या उसके माध्यम से किया गया प्रत्येक क्रय, उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये, ऐसे व्यापारी द्वारा किया गया प्रथम क्रय माना जायगा और किसी व्यापारी के माध्यम से की गयी प्रत्येक बिक्री, उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिये प्रथम क्रेता को की गयी बिक्री मानी जायगी।"

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं---

खंड ४ में प्रस्तावित धारा ३-घ (१) की पंक्ति ७ में "जो" के बाद एवं खाद्यान्नों के पहिले शब्द "गुड़ एवं" बढ़ा दिये जायं।

इस संशोधन को जिस समय मैंने प्रस्तुत किया था तो मेरा मंशा यह था कि मैं सरकार को और इस माननीय सदन का ध्यान इस आवश्यक तथ्य की ओर दिलाना चाहता था कि खाद्यान्न और गुड़ का इस परपज के लिये समस्तर माना जाय, गुड़ को एक तरह से वह वर्ग खाता है जो क्रिस्टल शुगर या खांडसारी से वंचित रहता है चाहे हमारे माननीय जयराम वर्मा जी भले ही जैसे हों कि वह अच्छी शकर के उपलब्ध रहते हुये भी गुड़ का प्रथमिकता देते हों लेकिन देश के बहुत से गरीब लोग अपनी मधुर चीज खाने की तृप्ति गुड़ से ही करते हैं और इस कारण से मेरा विचार है कि गुड़ पर अधिक कर लगाना उचित न होगा। मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में गुड़ का उल्लेख उन चीजों में नहीं किया जिन पर वह ५ पैसे तक का कर लगा रहे हैं शायद वह समझते होंगे कि सदन का प्रबल बहुमत है कि गुड़ पर अधिक कर न लगाया जाय। अच्छा होता कि इस विषय में गुड़ को खाद्यान्न के जाथ जोड़ा जाता। ऐसा करने का फल यह होता कि गुड़ को भी अधिकतम कर सीमा २ पैसा ही हो जाती।

माननीय वित्त मंत्री जी ने एसेंशियल कामोडिटीज ऐक्ट का जिक्र करते हुये बताया कि वह रिपील हो गया। मैं इस बात को जानता था लेकिन जब पार्लियामेंट की भावना थी कि वह इम्पार्टेंट चीजों में आ गया तो रिपील हुआ लेकिन अब इस मामले में सरकार को निश्चित करना होगा कि वह गुड़ को किस केटेगरी में लेते हैं। यह मानी हुई बात है कि गुड़ एक ऐसी वस्तु है जो गरीब लोग खाते हैं और उस पर जहां तक हो कर कम लिया जाय। अगर इस को खाद्यान्न में ले लिया जायगा तो जैसा कि आश्वासन मिला है कि खाद्यान्न पर अधिकतम २ पैसे से अधिक नहीं लगाया जायगा तो खाद्यान्न की सूची में वह आ जायगा। इससे सरकार का भी रेवेन्यू में नुकसान न होगा और एक बड़ी जनसंख्या की भावना का इससे आदर होगा। इसी आशा से मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और मैं अब भी आशा करता हूं कि मंत्री जी या तो इसको स्वीकार कर लेंगे या वह स्पष्ट आश्वासन दे देंगे कि वह गुड़ पर कर लगाते वक्त इन भावनाओं का ध्यान रखकर उसको न्यूनतम सीमा तक ही रखेंगे।

श्री रक्षपालसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जहां तक गुड़ को खाद्यान्न में ही मानने की बात है इसके लिये तो उन्होंने तर्क दिये वह ठीक हैं लेकिन मैं बताऊंगा कि इसी कांग्रेस सरकार ने थोड़े दिन पहले जब यहां से मंडी विधेयक पारित कराया था तो शहद को भी खाद्यान्न में शामिल किया था तो जो सरकार शहद को खाद्यान्न में शामिल कर सकती है वह गुड़ को न शामिल कर सके तो बड़े आश्चर्य की बात है। शहद तो दवा करनेवाले या बीमार ही खाते हैं, लेकिन गुड़ तो साधारण

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

गरीब जनता ही इस्तेमाल करती है। तो जिस तरह से खाद्यान्न की परिभाषा सरकार के द्वारा होती रही है उस आधार पर सरकार को गुड़ को शामिल करने में आपत्ति न होना चाहिये। अगर खाद्यान्न में नहीं रखा जाता है तो सरकार ५ पैसे तक कर लगाने के लिये तैयार हो सकती है, लेकिन खाद्यान्न पर शून्य से २ पैसे तक ही लगा सकती है। इसके मानने से कोई अधिक अंतर भी नहीं पड़ेगा इसे सरकार स्वीकार कर ले और मैं माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी से कहूंगा कि वह इस संशोधन को वापिस न करें।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं महज इस वजह से खड़ा हुआ हूं कि मैं एस्टिमेट्स कमेटी की सेल्स टैक्स सब कमेटी का कन्वीनर था और माननीय जगदीशशरणजी उस कमेटी के चेयरमैन थे। उस सब कमेटी में इस विषय पर बड़ा विचारपूर्वक मनन किया था और कुछ सिफारिशें भी की थीं और उन सिफारिशों को हमारे माननीय मन्त्री जी ने भी जिक्र किया है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार को २ पैसे कर लगाकर क्या मिलेगा कितना लेकिन जनता को कहने को हो जायगा कि अनाज पर भी हमारी सरकार ने टैक्स लगाया है और गुड़ पर भी टैक्स लगाया है। इस २ पैसे से सरकार को बहुत कुछ बचने वाला नहीं है। मेरा विश्वास है कि २ पैसे से दूकानदार ज्यादा टैक्स लेने लगेंगे। देहात में लोग नहीं जानते कि पहले यह ५ परसेंट था फिर ३ परसेंट था और अब २ पैसे हो गया। तो सरकार को तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन गरीब लोग जो अनाज लेते हैं उन को बहुत नुकसान होगा। माननीय मन्त्री जी ने बड़ी उदारतापूर्वक बताया कि यह फेयर प्राइस शाप्स जो हैं उन पर जो गल्ला बिकेगा, उस पर २ पैसा कर नहीं लिया जायगा। मुझे आशा है कि जो दूकानें बाकी हैं उन पर भी २ पैसा कर नहीं लगेगा। अगर नहीं हटाते हैं, तो सरकार जाने। लेकिन हम अपनी इच्छा प्रकट करना चाहते हैं कि खाद्य पदार्थ पर किसी प्रकार का टैक्स न लगाया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव—

पहली बात यह है कि मैं माननीय जगदीशशरण जी को बधाई दूंगा कि इतना सुन्दर संशोधन इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है हालांकि उन की जिम्मेदारी है क्योंकि वे प्रेसीडेंट हैं। दूसरी चीज यह है कि मोलैसेज जो है वह पूर्वी जिलों में खाद्य पदार्थ की तरह ही माना जाता है। सरकारी अधिकारियों और सरकार को शीरे की शराब के लिए ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज अब एक ही रह गयी है गरीब के खाने के लिए वह है खाद्यान्न। अगर आप इन पर भी टैक्स लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। अगर गुड़ को खाद्यान्न के साथ जोड़ दें, तो अत्यन्त उचित होगा क्योंकि यह भी तो ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। मैं तो यह समझता हूं कि बहुत ही उचित होगा अगर इस को खाद्यान्न की सूची में जोड़ दिया जाय।

हमें दुःख है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको भी आप नहीं दे पा रहे हैं। अब यह सरकार खाद्यान्न की जो स्थिति है उसका भी कोई मुकाबला नहीं कर पा रही है क्योंकि यह सरकार निकम्मी हो रही है। उसमें यह ताकत नहीं है कि गल्ला वगैरह दे सके। गुड़ को पूर्वी जिले का आदमी खाता है। अभी थोड़े दिन पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने आन्दोलन किया था....

श्री उपाध्यक्ष—

जनरल डिस्कशन काफी हो चुका है।

श्री कमलासिंह यादव—

आन्दोलन के बाद सरकार ने खुद अपने आदमियों की परवरिश करने के लिए स्पेशल परमिट दी जिन्होंने १६ रुपये में गुड़ खरीद कर ५० रुपये में बेचा और मुनाफा कमाया। सरकार को चाहिए कि वह आसमान से जमीन पर आये और देखे कि किसान किस तरह का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

जीवन व्यतीत कर रहा है। गुड़ जो किसान पैदा करता है उसकी कीमत किसान के पास जाना चाहिए और ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होने के नाते खाद्यान्न के साथ उसे अवश्य जोड़ा जाय।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई विरोध की भावना नहीं है। दुख इस बात का है कि जनता के बीच काम करने वाले आज जनता के हित के खिलाफ बात कर रहे हैं। यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय मन्त्री जी इस संशोधन को मान जायं, इससे उनके राजस्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गुड़ पर क्या, हर वस्तु पर जो भी आप सेल्स टैक्स लगाते हैं उसे उसका व्यापारी नहीं देता है, दूकानदार, व्यापारी उपभोक्ता से उसे लेता है। फिर यह संशोधन विरोध पक्ष से आया होता तो मानने में आप की कुछ हेठी भी होती। लेकिन इसे तो आपके ही दल के एक बरिष्ठ सदस्य ने उपस्थित किया है इसे मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अतएव इसे मान कर गरीब जनता के प्रति जो आप को अनुराग है उसका आप परिचय दें। इसलिए मेरा आप से यही निवेदन है कि यह संशोधन आपके पक्ष से आया है इसे आप मान लें और जनप्रियता का परिचय दें।

श्री जयराम वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही माननीय सदन के सामने प्रार्थना कर चुका हूं कि खाद्यान्न और गुड़ दोनों अलग-अलग बहुपदीय टैक्स के अन्दर आते हैं। खाद्यान्न के ऊपर एक प्रतिशत बहुपदीय बिक्री-कर है और गुड़ पर दो प्रतिशत बहुपदीय बिक्री कर है। यह आपकी जो मांगें हैं, खाद्यान्न और गुड़ को समान दर में रखने की वह हम नहीं रखेंगे, और जहां तक मैं समझता हूं कि कमेटी के सामने जो गवाहियां आयीं, जो सुझाव आये, उसमें भी शायद इस तरह का कोई सुझाव नहीं था कि गुड़ के ऊपर वही कर होना चाहिए जो खाद्यान्न पर है। इस व्यवस्था के द्वारा बिक्री-कर बहुपदीय के स्थान पर हम एकपदीय क्रय कर लाना चाहते हैं। इस बिल को लाने की यह मंशा तो है नहीं कि जो आमदनी टैक्सों से हो रही है, वह कम कर दी जाये और दूसरे उपाय सोचे जायं। मैंने खाद्यान्न के बारे में कहा कि वह आम तौर पर दो हाथों से गुजरता है, इसलिए अधिकतम दर की सीमा २ प्रतिशत रखी गयी है, लेकिन मैंने साथ-साथ यह आश्वस्त किया है कि सरकार २ प्रतिशत भी नहीं करने वाली है, वह कम करेगी। उसी तरह से गुड़ भी आम तौर पर दो हाथों में गुजरता है और २ प्रतिशत बहुपदीय बिक्री कर है, खास कर इस बात को अपने सामने रखते हुये और कमेटी की सिफारिशों का विचार करते हुये, सरकार जो टैक्स की दर मुकर्रर करेगी, वह जो अधिकतम सीमा है वह नहीं होगी, कम होगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय जगदीशशरण अग्रवाल से प्रार्थना करूंगा कि उनके सामने जो गवाहियां आयीं और जो सुझाव आये और जो सारी बातें थीं और आज की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुये और मेरे इस आश्वासन के बाद अपने इस संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट--

माननीय मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया, वह उसमें जिस पर मैंने प्रार्थना की उस दिशा में बहुत आगे तो बढ़ा नहीं, क्योंकि जो कमेटी बनी थी, वह एक स्टील फ्रेम में बनायी गयी थी, उसका एक निश्चित ढांचा था, उसका एक सीमित दायरा था और वह दायरा और सीमा यह थी कि किसी नियम के द्वारा कोई लास आफ रेवेन्यू न हो। तो इस सीमित दायरे में सीमित रहते हुये कमेटी के सामने सुझाव आदि आये। यदि यह दायरा न निर्धारित

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया होता तो शायद सामने और ही कुछ आता जो कि इसमें नहीं आ सकता है। लेकिन माननीय मन्त्री जी के यह आश्वासन देने के बाद कि वह उसको दुगुना नहीं करना चाहते हैं। हालांकि २ से ५ प्रतिशत तो ढाई गुना हो जाता है, लेकिन मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि २ गुना भी नहीं करेंगे, इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट--

श्रीमन्, मेरे दो संशोधन हैं। उनमें जो नम्बर ३ पर है उसको प्रस्तुत करता हूं और पांच वाले को प्रस्तुत करना नहीं चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि "खंड ४ में प्रस्तावित धारा ३-घ (१) की पंक्ति ८ में "दो पैसे" के स्थान पर "एक पैसा" रख दिया जाय।"

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मेरे प्रस्ताव का भी वही सेंस है। अब चीज यह है कि अगर कांग्रेसी पक्ष वाले अपने संशोधन को वापस कर लेंगे, तो हमारा प्रस्तुत नहीं हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

किस नियम के मुताबिक कह रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, यह गलत बात है, आप हमको वंचित करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

वह वंचित करने की बात नहीं है। एक ही संशोधन आयेगा। अगर पहला वापस हो गया तो दूसरा पेश नहीं होगा।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, अगर पहला वापस हो गया तो मुझे पेश करने का मौका होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं, यह नहीं होगा। आपको बोलने का मौका मिलेगा, बात वही हो जायगी।

श्री कमलासिंह यादव--

मान्यवर, ऐसा कर दें कि दोनों को जोड़ दिया जाय, यानी दोनों की तरफ से पेश कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

कहीं ऐसा हो सकता है ?

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, अगर वापस करना है तो वापस कर लें और पेश ही न करें।

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट--

श्रीमन्, हम संशोधन रखते हैं तो जनता के हित के संरक्षण के लिए रखते हैं, इसलिए नहीं कि जनता में कोई प्रदर्शन करना है। एक संशोधन हमने रखा और सरकार से आश्वासन मिल जाय तो मैं समझता हूं कि उससे जनता का ज्यादा हित हो जाता है। बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन मुझे एक बात कहना है कि मन्त्री जी ने जो अपने बयान में कहा है कि धान और दाल जब शक्ल बदल लेंगी तो दूसरी चीज हो जायगी। इसके माने यह हैं कि इस समय इन खाद्यान्नों पर जो बहुपदीय कर लग रहा है तो एकपदीय टैक्स होने पर दूसरी शक्ल होने पर टैक्स का रेट बढ़ जायगा और कई गुना बढ़ जायगा। दूसरे कमेटी की सिफारिश सदन की सम्पत्ति हो चुकी है। उसमें लिखा है कि--There has been an overwhelming public opinion for the exemption of taxation"

इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यह उचित होगा कि उपभोक्ताओं और क्रय करने वालों को रिलीफ होना चाहिए। कमेटी आप के टर्म्स ऐन्ड रिफ़ेंस में बंधी थी, इसलिए अधिक नहीं कर सकती थी। फिर भी भाषा स्पष्ट है। मन्त्री जी ने कहा कि अधिकतम सीमा का प्रयोग करने नहीं जा रहे हैं तो एक या दो के बीच की फिगर डेढ़ होगी। अगर ऐसा कर दें तो और भी कन्फ्यूजन होगा। एक रुपये ९ आने का आपने २ प्रतिशत किया। इसलिए कि हिसाब में गड़बड़ी न हो। तो एक रुपये आठ आने करने की जगह आप सोचते हैं तो उसको १ रुपया कर दिया जाय उसी सिद्धान्त पर। तो किसी भी दृष्टि से देखें माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देने की कृपा करें कि क्योंकि यह कमेटी की भावना, जनता की भावना है, आप अन्तिम निश्चय न करें लेकिन यह कहें कि आप उनकी भावनाओं का समावेश करने का प्रयत्न करेंगे, तो मैं सहर्ष इसको वापस लूंगा। मैं समझता हूं कि इसको वापस लेकर मैं जनता के हितों का संरक्षण करूंगा बजाय इसके कि यहां पर वोटिंग हो।

*श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जगदीशशरण जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। मन्त्री जी ने कहा कि सिंगिल प्वाइन्ट टैक्सेशन से कन्ज्यूमर का फायदा होगा। लेकिन जो ढंग अपनाया गया है उसमें जनता पर ज्यादा भार पड़ेगा। आप १ पैसे से २ पैसे कर के टैक्स को दुगुना कर रहे हैं। तो जहां तक आप की रेवेन्यू का ताल्लुक है वह तो आप पहले से ज्यादा वसूल कर लेंगे। पहले जो लूपहोल्स थे उसके कारण पैसा आप तक नहीं पहुंचता था जनता के पास रह जाता था, लेकिन अब पक्के आढ़तियों के पास से आप के पास पहुंच जायगा और दुगुनी रकम आपके पास पहुंच जायगी।

इसके अतिरिक्त खाद्यान्न पर जो टैक्स लगाने जा रहे हैं दुगुना पहले से वह वस्तु है जिसकी देने की आपकी जिम्मेदारी है और आप उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। भुखमरी की दशा आप ले आये हैं और उसके बाद भी आप खाद्यान्न को दुगुना टैक्स लेकर और मंहगा करना चाहते हैं तो बड़ी विकट स्थिति हो जायगी। आपने अपनी फेयर प्राइस शाप में २ सेर १० छटांक का जो गेहूं देते थे उसको ढ़ाई सेर कर दिया। जो २ किलो प्रति व्यक्ति मिलता था उसे घटाकर उसे डेढ़ किलो प्रति व्यक्ति कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बाजार में गल्ला १ सेर और सवा सेर का मिला। दाल एक रुपये की १० या १२ छटांक बिक रही है। मैं जब और प्रान्तों की ओर निगाह डालता हूं तो देखता हूं कि राजस्थान, देहली, आन्ध्र और आसाम में, करीब ४ या ५ प्रदेश ऐसे हैं, जिनमें खाद्यान्नों पर कोई टैक्स नहीं है, किसी किस्म का टैक्स नहीं है और आपने २, १ प्रदेश गिना दिये और कह दिया कि आप कोई नयी बात नहीं कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इस प्रदेश की इतनी बुरी हालत है और आप इतना भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बरदाश्त नहीं कर सकते कि बंगाल की भांति भुखमरी जिस प्रदेश में हो वहां भी टैक्सेशन आप करना चाहते हैं, वह भी सिंगिल नहीं डबुल क्या कहा जा सकता है सिवाय इसके कि यह सरकार प्रदेश के लोगों को भूखा मार डालना चाहती है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें। आपने वायदा किया था। मैं अब सदन का समय १५ मिनट बढ़ाये देता हूं ।

श्री जयराम वर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले से इस बात को बहुत स्पष्ट कर चुका हूं कि खाद्यान्न पर एक प्रतिशत बहुपदीय टैक्स इस समय है। दो हाथों से गुजरता है उपभोक्ता के पास पहुंचने से पहले। तो उपभोक्ता को एक रुपये के माल पर २ पैसे टैक्स देना पड़ता है। अब जो इसमें व्यवस्था की जा रही है वह यह है कि खाद्यान्न के ऊपर टैक्स की दर अधिक से अधिक २ प्रतिशत होगी। मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि अधिकतम सीमा जो है उस पर टैक्स की दर हम निश्चित करने नहीं जा रहे हैं। दो पैसे प्रतिशत से कम होगा। इससे साफ है कि उपभोक्ता पर बोझ हल्का हो जायगा। यह जो संशोधन है उसका मतलब यह है कि अधिक से अधिक जो दर की सीमा हो वह एक प्रतिशत हो। जब बहुपदीय की दशा में एक प्रतिशत था और अब एकपदीय पर अधिक से अधिक सीमा एक प्रतिशत हो तो यह मुनासिब बात नहीं होगी और उसका क्या असर पड़ेगा, यह सोचने की बात है। जहां तक कमेटी की सिफारिश की बात है कमेटी ने जो तथ्य सरकार के सामने रखे हैं वह जनता की भावना को सामने रखते हुये प्रदेश के हित में सामने रखे हैं। उन सारे प्रश्नों पर विचार करके वह दर निश्चित करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं जगदीशशरण जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक पैसा भी हो सकता है और एक पैसे से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन दो पैसा से कम रहेगा।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में नई प्रस्तावित धारा ३-घ (१) की पंक्ति ९ में "पांच" के स्थान पर "दो" रख दिया जाय। अब यह देखा गया है कि गुड़ भी इसमें शामिल हो गया है। इस तरीके पर अदर कमोडिटीज का जहां तक सवाल है उस में २।। प्रतिशत के स्थान पर ५ प्रतिशत हो जायगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसको आप दुगुना करने जा रहे हैं। इससे स्थिति ठीक नहीं होगी। दूसरी चीज यह है कि जहां तक ग्रामोद्योग की वस्तुओं का सवाल है, हर प्रान्त में इन चीजों को बरी कर दिया गया है। केरोसीन और दियासलाई पर टैक्स नहीं है। यहां पर डेली नैसेसिटी की चीजों पर भी टैक्स दुगुना करने जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको मान लें और इस तरीके पर इसका सुधार कर दें।

श्री जयराम वर्मा---

श्रीमन्, सरकार कुछ और माल को एकपदीय क्रयकर की परिधि में लाना चाहती है। कुछ ऐसे माल हैं जिसके ऊपर २ प्रतिशत बहुपदीय टैक्स है। कहीं कहीं पर ३ प्रतिशत बहुपदीय टैक्स है। ऐसे माल को भी इसकी परिधि में लाना है। अगर यह माननीय सदन यह तय कर दे कि एकपदीय पर २ प्रतिशत रहेगा तो मुश्किल होगी। जो सीमा के अन्दर ला रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम वर्मा]

हैं और बहुपदीय बिक्री-कर के स्थान एकपदीय क्रयकर लगा रहे हैं उसके रास्ते में अड़चन पैदा होगी। वह ५ प्रतिशत की सीमा सरकार ने अधिकतम सीमा इस सिलसिले में मान लिया है। मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री विजयसिंह--

श्रीमन्, उर्द, मूंग, अनाज भी हैं और दालों की शक्ल में भी बिकते हैं तो इस संबंध में मंत्री जी को आश्वासन देना चाहिये कि केवल दालों की शक्ल में ही उस पर टैक्स लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

धान पर भी टैक्स लगेगा और चावल पर भी, मंत्री जी, आप इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री जयराम वर्मा--

इस समय धान और चावल के लिये जैसी व्यवस्था है उसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं। उसे कायम रखते हुए बहुपदीय बिक्री-कर की जगह एकपदीय क्रय-कर किया जा रहा है।

श्री कमलासिंह यादव--

मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ में नयी प्रस्तावित धारा ३-घ (१) की पंक्ति ९ में "पांच" के स्थान पर "दो" रख दिया जाय--

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि खण्ड ४ में नयी प्रस्तावित धारा ३-घ (१) के अन्त में स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक उत्तर प्रदेश की खाद्य समस्या नहीं सुधरती खाद्यान्नों पर कोई बिक्री-कर नहीं लगेगा।"

श्रीमन्, अब तक तो यह सरकार बहुमत के बल पर जो चाहती थी करती थी, लेकिन अब मैं यह चाहता हूं कि सरकार जब हमसे टैक्स लेती है तो उसकी ड्यूटी है कि वह हमारी रक्षा का भी प्रबन्ध करे और खाने की समस्या को हल करे। मुझे अफसोस भी होता है जब मैं नेगी जी के भाषण को अखबारों में पढ़ता हूं कि सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है। मैं जानता हूं कि सरकार इसके लिये अपनी कितनी जिम्मेदारी महसूस करती है, लेकिन चूंकि हम टैक्स देते हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि जैसी विकट परिस्थिति है खाद्यान्न के मामले में उसे देखते हुए यहां के लोगों की जिन्दगी कुत्तों की सी होने वाली है और अभी एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने कहा भी है कि १९७०-७१ में दुनिया के हालत यही हो जायगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन कम से कम मेरे इस प्रस्ताव को अवश्य मान ले।

कुंवर श्रीपालसिंह--

श्रीमन्, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस संशोधन द्वारा दो चीजें हो जाती हैं। पहले तो यह एक शर्त के साथ है जिसके अनुसार आपकी आमदनी केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थोड़े दिन के लिये ही रुकती है जब तक कि खाद्य समस्या विकट है। इसे मान लेने से आप खाद्य समस्या हल करने का प्रयत्न शीघ्र ही करेंगे। दूसरी चीज यह है कि जब खाद्य समस्या हल हो जायगी तो यह स्वयं ही समाप्त हो जायगा और आपकी आमदनी बढ़ जायगी। इसे मेरा सुझाव है कि सरकार को अवश्य मान लेना चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मान कर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं कि सरकार इसे मानेगी नहीं। यह तो हठधर्मी पर सवार है। दूसरे, उपाध्यक्ष जी, जिस तरह से सुग्गा पढ़ा करके पिंजरे में बैठा दिये हैं और वह वहां रट लगाता है कि जो मालिक सिखाये रहता है। हमारे मंत्रीगण जो बैठते हैं वह अपने तो कोई मेहनत करते नहीं हैं और न दिमाग लगाते हैं, पर सेक्रेटरी लोग जो पढ़ा-लिखा कर बैठा देते हैं उसमें से उनको खतरा हो जाता है कि अगर एक कामा, विराम, का संशोधन भी मान लिया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाय? ये सिखे-सिखाये तोते की बोली बोलेंगे, चाहे उस पक्ष के लोग नेक सलाह दें या इस पक्ष के। कुछ हमारे समाजवादी सदस्य उस तरफ चले गये हैं, उनमें आदरणीय नेता बाबू गेंदासिंह भी गये हैं। अगर मंत्री जी ने यह संशोधन मंजूर न किया तो उनकी आत्मा को कष्ट होगा। क्योंकि वह तो बराबर रट लगाते रहे कि खाद्यान्न पर कोई कर न लगे, अगर लगता है तो भिखमंगे पर भी टैक्स हो जाता है और इस महंगाई के समय में तो गेंदाबाबू की आत्मा को और भी कष्ट होगा। अगर आप उनकी आत्मा को कष्ट देंगे तो अपने पक्ष को और भी कमजोर करेंगे इसलिये इसको वापस लें।

श्री जयराम वर्मा--

मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। मैंने पहले ही कह दिया कि जो आज खाद्य समस्या प्रदेश में है उसके लिये सुलझाने के लिये जितना गल्ला बाहर से आकर के फेयर प्राइस शाप्स द्वारा बांटा जाता है उस पर कोई सेल्स टैक्स नहीं है, और हर आदमी थोड़ा बोझ उठा लेगा प्रदेश के हित में तो कौन सी बुरी बात हो जायगी, इसको क्यों आप रोकते हैं? माननीय कमलासिंह जी इस संशोधन को कृपया वापस ले लें।

श्री कमलासिंह यादव--

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ में नई प्रस्तावित धारा '३-घ' (१) के अन्त में स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक उत्तर प्रदेश की खाद्य समस्या नहीं सुधरती खाद्यान्नों पर कोई बिक्री-कर नहीं लगेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ४ में नई प्रस्तावित धारा ३-घ का उपखन्ड (५) निकाल दिया जाय। इसके संबंध में मेरा कहना यह है कि इस तरह का प्राविजो आलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसके रहते हुए कोई नया क्लाज पास नहीं किया जा सकता....

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

श्रीमन्, १५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

जब एक मिनट रह जाय तब कहियेगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

तो उसके रहते हुए मैं यह देख रहा हूं कि जब यह एक पैसा कर सकते हैं तो यह ५ पैसा भी कर सकते हैं, इसका अधिकार इनको है । इसमें ५ नये पैसा मैग्जीमम है । तो मैं यह चाहूंगा कि जब एक प्राविजन आलरेडी है तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता । कोई भी नई धारा जो उसके विपरीत हो वह नहीं जोड़ी जा सकती और न उस पर सरकार को कोई अधिकार दिया जा सकता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करे ।

श्री जयराम वर्मा--

यह धारा ३ का जो प्राविजो है वह जिस रूप में दिया हुआ है वह सेल्स टैक्स के संबंध में ही लागू होता है । जहां तक परचेज टैक्स का सवाल है वह आवश्यक परिवर्तनों के साथ ही लागू होगा ।

श्री बंशीधर पांडेय--

मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा--

३ परसेंट की बात सेल टैक्स के संबंध में ही लागू होती है लेकिन यह प्रतिबंध परचेंज टैक्स के बारे में कुछ परिवर्तनों के साथ ही लागू होगा । चूंकि पहले से खाद्यान्न के बारे में अंतिम सीमा निर्धारित कर दी गई है और दूसरे सामानों के बारे में सीमा निर्धारित कर दी गई है, इसलिये इसका यह पोर्शन जिसके द्वारा ३ प्रतिशत तक ले जाने की बात है, लागू नहीं होता, उसका दूसरा हिस्सा लागू होता है । यानी टैक्स कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और ऐसी हालत में टैक्स का निर्धारण कैसे होगा ? यह परचेंज टैक्स के बारे में लागू होगा कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं है । यह कोई विरोध में नहीं है, इसलिये मैं इसके निकाले जाने का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ में नई प्रस्तावित धारा ३-घ का उपखंड (५) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५–१०

धारा ३–ङ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन।

५––मूल अधिनियम की धारा ३–ङ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय :––

धारा ३–घ के प्रयोजनों के लिये व्यापारियों को लाइसेंस का दिया जाना।

"३–ङ (१)––राज्य सरकार, समय-समय पर, गजट में विज्ञापित आदेश द्वारा, ऐसे व्यापारियों को जो व्यापारिक अभिकर्त्ता (mercantile agents) हैं, लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है, जो अपने निर्देष्टाओं (principals) की ओर से धारा ३–घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल खरीदने या बेंचने का व्यापार करते हों अथवा जिनके माध्यम से ऐसा माल बेंचा या खरीदा जाता हो चाहे वे कमीशन एजेंट कहलाते हों या आढ़तिया अथवा उनका कोई भी अन्य नाम हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :––

(क) इस धारा के अधीन लाइसेंस जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति और उनका क्षेत्राधिकार ;

(ख) लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित किये जाने वाले विवरण ;

(ग) लाइसेन्स स्वीकृत करने की रीति और उसकी शर्त, जिसके अन्तर्गत ऐसे लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना भी है जो किसी एक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये १०० रुपये से अधिक न हो ;

(घ) लाइसेंस का प्रतिसंहरण (revocation) निलम्बन, या संशोधन करने के अधिकार का प्रयोग करने की रीति और शर्तें, और

(ङ) अन्य आनुषंगिक या सहायक विषय ।

(३) इस धारा के अधीन जारी किया गया लाइसेंस, उपधारा (२) या उपधारा (४) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो नियत की जायें ।

(४) लाइसेंस प्राप्त व्यापारी––

(क) धारा ३–घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित मालों की बिक्री और क्रय के लेन-देन का प्रति दिन का यथार्थ और ठीक–ठीक लेखा बौध्य रुप में ऐसी रीति से, यदि कोई हो, जो नियत कीं जांय, रखने के लिये बाध्य होगा ।

(ख) कर निर्धारक अधिकारी को उपर्युक्त लेन-देन के ब्योरे, जिसके साथ क्रेता का नाम और विवरण तथा धारा ८–क के अधीन क्रेता द्वारा धृत रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र की संख्या तथा दिनांक भी हो, प्रस्तुत करने और नियमों के अधीन रहते हुए, लेन-देन के संबंध में ऐसी अन्य सूचना, यदि कोई हो, जो तदर्थ अपेक्षित हो, देने के लिये बाध्य होगा ।"

धारा ७–क का संशोधन

६––मूल अधिनियम की धारा ७–क की उपधारा (१) में शब्द "प्रतिबन्धात्मक खन्ड में" के पश्चात शब्द, 'अंक तथा कामा' "अथवा धारा ३–घ की उपधारा (३) में, जैसी भी दशा हो," बढ़ा दिये जायें।

धारा ७–ङ का संशोधन

७––मूल अधिनियम की धारा ७–ङ के शीर्षक में शब्द-"बिक्री-कर" के स्थान पर शब्द "बिक्री-कर या क्रय-कर" रख दिये जायें।

धारा ८–क का संशोधन

८––मूल अधिनियम की धारा ८–क में ––

(१) उपधारा (१) में खन्ड (ग) और (घ) में शब्द "प्रतिबन्धात्मक खन्ड" के पश्चात् शब्द, अंक तथा कामा "अथवा धारा ३–घ की उपधारा (३) के, जैसी भी दशा हो," बढ़ा दिये जायें।

(२) उपधारा (२) में जहां-जहां भी शब्द "बिक्री-कर" आया हो उसके स्थान पर शब्द "बिक्री-कर या क्रय-कर" रख दिये जायें।

धारा १४ का संशोधन

९––मूल अधिनियम की धारा १४ में––

(१) उपधारा (१) में से, खन्ड (ख) निकाल दिया जाय, और (२) उपधारा (२) खन्ड (छ) में शब्द "ऐसा" के स्थान पर शब्द "क्रय-कर अथवा बिक्री-कर के रूप में कोई" रख दिये जायें।

धारा २४ का संशोधन

१०––मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) के खन्ड (ख) में शब्द "माल बेचने" के पश्चात शब्द अथवा "खरीदने" बढ़ा दिये जायें।

*श्री कमलासिंह यादव––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड ५ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ३–ङ की उपधारा (२) के अन्तर्गत उपखन्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(ग) लाइसेंस स्वीकृत करने की रीति और उसकी शर्त जिसके अन्तर्गत ऐसे लाइसेन्स शुल्क का भुगतान करना भी है जो किसी एक कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये १२,००० रु० कर भुगतान करने के दायित्व पर २५ रु० तथा उसके ऊपर १०० रु० से अधिक न होगा।"

यह बड़ी सिम्पल चीज है श्रीमन् कि १२ हजार तक कोई कर लगता नहीं, लेकिन इस पर अगर ५० हजार रुपये तक टर्न ओवर हो तो २५ रुपया लगाया जाय और उसके ऊपर हो तो १०० रुपया लगाया जाय। और सब प्रान्तों में श्रीमन्, यह बहुत कम है। राजस्थान का आप ले लीजिये। वहां १२ हजार से २० हजार तक ५ रुपये हैं। इस तरीके से २५ हजार से एक लाख से ऊपर तक पांच सौ तक है श्रीमन्। तो मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लेंगे। यह बड़ी ही उपयुक्त चीज है। अगर माननीय मंत्री जी इसे मान लेंगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा लोगों का।

श्री विजयसिंह––

हम लोग इसका विरोध करते हैं कि इसमें जैसी कि सरकार की मंशा है कि जो गल्ला आता है वह रजिस्टर्ड डीलर्स से आता है उस पर कोई टैक्स होना चाहिये। उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिये। उसकी कोई आमदनी का जरिया नहीं है। वह केवल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमीशन से खाता है। लाइसेन्स, कोटा और परमिट का बिलकुल विरोध करता हूं। हालांकि मंत्री जी नहीं मानेंगे लेकिन उसको बिलकुल निःशुल्क कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। वह तो बिलकुल छोटा सा क्लास है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट--

मैं माननीय कमलासिंह जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है अगर मंत्री जी उसे मान लें तो अनर्थ हो जायेगा। मैं समझता हूं कि जितना आपका प्रस्ताव है, इससे अधिक तो सरकार स्वयं भी नहीं सोचती। अतः इसको वापस करना ही ज्यादा अच्छा होगा।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

पहले तो मैं इस पुस्तक की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। राहत मिलती है जब दिल से दिल मिलता है। मैं यहां दिल को बदल देता हूं खाने से। यानी जब खाना मिलता है तब राहत होती है।

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमान् जी, माननीय कमलासिंह जी ने शायद इस विधेयक को और अपने संशोधन को पढ़ा नहीं है। इस विधेयक से तो कच्चे आढ़तियों को कर से मुक्त किया जा रहा है और वह कहते हैं कि शायद उनको कर देना होगा, जैसा कि उनके संशोधन से अर्थ निकलता है। इसलिये यह संशोधन बिलकुल अर्थहीन है। मैं आशा करता हूं कि वह इसे वापिस ले लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव--

मैंने टैक्स की बात नहीं कही है, टर्न ओवर की कही है। इसमें कोई कंट्राडिक्शन की बात नहीं है। मैं इसको वापस नहीं लेता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे अभी ज्ञात हुआ कि ५ बजे के बाद समय बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ। ५ के बाद ऐसा प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

५ बजे के पहले मैंने १५ मिनट बढ़ा दिया था और १५ मिनट और बढ़ गया। इसलिय यह प्रश्न नहीं है।

प्रश्न यह है कि खन्ड ५ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ३-ङ की उपधारा (२) के अन्तर्गत उपखन्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(ग) लाइसेंस स्वीकृत करने की रीति और उसकी शर्त जिसके अन्तर्गत ऐसे लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना भी है जो किसी एक कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये १२,००० रुपये कर भुगतान करने के दायित्व पर २५ रुपये तथा उसके ऊपर १०० रुपये से अधिक न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ से १० तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४

सं० प्रा० ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई०

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को और संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पंद्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस बिल के लिये समय ५ बजे तक का था । मैंने आपकी भावना का आदर करके समय बढ़ा दिया था ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

श्रीमन, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं हुई है । अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमें अपने कर्त्तव्य पालन के लिये विवश होना पड़ेगा । मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १० मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय १० मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

उपाध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन विधेयक का घोर विरोध करता हूं । ऐसी स्थिति में जब कि प्रदेश में लोग दाने दाने के लिये भूखों मर रहे हैं, उस समय खाद्यान्न पर कर बढ़ाकर और उनको महंगा करना, मैं समझता हूं इससे घोर अपराध सरकार की तरफ से नहीं हो सकता । वित्त मंत्री जी ने राशन की दूकानों पर बिक्री कर नहीं लगाया । मैं जानना चाहता हूं कि राशन की दूकानें कितने फीसदी लोगों को गल्ला देती हैं । उत्तर प्रदेश में गांवों में आप २०० घरों में से ५ घरों को राशन देने के लिये पाबन्द हैं । ९५ फीसदी गांव के रहने वाले आदमी इस संशोधन से प्रभावित होंगे, उनके गल्ले के भाव में बढ़ोत्तरी हो जायगी । प्रदेश के जिन लोगों को अपने १५ वर्षों के शासन में इस प्रकार सरकार ने कुछ न दिया हो, इस प्रकार से गल्ले पर टैक्स बढ़ाकर उनसे पैसा लेना हराम है । सरकार को इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिये । हमें विश्वास था कि कमलासिंह जी के प्रस्ताव को मान लिया जायगा और इस आपत्तिकाल में जब कि खाद्यान्न की समस्या जटिल है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जायगा, लेकिन उसके ऊपर भी मंत्री जी की ओर से कोई विचार नहीं किया गया । अगर ऐसे प्रस्ताव को जिससे इस प्रदेश के भूखे और नंगे और गरीबों का भला होने वाला था, मान लेते, बड़ी उनकी कृपा होती, लेकिन उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया । मैं यह भी निवेदन

कर दूं कि सरकार का कर्तव्य केवल यही नहीं है कि वह गांव के रहने वालों पर या शहर के रहने वालों पर टैक्स बढ़ाये बल्कि सरकार का यह सर्व प्रथम कर्त्तव्य है कि वह भूखे और नंगे लोगों को खाना दें । जब आप खाना नहीं दे सकते, जब आप भुखमरी से लोगों को नहीं बचा सकते तो आप टैक्स लगा कर प्रदेश की जनता के मूल अधिकारों का हनन करते हैं । हमारी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इस बिक्री-कर के बहुत ही खिलाफ है । अगर आप खाद्यान्नों पर से बिक्री-कर को नहीं हटाते हैं तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि १४ दिसम्बर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इस मसले को लेकर आपके कानून को तोड़ने जा रही है। इसलिये मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि आप इस विधेयक को वापस ले लें या कम से जब तक प्रदेश में इस तरह का अन्न संकट है तब तक खाद्यान्नों पर टैक्स न लगावें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों की बातों को सुन कर आप इस तरह का खराब पेशा जो करने जा रहे हैं, उसे बन्द कर देंगे ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के माननीय नेता रामसुन्दर पांडेय जी ने बहुत ही वजनदार बात कही और सबसे वजनदार बात तो माननीय कमलासिंह जी ने खंडों पर बोलते हुये कही कि जब तक खाद्यान्न की समस्या बड़ी विकट है तब तक के लिये इस बिक्री-कर को समाप्त कर दें । लेकिन आप इसको कहां मानने लगे । श्रीमन्, यह कहते हुये बहुत दुख होता है कि इस सरकार की हालत भी खराब है और हमारी भी हालत खराब है, यह मैं ईमानदारी की बात कहता हूं । कोई भी विधेयक यहां लाया जाता है तो इस सरकार के जो सेक्रेटरीज हैं वे जो लिख देते हैं हूबहू वही शुरू से लेकर अन्त तक थर्ड रीडिंग में पास हो जाता है। मेरा ऐसा खयाल है कि सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य भी पार्टी मीटिंग में भी कोई एक लाईन का संशोधन लाने की जुर्रत या हिम्मत नहीं करते । केवल कोरम की घंटी बजने पर ५० प्रतिशत लोग यहां आ जाते हैं जिनको इसका पता तक नहीं होता कि किस संशोधन पर "हां" कहा गया और किस संशोधन पर "न" कहा गया । अगर आपको इस बात में संदेह हो तो माननीय राममूर्ति जी से ही पूछ लें कि इसके पहले किस पर "हां" कहा गया और किस पर "न" कहा गया। इस तरह से बिना पढ़े हुये लोग आ जाते हैं और केवल खोखलेपन की बातें यहां होती हैं । सिर्फ इसी तरह से यह जनतंत्र चल रहा है जिसे मैं समझता हूं कि अगर यही हालत रही तो प्रदेश की जनता को आप गर्त में ढकेल देंगे ।

जो बात माननीय कमलासिंह जी ने कही वह यह थी कि इस प्रदेश में खाद्यान्नों की स्थिति बड़ी विस्फोटक है इसलिये आप खाद्यान्नों पर किसी तरह का टैक्स न लगावें । अगर आप जनता के हित में इस टैक्स को नहीं हटाते हैं तो आखिर हम कौन सा रास्ता अपनावें । इस मौके पर मुझे डाक्टर राममनोहर लोहिया की बात याद आती है कि जिस देश और प्रदेश की सरकार रोज-रोज गलत काम करती हो उस देश और प्रदेश की सरकार को गद्दी से उतार फेकना चाहिये । हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य माननीय मंत्री महोदय व सरकार को बतला देना चाहते हैं कि १२ तारीख से हमारी पार्टी इस प्रदेश में खाद्यान्न की कीमत को लेकर और बिक्री-कर को लेकर आन्दोलन करने जा रही है और हम सब का नारा यही होगा कि "रोटी दो या जेल दो । कोर्ट कचहरी बन्द करो या राशन का प्रबन्ध करो ।" इस तरह का इरादा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कर रहा है और मैं जानता हूं कि जिस प्रदेश में और जिस देश में जनता में उत्थान और जागृति आ जाती है वहां की सरकार सही रास्ते पर चलती है लेकिन जनता में जागृति लाने के लिये इस समय कोई क्रान्तिकारी दल नहीं है इसलिये अब संयुक्त सोशलिस्ट दल ने इस काम को अपने हाथ में लिया है और वह जनता को जगाकर और सरकार को बदल कर एक नये शासन की नींव डालेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो इस विधेयक को वापस करने का प्रस्ताव रखा है उसके विषय में मंत्री जी को क्या कहना है, वह उसको वापस लेने को तैयार हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्हें आप बोलने दें। अभी बता रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

अगर वह इसको वापस करें तब तो हमारी और जनता की भावनाओं की कद्र होगी और अगर वह इस को वापस करने को तैयार नहीं हैं तो हम इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं क्योंकि इस सरकार ने जानबूझ कर खाद्य समस्या को जटिल बनाया है और खाद्यान्न पर अब और अधिक बिक्री-कर लगाने जा रही है, यह उसकी गरीब जनता के विरुद्ध साजिश है।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने मंत्री जी के सामने एक समुचित ही मांग रखी थी और यह समय का तकाजा है कि यह विधेयक सरकार वापस ले ले लेकिन अगर वह वापस नहीं कर रहे हैं तो हम श्री रामसुन्दर जी की मांग का समर्थन करते हैं और सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री प्रेमसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जरा सी उदारता दिखा कर इसे वापस कर लें।

श्री विजयसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो प्रस्ताव ही यह था कि इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये प्रसारित किया जाय और जो चीजें इसमें कोटा, परमिट और लाइसेंस के बहाने लाई जा रही हैं वह उचित नहीं हैं, गरीब जनता का इससे अहित होगा। इसलिये अगर जन-भावना का आदर करते हुये इसको सरकार वापस नहीं लेती है तो इसके विरोध में हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(स्वतंत्र दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जयराम वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया जा रहा है और इस तरह का भ्रम पैदा करना उचित भी नहीं है। इसके द्वारा कोई कर की दर में वृद्धि नहीं की जा रही है। केवल इसके विरोध बहुपदीय बिक्री-कर की जगह एकपदीय क्रय-कर की व्यवस्था की जा रही है और उससे उपभोक्ता पर कर का भार पहले से कम हो जायेगा और यह उनके खिलाफ नहीं जाता बल्कि इससे उनको और हलकापन ही महसूस होगा। हमको भी जनता का और किसानों का पूरा खयाल है और हम इस प्रदेश में और देश में एक समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये प्रयत्नशील हैं और जनता की भलाई के लिये ही हम ऐसे विधेयक लाते रहे हैं। कांग्रेस की और दूसरे दलों की परीक्षा होती ही रहती है और वह परीक्षा आगे भी होगी लेकिन इस तरह के आन्दोलनों से कोई लाभ नहीं होता। अगर उन्हें ऐसे समय में कोई जनता का लाभ करना है तो वह खाद्यान्न के उत्पादन में किसानों की मदद करें और केवल आन्दोलन से वह उन का लाभ नहीं बल्कि और हानि ही करेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन इस विधेयक को पारित करें।

श्री प्रेमसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के हित में.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब यह कोई स्टेज नहीं है, आप बैठ जायं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
३ सितम्बर १९६४ ।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३–४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१७ पर]

संलग्नक

१ जुलाई, १९६४ से ३१ जुलाई, १९६४ तक की अवधि में प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में लूटे गये बाजारों व राशन की दूकानों की सूची

लूटे गये बाजार का नाम	राशन की दूकान	अनाज की अन्य दूकानें जो लूटी गयीं
१—नौरंगाबाद बाजार कानपुर,	१—श्री दुर्गा प्रसाद, छिप्पी टोला, आगरा	१—आटा चक्की की दूकान, हापुड़, जिला मेरठ ।
२—उरवा बाजार ३—कुसुम्ही बाजार	गोरखपुर	
४—पथरदेवा बाजार ५—हाटा बाजार	देवरिया	२—खाद्यान्न की दूकान, अमौली बाजार, फतेहपुर ।
६—अन्तूबाजार ७—लच्छीपुर बाजार	प्रतापगढ़	
८—रामनगर, बाजार, बाराबंकी		

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २३१ पर]

वर्ष		रिबेट		लोन		ग्रांट	
		रु०	पैसे	रु०	पैसे	रु०	पैसे
१९६०–६१	..	१६,०७९	१९	..		६,०५१	००
१९६१–६२	..	१३,७६१	१४	५,५९१	२५	१,९३३	७३
१९६२–६३	..	७,२९२	७२	१५,०००	००	३,०००	००
१९६३–६४	..	३१०	९२	..		..	
योग	..	३७,४४३	९७	२०,५९१	२५	१०,९८४	७३

सत्यमेव जयते संसद

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३६ पर।)

अंग्रेजी में आरोप-पत्र का हिन्दी रूपांतर

आरोप

मैं, महेश शंकर, पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर आप श्री एल० एन० शर्मा, स्थानापन्न निरीक्षक पर, वर्ष १९६२ में थाना कोतवाली, फतेहपुर में थानेदार (स्टेशन आफिसर) की हैसियत से तैनात रहने के समय पुलिस ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असावधानी बरतने तथा उपेक्षा दिखाने और अपने पद के अयोग्य होने का आरोप लगाता हूं।

१--आपने थाना कोतवाली, फतेहपुर में आई० पी० सी० की धारा ४५७ के अधीन १९६२ के आपराधिक वाद संख्या १४१ के तफतीश करने के दौरान १४/१५-४-१९६२ को बरामद किये गये सोने और चांदी के आभूषणों को, जिनपर चोरी का माल होने का संदेह किया जाता था, सुरक्षितरूप से अपनी अभिरक्षा में रखने के लिये पर्याप्त सावधानी नहीं बरती, क्योंकि बरामद किये गये उक्त आभूषणों के बंडल पर आपने अपनी निजी मुहर लगाने के बजाय हेड मुहर्रिर हसनउद्दीन की पीतल की मुहर लगाने की अनुमति दी, लेकिन आपने उक्त मुहर को निजी अभिरक्षा में रखने पर ध्यान नहीं दिया और उसे उक्त हेड मुहर्रिर के पास ही रहने दिया जिसका फल यह हुआ कि लगभग २,२५० रु० के मूल्य के सोने के आभूषण अर्थात् एक कंठहार (नेकलस), एक गुलूबन्द और एक जोड़ा कान की बाली (earring) उस बण्डल से चुरा लिये गये।

२--आपने १८-५-६२ से ३०-५-६२ तक प्रति दिन थाने के मालखाने का निरीक्षण नहीं किया। खासकर उस हालत में जबकि उन दिनों मालखाने में सोने और चांदी के कीमती आभूषण रख हुये थे।

३--आपने उपर्युक्त वाद की सम्पत्ति को समुचित रीति से और तुरन्त सदर मालखाने में नहीं भेजा और २१-४-६२ को, जिस दिन आपने उक्त वाद से संबंधित आरोप-पत्र प्रस्तुत किया था, उसे नहीं भेजा और ३१-५-६२ तक उसे अनावश्यक रूप से पुलिस थाने में पड़ा रहने दिया और इस प्रकार आपने मुहरबन्द बण्डल से उक्त सोने के आभूषणों की चोरी होने में सुविधा प्रदान की।

४--आप अनावश्यक रूप से अपने दोनों हेड मुहर्रिरों हेड कान्स्टेबिल, हसनउद्दीन और रनजीत सिंह को सेंध लगाकर चोरी करने के उक्त मामले में तफतीश करने के लिये घटना-स्थल पर अपने साथ ले गये। खासतौर से उस हालत में जबकि आपके पास दो सब-इंस्पेक्टर, श्री रामसूरत सिंह और आशा राम नरवरिया, आपकी सहायता के लिये आपके साथ थे और इस प्रकार आपने थाने के काम में हानि पहुंचाई।

ह० महेश शंकर,
पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।

५-१०-१९६३।

यह आरोप इससे संबंधित पक्ष को पढ़कर सुना दिया गया और समझा दिया गया, इसकी एक प्रति उसे दे दी गई है।

ह० महेश शंकर,
पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।

५-१०-१९६३।

आरोपित पक्ष को एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि वह इस आरोप पत्र के प्राप्त होने के ८ दिन के भीतर उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें। यदि वह समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं करता तो यह समझा जायगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और एक पक्षीय कार्यवाही की जायगी।

ह० महेश शंकर,
पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।

५-१०-१९६३।

अंग्रेजी में आरोप-पत्र का हिन्दी रूपांतर आरोप

आप हेड कान्स्टेबिल रामनारायण सिंह पर जब कि आप १९६२ में फतेहपुर के सदर मालखाने में हेड मुहर्रिर के रूप में तैनात थे, पुलिस ऐक्ट की धारा ७ के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असावधानी बरतने तथा उनके प्रति उपेक्षा दिखाने और अपने पद के अयोग्य होने के आरोप लगाये जाते हैं ।

१--आपने सदर मालखाना के केस प्रापर्टी रजिस्टर में अपने सहायक कांस्टेबिल क्लर्क विंध्याचल द्वारा एक गलत इन्दराज कराया। यह इंदराज एक मोहरबंद बंडल के संबंध में था जिसमें इंडियन पेनलकोड की धारा ४५७ के अधीन थाना कोतवाली, फतेहपुर की वाद अपराध सं० १४१ १९६२ की मूल्यवान कैश संपत्ति थी । यह बंडल आपने थाना कोतवाली, फतेहपुर के कांस्टेबिल शमुद्दीन के जरिये ३१ मई, १९६२ को नक्शा माल तथा मुहर के नमूने के साथ प्राप्त किया था जिसमें यह बतलाया गया था कि मोहरबंद बंडल खजाने की दोहरे ताले में बंद करके रखे जाने के लिये भेज दिया गया है जबकि तथ्य यह था कि दोहरा बंद ताला ३१ मई, १९६२ को बिलकुल ही नहीं खोला गया था । आपने उक्त रजिस्टर में स्वयं अपनी लिखावट में आभूषणों के मुहरबंद बंडल के बारे में ठीक इंदराज भी नहीं किया ।

२--आपने जनरल मालखाना रजिस्टर के क्रमांक २०८ पर दिखलाई गई इस सम्पत्ति के वास्तविक हस्तान्तरण के दिनांक के बारे में डबल लाक रजिस्टर में इंदराज भी नहीं किया । आपने इस मूल्यवान सम्पत्ति को एक ताले में अनावश्यक रूप से रहने दिया । आपने मूवमेन्ट रजिस्टर (संचरण पंजी) में उस वास्तविक दिनांक के बारे में, जबकि इस विशेष बंडल को खजाने के दोहरे ताले में जमा किया गया था, तत्सथानी इंदराज नहीं किया । आप सदर मालखाना सम्पत्ति के अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं कर सके ।

३-- १०-८-१९६२ को मालखाने का प्रभार हेड कांस्टेबिल चन्द्रकेश सिंह को देते समय आपने हेड कांस्टेबिल चन्द्रकेश सिंह, सहायक सरकारी अभियोक्ता (असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासीक्यूटर) श्री पी० सी० सिंघल और साथ ही सरकारी अभियोक्ता (पब्लिक प्रोसीक्यूटर) श्री जी० एम० शर्मा से दोहरे ताले से उक्त सम्पत्ति निकाल लेने के लिये यह गलत बयान देते हुये कहा कि उक्त मामले की सुनवाई के लिये १०-८-६२ नियत किया गया है और आपकी इस गलत बयानी प्रत्यादन के परिणाम स्वरूप उक्त सम्पत्ति दोहरे ताले से १०-८-६२ को, जबकि सुनवाई करने का दिनांक नियत नहीं किया गया था, निकाल ली गई ।

४--आपने सरकारी अभियोक्ता श्री गया प्रसाद के समक्ष, उनके ३१-५-६२ के मासिक निरीक्षण के लिये वाद सम्पत्तियों (case properties) का एक गलत विवरण तैयार किया तथा प्रस्तुत किया जिसमें यह बतलाया कि आभूषण का यह विशेष बंडल खजाने के दोहरे ताले में ३१-५-१९६२ को मौजूद था जब कि वास्तव में उक्त दिनांक पर यह बंडल आपके कब्जे में एक ताले में बंद था ।

कृपया इस आदेश की प्राप्ति के ८ दिन के भीतर स्पष्ट रूप से अपराध को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुये उक्त आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आपका स्पष्टीकरण उपर्युक्त समय के भीतर नहीं प्राप्त होता है तो यह समझा जायगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और आगे की कार्यवाही की जायगी ।

ह० जे० सी० तलवार, सी० ओ० ३

१८-१०-१९६३। पुलिस उप-अधीक्षक, फतेहपुर।

अंग्रेजी में आरोप-पत्र का हिन्दी में रूपांतर

फतेहपुर जिले में हेड कांस्टेबिल हसनुद्दीन के विरुद्ध जो पहले थाना कोतवाली फतेहपुर के हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था, लगाये गये आरोप

आप एच सी/३६ सी०पी० हसनुद्दीन पर जब आप १९६२ में कोतवाली, फतेहपुर में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात थे, एतद्द्वारा पुलिस ऐक्ट की धारा ७ के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में असावधानी बरतने तथा उनके प्रति उपेक्षा दिखाने और अपने पद के अयोग्य होने के आरोप लगाये जाते हैं :—

१—आप, थाना कोतवाली, फतेहपुर, के इंडियन पैनल कोड की धारा ४५७ के अधीन अपराध संख्या १४१, १९६२ से संबंधित एक मुहर बंद बंडल से लगभग २,२५० रु० के मूल्य के तीन स्वर्ण आभूषणों अर्थात् एक कंठहार, एक गुलूबन्द और एक जोड़ा कान की बालियों की हानि का कारण नहीं बता सके, जिसे आपने १४/१५-४-६२ को बरामद करते समय स्वयं अपनी पीतल की मुहर (सील) से मुहर बन्द किया था और जिसे आप १५-४-६२ को कोतवाली मालखाने में लाये थे और वहां जमा किया था, देखिये अपनी लिखी हुयी सामान्य डायरी सं० १६। उक्त बंडल को आपने कोतवाली मालखाने के भीतर एक तालाबंद बक्स में रखा था, जिसकी चाभी आपके पास १५-४-६२ से ३१-५-६२ तक रही जबकि वह आपकी देखरेख में कान्स्टेबिल शमसुद्दीन द्वारा बाहर निकाला गया और सदर मालखाना, फतेहपुर में जमा किया गया। आप उक्त कान्स्टेबिल के साथ थे। उक्त बंडल सदर मालखाने में ५-९-६२ तक रहा था उसकी मुहर (सील) ठीक हालत में थी। जब मुहरें (सीलें) श्री के० एन० श्रीवास्तव, न्यायायिक अधिकारी सदर, फतेहपुर, के समक्ष ५-९-६२ को न्यायालय में खोली गई तो उक्त आभूषणों की हानि का पता लगा। आपकी पीतल की मुहर (सील) जिससे यह सम्पत्ति मुहर बन्द की गई थी, इस सम्पूर्ण अवधि में आपके पास रहीं।

२—आपने उक्त मुहर बन्द बंडल को अनावश्यक रूप से कोतवाली, फतेहपुर में एक महीना और सोलह दिन तक सीधे अपने चार्ज में एक बक्स के अन्दर रखा, जिसकी चाभी आपके पास थी और उसे २१-४-६२ को उक्त मामले के आरोप-पत्र के साथ सदर मालखाने में नहीं भेजा। बाद में उक्त सम्पत्ति ३१-५-६२ को कान्स्टेबिल मोहर्रिर कोतवाली गनेश प्रसाद द्वारा सदर मालखाना भेजी गई थी।

३—आपने कोतवाली मालखाने की दैनिक निरीक्षण रिपोर्टों में १८-५-६२ से ३०-५-६२ तक सामान्य डायरी में इस विशेष सम्पत्ति के बारे में नहीं लिखा, विशेषरूप में जबकि य सम्पत्ति बहुमूल्य स्वर्ण आभूषणों की थी।

कृपया उपर्युक्त आरोपों के संबंध में इसके प्राप्त होने के ८ दिन के भीतर इन आरोपों को स्पष्टरूप से स्वीकार या अस्वीकार करते हुए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, जिसे प्रस्तुत न करने पर यह समझा जायगा कि आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है और तदनुसार कार्यवाही की जायगी।

ह० के० पी० राय,

२३-१०-६३ पुलिस उपाधीक्षक, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।

उपर्युक्त आरोप की प्रतिलिपि आरोपित पक्ष को दी गई और उसको विषय-वस्तु उसे सरल हिन्दी में समझाई गई जिसके बारे में उसने कहा कि वह उसे पूरी तरह से समझ गया है।

ह० के० पी० राय,

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३९ पर)

बुढ़वल जोन के किये गये निर्माण कार्यों की सूची

	व्यय रु० पैसे
वर्ष १९६१–६२ में जो निर्माण कार्य हुये हैं:—	
१—सुरवारी ग्राम में एक पुलिया	९४७.५४
२—हजरतपुर ग्राम में एक पुलिया	२,३०८.६४
३—गंगोली ग्राम में एक पुलिया	४८५.८१
वर्ष १९६२–६३ में जो निर्माण कार्य हुये हैं:—	
१—नहखल ग्राम में एक पुलिया	१,४२०.५३
२—जफरपुर ग्राम में एक पुलिया	१,०२२.७९
३—मलिहामऊ अमलोरा कच्ची सड़क	३८२.२८
(कार्य बहुत थोड़ा हुआ)	
वर्ष १९६३–६४ में जो निर्माण कार्य हुये हैं:—	
१—मलिहामऊ अमलोरा सड़क	४,१९०.४३
२—रानीगंज ग्राम में एक बड़ा पुल	१५,९६४.६२
(कुछ मिटटी तथा कंकड़ का कार्य अनुमानित व्यय लगभग रु० १,६२७.०० पैसे का शेष है जो प्रगति में है ।)	
३—दुर्गापुर ग्राम में एक बड़ा पुल	५,८८०.७६
(कुछ मिट्टी तथा कंकड़ का काम अनुमानित व्यय लगभग रु० १,४००.०० पैसे का शेष है जो प्रगति में है ।)	
४—सायगढ़ ग्राम में प्रथम पुलिया	१,५७२.६५
५—अमलोरा ग्राम में एक पुलिया	१,७९३.९१
६—विछलखा ग्राम में एक पुलिया	१,२७०.५२
७—मरसवा ग्राम में एक पुलिया	१,३९३.४०
८—सायगढ़ ग्राम में द्वितीय पुलिया	१,९४३.४२
९—मितवापुर ग्राम में एक पुलिया	२,०३२.९६
१०—नहरवल ग्राम में प्रथम पुलिया	१,७०१.३२
११—नहरवल ग्राम में द्वितीय पुलिया	१,२३३.०७
१२—नहरवल ग्राम में तृतीय पुलिया	१,१५५.४१
(अंतिम बिल अभी नहीं बना है लगभग रु० ७००.०० पैसे का कार्य और होना है)	
१३—भवानीपुर में प्रथम पुलिया	१,४६९.२९
१४—भवानीपुर में द्वितीय पुलिया	२,०७१.९७
१५—भवानीपुर ग्राम में तृतीय पुलिया	४४०.५६
१६—नथनापुर ग्राम में एक पुलिया	१,९४६.३२

		रु० पैसे
१७--भगईपुरवा ग्राम में एक पुलिया	..	१,२०३.९६
१८--महामऊ ग्राम में एक पुलिया ..	..	१,५४६.७७
१९--मरोचा ग्राम में एक पुलिया ..	..	१,८१८.९६
२०--लोघेपुरवा ग्राम में प्रथम पुलिया	..	१,४९८.८१
२१--वायलमऊ में एक पुलिया ..	..	१,२०६.६५
२२--देवसानी ग्राम में एक पुलिया ..	..	१,३००.०० लगभग
२३--मामपुर ग्राम में एक पुलिया ..	..	१,३००.००
२४--मुजाहिदपुर ग्राम में एक पुलिया	..	१,३००.०० लगभग
२५--मैसुरिया ग्राम में एक पुलिया ..	..	१,३००.०० लगभग
२६--करन्ची ग्राम में प्रथम पुलिया ..	..	१,२५३.८७
२७--करन्ची ग्राम में द्वितीय पुलिया	..	१,३००.०० लगभग
२८--गगियापुर ग्राम में एक पुलिया	..	१,३००.०० लगभग
२९--तिलोकपुर ग्राम में एक पुलिया ..	..	१,३००.०० लगभग
३०--सिलौटा ग्राम में एक पुलिया ..	..	१,३००.०० लगभग
३१--गजापुरवा (बडनपुर) में एक पुलिया	..	व्यय रु० १,२५५.९८

(९ पुलियों का अंतिम बिल अभी नहीं बना है लेकिन उन पर अनुमानित व्यय लगभग रु० १,३००.०० पैसे प्रत्येक का होगा)

३२--बड़ागांव-बांसा सड़क पक्की की गई	..	व्यय रु० १७,३७५.०५

इसके अतिरिक्त नहर की गूलों पर निम्नलिखित गांवों में उनके सम्मुख दी गई पुलियों इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, शारदा नहर विभाग, बाराबंकी की देख-रेख में बनवाई गई है। पुलिया का निर्माण व्यय ३०० रु० प्रति पुलिया है।

	पुलिया		पुलिया
१--मंसुरिया ग्राम में ..	१	१६--भरथीपुर ग्राम में ..	१
२--रमसहाय ग्राम में ..	१	१७--अमरासफीपुर ग्राम में ..	१
३--दढरौली भवानीपुर ग्राम में	१	१८--अमलोरा ग्राम में ..	१
४--अशोकपुर ग्राम में ..	१	१९--काजीपुर ग्राम में ..	१
५--तिलोकपुर ग्राम में ..	१	२०--सिरौली ग्राम में ..	१
६--प्यारेपुर ग्राम में ..	१	२१--टांडा रावत ग्राम में ..	२
७--गगियापुर ग्राम में ..	१	२२--अच्छेहा ग्राम में ..	२
८--निजामपुर ग्राम में ..	१	२३--नहरवल ग्राम में ..	१
९--चुरलिया ग्राम में ..	२	२४--खालिशपुर ग्राम में ..	१
१०--पूरेभगई ग्राम में ..	१	२५--मोहीउद्दीनपुर ग्राम में ..	१
११--हबीबपुर ग्राम में ..	१	२६--वहाबपुर ग्राम में ..	१
१२--तेलियानी ग्राम में ..	२	२७--गुडोला ग्राम में ..	१
१३--मामपुर ग्राम में ..	१	२८--बल्लापुर ग्राम में ..	१
१४--बिलखिया ग्राम में ..	२	२९--सुढ़ियामऊ ग्राम में ..	१
१५--अशोकपुर चाचूसराय ग्राम में	१	३०--खुर्द मऊ ग्राम में ..	१

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न का उत्तर पीछे पृष्ठ २४० पर)

CONFIDENTIAL REPORT C. I. I., GONDA.

Reference : Attached order of G. O. II dated June 21, 1964 regarding case crime no. 42 under section 148/149/307/323 I. P. C. P. S. Wazirganj and order no. 2791/R-32/64/C.O.G., dated July 25, 1964 from D.I.G. 'G' to S.P. Gonda.

SIR,

Enquiries in this connection have been made by me and Dulare (complainant), Rampher, son of Gajadhar Kurmi, Ram Asre, son of Dwarika Kurmi, Ram Prasad, son of Ram Jiawan Kurmi, Ghure, son of Jageshwar Kurmi, Jokhu, son of Sarju Kurmi and some other persons residents of Narainpur Grunt and adjoining villages were examined by me.

Dulare (Complainant), Ram Asre, Ram Prasad, Ghure, Jokhu etc., roborated the facts of the F. I. R. of case crime no. 42 under section 148/42 9/307/323 I.P.C. and stated clearly that the culprits had not entered the house of the complainant and had not looted any property.

Ram pher, who has received gun-shot injuries on examination stated that has been a case of dacoity in which the dacoits had entered the house of the complainant and had also looted away some property , but due to the pressure of previous S. O. Sri Ehasanullah Khan and the beat constables complainant and other will not depose it to be a case of dacoity and hall confirm the contents of the F. I. R.

I tried, but could not get evidence in its corroboration.

Some persons of the adjoining villages on examination termed this case as dacoity one, but clearly stated that they have heard it like so. In my opinion the reason of it is that generally in villages the people term such cases of marpit etc., as dacoity one. In the same way the persons of the adjoining villages term it as dacoity though they have not seen the incident themselves.

In the above circumstances it appears a case under section 148/149/307/323 I.P.C. as has been written in the F. I. R.

Submitted for perusal.

Sd. S. P. SAXENA,
C. I.,

July 31, 1964.

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २४३ पर ।)

जिला एटा से प्राप्त नामों की सूची

क्रम संख्या छात्रों के नाम

अनुसूचित जाति

१ श्री जसपाल,
२ श्री लाला राम,
३ श्री गंगा सहाय,

अन्य पिछड़ी जाति

१ श्री राम सिंह,
२ श्री धान सिंह,
३—श्री महाराम सिंह,

अन्य जातियां

१ श्री राजेन्द्र सिंह चौहान,
२ श्री उदयवीर सिंह,
३ श्री रवीन्द्र बाबू,

छात्रों के नाम जिनको केन्द्रीय चुनाव समिति द्वारा चुना गया ।

क्रम संख्या छात्रों का नाम

अनुसूचित पिछड़ी जाति

१ श्री जसपाल
२ श्री गंगासहाय

पिछड़ी जाति

१ श्री रामसिंह

अन्य जाति

१ श्री उदयवीर सिंह

विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १२–१३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४८ पर)

विवरण

श्रीमती शाहजहां बेगम, बेवा अजीज अहमद खां, जि० कस्बा, हसनपुर, जिला मुरादाबाद ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक ७–१–६१ में यह आरोप लगाये थे कि हसनपुर की पुलिस ने उनके लड़के के कत्ल के मामले में अभियुक्तों से रिश्वत लेकर मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगाई थी। सिविल सर्जन ने जब लाश का पोस्टमार्टम किया था तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि लाश पर पाई गई चोटें कुछ भाले से आईं थीं और मरने के पहले की थीं किन्तु जब पुलिस ने उन्हें शहादत में पेश किया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के खिलाफ बयान दिया। कोर्ट इंस्पेक्टर ने सिविल सर्जन या एस० ओ० हसनपुर से किसी प्रकार की जिरह नहीं की। उन्होंने चार अभियुक्तों की कार्यवाही शिनाख्त नहीं कराई और न उनको अदालत में तलब किया और गवाहों को पेश नहीं किया।

co
14
h

संसद ग्रंथालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १२५ एल० ए०—१९६४—८६०।